रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26102026-277432
CG-DL-E-26102026-277432

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 838] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 23, 2026/कार्तिक 1, 1948
No. 838] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 23, 2026/KARTIKA 1, 1948

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 2026

सा.का.नि. 909(अ).—केंद्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) की धारा 130 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (क), खंड (ख), खंड (छ) और खंड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और वाणिज्य पोत परिवहन (पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा) नियम, 2024 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य पोत परिवहन (पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना. – जब तक स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबंधित न किया गया हो, ये नियम निम्नलिखित की रक्षा और सुरक्षा से संबंधित मामलों पर लागू होंगे -

(क) प्रत्येक भारतीय पोत जिसमें मोबाइल ऑफशोर ड्रिलिंग इकाइयां और हाई-स्पीड क्राफ्ट सम्मिलित हैं, जैसा कि सुरक्षा समझौते के विनियमन XI-2/1 में परिभाषित है, चाहे वह किसी भी प्रकार का हो या उसका प्रचालन जो भी क्षेत्र में हो, चाहे वह कहीं भी हो, जो अनुसूची I में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करता हो:

(ख) भारतीय पोत के भिन्न कोई भी पोत, जब ऐसा पोत किसी भारतीय पत्तन या भारतीय अपतटीय सुविधा पर आता है, या भारतीय क्षेत्राधिकार के भीतर लंगर डाले हुए है;

(ग) कोई भी भारतीय पत्तन सुविधा; और

(घ) कोई भी कंपनी जो ऐसे किसी भी पोत या पत्तन सुविधा, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, की स्वामी है, या उसका प्रबंधन करती है।

3. परिभाषाएँ. – (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "अधिनियम" से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) अभिप्रेत है;

(ख) "प्रशासन" से महानिदेशक, समुद्री प्रशासन अभिप्रेत है;

(ग) "लेखा परीक्षा" से वस्तुपरक साक्ष्य प्राप्त करके व्यवस्थित और स्वतंत्र सत्यापन की एक विधि या प्रक्रिया अभिप्रेत है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि पत्तन सुविधा संबंधी या पोत संबंधी सुरक्षा गतिविधियां अनुमोदित सुरक्षा योजना को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा समझौते की लागू अपेक्षाओं का अनुपालन करती या नहीं;

(घ) "कंपनी" से अधिनियम की धारा 115 के खंड (क) के अधीन परिभाषित कंपनी अभिप्रेत है;

(ड.) "कंपनी सुरक्षा अधिकारी" से नियम 14 के उपनियम (1) के अधीन कंपनी द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति अभिप्रेत है;

(च) "संविदाकारी सरकार" से किसी देश की सरकार अभिप्रेत है जो सुरक्षा अभिसमय से आबद्ध होने के लिए सहमत है;

(छ) "नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी" से अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के अन्तर्गत गठित पत्तन सुरक्षा ब्यूरो अभिप्रेत है;

(ज) "अंतर्राष्ट्रीय पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र" से प्रशासन या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इन नियमों या अंतर्राष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा संहिता के अनुसार जारी किया गया प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;

(झ) "आईएसपीएस संहिता" से सुरक्षा समझौते के अधीन समय-समय पर यथा संशोधित, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा अपनाए गए अंतर्राष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा संहिता अभिप्रेत है;

(झ) "समुद्री वाणिज्य विभाग" से अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत स्थापित समुद्री वाणिज्य विभाग अभिप्रेत है;

(ञ) "पत्तन सुविधा सुरक्षा सलाहकार समिति" से नियम 20 में विनिर्दिष्ट समिति अभिप्रेत है;

(ट) "पत्तन सुविधा सुरक्षा मूल्यांकन" से नियम 18 के अनुसार किया गया पत्तन सुविधा सुरक्षा आकलन अभिप्रेत है;

(ठ) "पत्तन सुविधा सुरक्षा अधिकारी" से नियम 21 में विनिर्दिष्ट अधिकारी अभिप्रेत है;

(ड) "पत्तन सुविधा सुरक्षा योजना" से पत्तन सुविधा और पोतों, व्यक्तियों, कार्गो, कार्गो परिवहन इकाइयों तथा पत्तन सुविधा के भीतर पोतों के भंडार को किसी सुरक्षा घटना के जोखिमों से बचाने के लिए डिजाइन किए गए उपायों को लागू करना सुनिश्चित करने की योजना अभिप्रेत है;

(ढ) "मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन" से कोई भी संगठन, कंपनी, फर्म या व्यक्तियों का समूह अभिप्रेत है, जिसे सुरक्षा से जुड़े मामलों और पोत व पत्तन प्रचालन कार्यों की विशेषज्ञता हो, और जिसे केंद्रीय सरकार ने इन नियमों के अंतर्गत अपेक्षित आकलन, सत्यापन, मंज़ूरी या प्रमाणन करने के लिए अधिकृत किया हो;

(ण) "अनुसूची" से इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(त) "सुरक्षा घटना" से किसी पोत, जिसमें मोबाइल अपतटीय ड्रिलिंग इकाई और उच्च गति वाले यान, या पत्तन सुविधा या किसी पोत और पत्तन इंटरफेस, या किसी पोत-से-पोत गतिविधि सम्मिलितहै, की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली कोई संदेहास्पद परिस्थिति अभिप्रेत है;

(थ) "सुरक्षा स्तर" से उस जोखिम की डिग्री की अर्हता अभिप्रेत है जिससे सुरक्षा घटना का प्रयास किया जा सकता है या घटित हो सकती है;

(द) "सुरक्षा स्तर 1" से वह स्तर अभिप्रेत है जिसके लिए हर समय न्यूनतम उचित बचाव सुरक्षा उपाय बनाए रखे जाएंगे;

(ध) "सुरक्षा स्तर 2" से वह स्तर अभिप्रेत है जिसके लिए सुरक्षा घटना के बढ़े हुए जोखिम के परिणामस्वरूप एक समयावधि के लिए उपयुक्त अतिरिक्त संरक्षात्मक सुरक्षा उपायों को बनाए रखा जाएगा;

(न) "सुरक्षा स्तर 3" से वह स्तर अभिप्रेत है, जिसके लिए उस सीमित समय के लिए विशिष्ट सुरक्षा उपायों को बनाए रखा जाएगा, जब सुरक्षा घटना संभावित या आसन्न हो, हालांकि विशिष्ट लक्ष्य की पहचान करना संभव नहीं हो सकता है;

(प) "पोत" से अधिनियम के खंड 3 के उपखंड (59) में परिभाषित पोत से अभिप्रेत है;

(फ) "पोत सुरक्षा अधिकारी" पोत पर मौजूद वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो मास्टर के प्रति उत्तरदायी है, जिसे कंपनी द्वारा पोत की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी नामनिर्दिष्ट किया गया है, जिसमें पोत

सुरक्षा योजना का क्रियान्वयन और रखरखाव, और कंपनी सुरक्षा अधिकारी तथा पत्तन सुविधा सुरक्षा अधिकारियों के साथ संपर्क सम्मिलितहै;

(ब) "पोत सुरक्षा योजना" से पोत पर मौजूद व्यक्तियों, माल, माल परिवहन इकाइयों, पोत के भंडार या पोत को सुरक्षा घटना के जोखिमों से बचाने के लिए तैयार किए गए उपायों के अनुप्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए विकसित की गई योजना अभिप्रेत है;

(भ) "प्रशिक्षण संस्थान" से प्रशासन द्वारा अनुमोदित संस्थान अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है किंतु अधिनियम, या आईएसपीएस अथवा सुरक्षा अभिसमय में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उनके उनमें हैं।

4. सुरक्षा के संबंध में उत्तरदायित्व. – (1) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर प्रत्येक पत्तन सुविधा के लिए उचित सुरक्षा स्तर निर्धारित करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि लागू सुरक्षा स्तर और उसमें किसी भी परिवर्तन की जानकारी अविलंब संबंधित पत्तन सुविधाओं और पोतों को उसके अधिकार क्षेत्र में किसी भी पत्तन में प्रवेश करने से पहले या उसके भीतर रहने के दौरान संप्रेषित की जाए।

(2) प्रशासन अपने ध्वज को फहराने के हकदार जहाज़ों के लिए उचित सुरक्षा स्तर निर्धारित करेगा और ऐसे सुरक्षा स्तर के बारे में समय पर सूचना देना सुनिश्चित करेगा तथा सुरक्षा स्तर में किसी भी परिवर्तन को परिस्थितियों के अनुसार अद्यतन किया जाएगा।

(3) उप-नियम (1) तथा (2) में विनिर्दिष्ट सुरक्षा स्तर का निर्धारण करते समय निम्नलिखित पर उचित ध्यान दिया जाएगा-

(क) खतरे की सूचना की विश्वसनीयता;

(ख) ऐसी सूचना की पुष्टि का स्तर;

(ग) खतरे की विशिष्टता या संनिकटता; और

(घ) किसी सुरक्षा घटना के संभावित परिणाम।

(4) सुरक्षा समझौते के विनियम XI-2/3 और XI-2/7 के अध्यधीन रहते हुए, प्रशासन और नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुरक्षा घटनाओं से बचाव के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

(5) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी किसी मान्यताप्राप्त सुरक्षा संगठन को सुरक्षा समझौते के अध्याय XI-2 और आईएसपीएस संहिता के भाग क के अधीन विनिर्दिष्ट सुरक्षा संबंधी कर्तव्यों, निम्नलिखित के सिवाय करने के लिए अधिकृत कर सकता है, जैसा वह उचित समझे, निम्नलिखित अर्थात्: -

(क) पत्तन सुविधा सुरक्षा आकलन और पत्तन सुविधा सुरक्षा योजनाओं से संबंधित सुरक्षा-संवेदनशील सामग्री की सुरक्षा सुनिश्चित करना;

(ख) पत्तन सुविधा सुरक्षा आकलन तथा पत्तन सुविधा सुरक्षा योजना और उसमें संशोधनों को मंजूरी देना;

(ग) पत्तन सुविधा सुरक्षा अधिकारी को नामनिर्दिष्ट करने के लिए अपेक्षित पत्तन सुविधाओं का निर्धारण करना;

(6) प्रशासन निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा–

(क) पोत सुरक्षा आकलन तथा पोत सुरक्षा योजनाओं से संबंधित सुरक्षा-संवेदनशील सामग्री की सुरक्षा सुनिश्चित करना;

(ख) सुरक्षा समझौते के विनियमन XI-2/9 के अनुसार पोतों के संबंध में नियंत्रण और अनुपालन उपाय करना;

(ग) नियम 6 में यथा विनिर्दिष्ट सुरक्षा की घोषणा के लिए अपेक्षाओं को स्थापित करना;

(घ) किसी भी सुरक्षा उल्लंघन और प्रसंगत शमन उपायों से संबंधित सूचना अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन को संप्रेषित करना और ऐसी सूचना जनता को उपलब्ध कराना; और

(ड.) पोत के प्रचालन में रक्षा और सुरक्षा की अपेक्षाओं के बीच किसी भी अंतर को दूर करना, ताकि सुरक्षा की अपेक्षा प्रभावी रहें, और ज़रूरी निर्देश जारी करना।

(7) प्रशासन तथा नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी, जहां तक उचित समझे जाएं, पोत सुरक्षा योजनाओं तथा पत्तन सुविधा सुरक्षा योजनाओं, जिसमें संशोधन भी सम्मिलितहैं, की प्रभावशीलता का परीक्षण करेंगे।

5. पोत की सुरक्षा के लिए मास्टर की शक्ति. - (1) कंपनी, चार्टरर या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मास्टर को ऐसा कोई निर्णय लेने या निष्पादित करने से बाधित नहीं किया जाएगा, जो मास्टर के पेशेवर निर्णय के अनुसार पोत की रक्षा और सुरक्षा बनाए रखने के लिए आवश्यक है, जिसमें किसी व्यक्ति (प्रशासन द्वारा विधिवत अधिकृत लोगों के भिन्न) या उनके सामान को पहुंच से वंचित करने और माल, कंटेनरों या अन्य बंद माल परिवहन इकाइयों को लोड करने से मना करने का अधिकार सम्मिलितहै।

(2) जहाँ पोत के प्रचालन के दौरान उसकी रक्षा और सुरक्षा के बीच कोई संघर्ष उत्पन्न होता है, तो मास्टर-

(क) पोत की सुरक्षा बनाए रखने के लिए आवश्यक अपेक्षाओं को लागू करेगा;

(ख) अस्थायी सुरक्षा उपाय लागू कर सकते हैं;

(ग) प्रशासन या उस संविदा करने वाली सरकार को सूचित करेगा जिसके पत्तन पर पोत चल रहा है या जिसमें प्रवेश करने का इरादा है।

(3) उप-नियम (2) के अन्तर्गत अपनाए गए कोई भी अस्थायी सुरक्षा उपाय, यथासंभव उच्चतम सीमा तक, विद्यमान सुरक्षा स्तर के समानुपातिक होंगे।

(4) उप-नियम (2) के अन्तर्गत ऐसे मामलों की जानकारी मिलने पर, प्रशासन, संघर्ष को सुलझाने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि पुनरावृत्ति की संभावना न्यूनतम हो।

6. सुरक्षा घोषणा. – (1) प्रशासन या नामनिर्दिष्ट अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, यह निर्धारित करेगा कि पोत और पत्तन के बीच संपर्क या पोत-से-पोत गतिविधि से लोगों, संपत्ति या पर्यावरण को होने वाले जोखिम को देखते हुए सुरक्षा घोषणा की कब अपेक्षित है।

(2) कोई पोत निम्नलिखित परिस्थितियों में सुरक्षा घोषणा का अनुरोध कर सकता है:–

(क) पोत, पत्तन सुविधा की तुलना में उच्च सुरक्षा स्तर पर काम कर रहा है, या कोई दूसरा पोत उसके सामने आ रहा है; या

(ख) कतिपय अंतरराष्ट्रीय समुद्री यात्राओं या उन यात्राओं पर विशिष्ट पोतों को सम्मिलितकरते हुए सरकारों के बीच सुरक्षा घोषणा पर कोई समझौता है; या

(ग) पोत या पत्तन सुविधा से संबंधित कोई सुरक्षा खतरा या सुरक्षा घटना हुई है; या

(घ) पोत ऐसे पत्तन पर है जहां अनुमोदित पत्तन सुविधा सुरक्षा योजना या उसके कार्यान्वयन होना अपेक्षित नहीं है; या

(ड.) पोत, किसी ऐसे दूसरे पोत के साथ पोत-से-पोत गतिविधियां कर रहा है जिसके लिए स्वीकृत पोत सुरक्षा योजना या उसका कार्यान्वयन अपेक्षित नहीं है।

(3) सुरक्षा घोषणा के किसी भी अनुरोध को लागू पत्तन सुविधा या पोत द्वारा अनुसूची-III के अनुसार अंग्रेजी में स्वीकार किया जाएगा।

(4) सुरक्षा की घोषणा निम्नलिखित द्वारा पूरी की जाएगी -

(क) पोत की ओर से मास्टर या पोत सुरक्षा अधिकारी द्वारा; और

(ख) पत्तन सुविधा की ओर से पत्तन सुविधा सुरक्षा अधिकारी या, यदि नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी अन्यथा निर्धारित करते है, तो तट पर सुरक्षा के लिए उत्तरदायी कोई अन्य निकाय।

(5) सुरक्षा घोषणा में उन सुरक्षा अपेक्षाओं को सम्मिलितकिया जाएगा जिन्हें पत्तन सुविधा और पोत के बीच या पोतों के बीच साझा किया जा सकता है और उनमें से प्रत्येक की उत्तरदायित्व का उल्लेख किया जाएगा।

(6) प्रत्येक पोत, सुरक्षा घोषणा का रिकॉर्ड कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए रखेगा।

(7) सुरक्षा स्तर में किसी परिवर्तन के लिए सुरक्षा की नई अथवा संशोधित घोषणा अपेक्षित हो सकती है।

7. कंपनियों और पोतों की उत्तरदायित्व. – (1) कंपनियां, सुरक्षा समझौते के अध्याय XI-2 और आईएसपीएस संहिता के भाग 'क' की लागू अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगी, तथा उक्त संहिता के भाग 'ख' में दिए गए मार्गदर्शन को ध्यान में रखेंगी।

(2) प्रत्येक पोत सुरक्षा समझौते के अध्याय XI-2 और आईएसपीएस संहिता के भाग 'क' की लागू अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा, उक्त संहिता के भाग 'ख' में दिए गए मार्गदर्शन को ध्यान में रखेगा, और ऐसे अनुपालन को उक्त संहिता के भाग 'क' के अनुसार सत्यापित और प्रमाणित किया जाएगा।

(3) किसी संविदाकारी सरकार के क्षेत्र में किसी पत्तन में प्रवेश करने से पहले या पत्तन में रहते हुए, पोत को उस संविदाकारी सरकार द्वारा निर्धारित सुरक्षा स्तर की अपेक्षाओं का अनुपालन करना होगा।

(4) पोत उच्च सुरक्षा स्तर पर किसी भी परिवर्तन पर बिना किसी देरी के प्रतिक्रिया देंगे।

(5) जहां कोई पोत उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं या प्रशासन द्वारा या उप-नियम (3) के अंतर्गत किसी अन्य संविदाकारी सरकार द्वारा निर्धारित सुरक्षा स्तर का अनुपालन करने में असमर्थ है, तो पोत किसी भी पोत और पत्तन इंटरफेस को शुरू करने से पहले या पत्तन में प्रवेश करने से पहले, जो भी पहले हो, सक्षम प्राधिकारी को तदनुसार अधिसूचित करेगा, ताकि सक्षम प्राधिकारी अपेक्षित सुरक्षा स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक उपाय कर सकें।

(6) कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि मास्टर के पास पोत पर हर समय ऐसी सूचना उपलब्ध हो, जिससे प्रशासन द्वारा अधिकृत अधिकारी यह पता लगा सकें कि-

(क) चालक दल के सदस्यों या पोत के कारोबार के सिलसिले में किसी भी क्षमता में पोत पर कार्यरत या नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति के लिए उत्तरदायी व्यक्ति;

(ख) पोत के उपयोग का निर्धारण करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति; और

(ग) किसी भी चार्टर पार्टी के पक्षकार, जिसके अंतर्गत पोत का उपयोग किया जा रहा है।

(7) प्रत्येक कंपनी--

(क) यह सुनिश्चित करेगी कि पोत सुरक्षा योजना में मास्टर के अधिकार पर जोर देने वाला एक स्पष्ट विवरण सम्मिलितहो;

(ख) पोत सुरक्षा योजना में यह उपबंध करना कि मास्टर का पोत की सुरक्षा के संबंध में आवश्यक निर्णय लेने का सर्वोपरि प्राधिकार और उत्तरदायित्व होगी और जहां आवश्यक हो, वहां कंपनी, प्रशासन या किसी संविदाकारी सरकार की सहायता लेने का अधिकार होगा;

(ग) कोई कम्पनी सुरक्षा अधिकारी नामनिर्दिष्ट करना; और

(घ) यह सुनिश्चित करना कि कंपनी सुरक्षा अधिकारी, मास्टर और पोत सुरक्षा अधिकारी को सुरक्षा समझौते के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक सहायता दी जाए।

8. मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन के कर्तव्य. – मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन उन कर्तव्यों का पालन करेगा जो इन नियमों के उद्देश्यों के लिए प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएं।

9. पोत की सुरक्षा. – (1) प्रत्येक पोत, प्रशासन द्वारा निर्धारित सुरक्षा स्तरों पर प्रचालित होगा।

(2) सुरक्षा स्तर 1 पर, हर पोत सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं की पहचान करने और उन्हें रोकने के लिए उचित उपाय लागू करेगा, जिनमें ये उपाय सम्मिलितहैं–

(क) पोत की सुरक्षा से जुड़े सभी कार्यों को ठीक से पूरा करना सुनिश्चित;

(ख) पोत पर आने-जाने को नियंत्रित करना;

(ग) लोगों और उनके सामान के पोत पर चढ़ने को नियंत्रित करना;

(घ) प्रतिबंधित क्षेत्रों की निगरानी करना ताकि यह पक्का किया जा सके कि वहाँ केवल अधिकृत लोग ही जा सकें;

(ड.) डेक क्षेत्रों और पोत के आस-पास के क्षेत्रों की निगरानी करना;

(च) पोत में कार्गो और सामान को संभालने की देखरेख करना; और

(छ) यह सुनिश्चित करना कि सुरक्षा संचार तत्काल उपलब्ध हो।

(3) सुरक्षा स्तर 2 पर, प्रत्येक पोत, उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक उपाय के लिए, आईएसपीएस संहिता के भाग 'ख' और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, पोत सुरक्षा योजना में बताए गए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू करेगा।

(4) सुरक्षा स्तर 3 पर, हर पोत, उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट हर उपाय के लिए, आईएसपीएस संहिता के भाग 'ख' और सुरक्षा स्तर 3 को लागू करने के लिए प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, पोत सुरक्षा योजना में विनिर्दिष्ट विशिष्ट सुरक्षा उपाय लागू करेगा।

(5) जहां सुरक्षा स्तर बदले जाते हैं, तो पोत को ऐसे बदलाव से जुड़े निर्देशों की पावती की पुष्टि करनी होगी।

(6) पत्तन में प्रवेश करने से पहले, पत्तन में रहने के दौरान, या भारत के भूभगीय जलक्षेत्र में रहने के दौरान, जहाँ सुरक्षा स्तर 2 या सुरक्षा स्तर 3 लागू हो, पोत को–

(क) लागू सुरक्षा स्तर से जुड़े निर्देशों की पावती की पुष्टि करनी होगी;

(ख) पत्तन सुविधा सुरक्षा अधिकारी को यह पुष्टि करेगा कि पोत सुरक्षा योजना में विनिर्दिष्ट उचित उपाय और प्रक्रियाएँ शुरू कर दी गई हैं; और

(ग) जहाँ सुरक्षा स्तर 3 लागू हो, वहाँ प्रशासन द्वारा जारी किसी भी अतिरिक्त निर्देश का पालन करना होगा।

(7) यदि किसी पोत को इस नियम के अंतर्गत उपाय लागू करने में कोई कठिनाई आती है, तो पोत सुरक्षा अधिकारी तुरंत इस मामले की सूचना पत्तन सुविधा सुरक्षा अधिकारी को देगा, और दोनों अधिकारी उचित कार्रवाई निर्धारित करने के लिए आपस में संपर्क और समन्वय करेंगे।

(8) जहां कोई पोत किसी ऐसे पत्तन पर उस स्तर से उंचें स्तर पर प्रचालन कर रहा है जो उससे अधिक है जहां उसे प्रवेश करना है या जिसमें वह पहले से अवस्थित है, या प्रशासन ने ऐसा करने को कहां है, तो पोत को बिना किसी देरी के प्रशासन और पत्तन सुविधा सुरक्षा अधिकारी को इस ऊँचे सुरक्षा स्तर के बारे में बताना होगा:

परन्तु यह कि पोत का सुरक्षा अधिकारी, पत्तन सुविधा सुरक्षा अधिकारी के साथ तालमेल बिठाए और ज़रूरी अतिरिक्त उपाय करेगा।

(9) जहां प्रशासन को किसी अन्य संविदाकारी सरकार के पत्तन में किसी भारतीय पोत से सुरक्षा स्तर 2 या सुरक्षा स्तर 3 पर प्रचालन करने की अपेक्षा है, तो वह बिना देरी के उस राज्य की सरकार को तदनुसार सूचित करेगा।

(10) जहां प्रशासन भारत के भूभागीय जल क्षेत्र में प्रचालन करने वाले पोतों या ऐसे जल में प्रवेश करने का इरादा रखने वाले पोतों के लिए सुरक्षा स्तर निर्धारित करता है, वह ऐसे पोतों को लागू सुरक्षा स्तर की जानकारी देगा और-

(क) उन्हें सतर्कता बनाए रखने की सलाह देगा और उनके ध्यान में आने वाली किसी भी सूचना, जो क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है, की प्रशासन और किसी नजदीकी तटीय राज्य को तुरंत रिपोर्ट करेगा; और

(ख) उन्हें किसी सभी सुरक्षा उपायों के बारे में सलाह देगा जिन्हें उन्हें लागू करना है और, जहाँ उचित हो, पहचाने गए खतरे से बचाने के लिए प्रशासन द्वारा उठाए गए उपायों के बारे में बताएगा।

10. पोत सुरक्षा आकलन. – (1) कंपनी सुरक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी के बेड़े के प्रत्येक पोत के लिए पोत की सुरक्षा का आकलन करने के लिए उपयुक्त कौशल वाले व्यक्तियों द्वारा पोत सुरक्षा आकलन किया जाए।

(2) कोई मान्यताप्राप्त सुरक्षा संगठन किसी विशिष्ट पोत का पोत सुरक्षा आकलन कर सकता है।

(3) पोत सुरक्षा आकलन में कम से कम निम्नलिखित तत्वों का सत्यापन करने के लिए घटनास्थल पर सुरक्षा सर्वेक्षण सम्मिलितहोगा, अर्थात: -

(क) विद्यमान सुरक्षा उपायों, प्रक्रियाओं और परिचालनों की पहचान;

(ख) पोत पर मुख्य प्रचालनों की पहचान और मूल्यांकन, जिनकी सुरक्षा करना महत्वपूर्ण है;

(ग) पोत पर होने वाले मुख्य प्रचालन कार्यों को संभावित खतरों और उनके होने की संभावना की पहचान, ताकि सुरक्षा उपाय स्थापित किए जा सकें और उन्हें प्राथमिकता दी जा सके; और

(घ) कमज़ोरियों की पहचान, जिसमें अवसंरचना, नीतियों और प्रक्रियाओं में मानवीय पहलू भी सम्मिलितहैं।

(4) पोत सुरक्षा आकलन आईएसपीएस संहिता के भाग 'ख' के उपबंधों को ध्यान में रखने के पश्चात् तैयार किया जाएगा।

(5) पोत को सेवा में लगाने से पहले प्रारंभिक पोत सुरक्षा आकलन किया जाएगा।

(6) पोत की सुरक्षा का आकलन तब किया जाएगा जब प्रशासन इसे ज़रूरी समझे।

(7) पोत सुरक्षा आकलन का कंपनी द्वारा लिखित दस्तावेज तैयार किया जाएगा, उसकी समीक्षा, स्वीकृति की जाएगी और उसे बनाए रखा जाएगा।

11. पोत सुरक्षा योजना. – (1) प्रत्येक पोत पर प्रशासन द्वारा अनुमोदित एक पोत सुरक्षा योजना होगी, जिसमें इन नियमों और आईएसपीएस संहिता में यथा उपबंधित सुरक्षा स्तर 1, 2 और 3 पर लागू सुरक्षा उपाय उपलब्ध होंगे।

(2) पोत सुरक्षा योजना या उसमें किसी संशोधन की समीक्षा ऐसे मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन द्वारा की जाएगी जो पोत सुरक्षा आकलन, पोत सुरक्षा योजना या समीक्षा के अंतर्गत संशोधन को तैयार करने में सम्मिलितनहीं था।

(3) पोत सुरक्षा योजना को आईएसपीएस संहिता के भाग 'ख' में दिए गए मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए तैयार और विकसित किया जाएगा और इसे अंग्रेजी तथा पोत की कामकाज की भाषा में लिखा जाएगा।

(4) पोत सुरक्षा योजना में निम्नलिखित सम्मिलितहोंगे, अर्थात्: -

(क) हथियारों, खतरनाक पदार्थों और ऐसे उपकरणों, जिनका उद्देश्य लोगों, पोतों और पत्तनों के विरूद्व उपयोग करना है और जिन्हें पोत पर ले जाने का अधिकार नहीं है, को रोकने के लिए तैयार किए गए उपाय;

(ख) प्रतिबंधित क्षेत्रों की पहचान और अनधिकृत पहुंच की रोकथाम के उपाय;

(ग) पोत तक अनधिकृत पहुंच की रोकथाम के उपाय;

(घ) सुरक्षा खतरों या सुरक्षा उल्लंघनों का जवाब देने के लिए प्रक्रियाएँ, जिनमें पोत या पोत और पत्तन इंटरफेस के महत्वपूर्ण प्रचालन को बनाए रखने के उपबंध सम्मिलितहैं;

(ड.) सुरक्षा स्तर 3 पर प्रशासन द्वारा दिए गए किसी भी सुरक्षा निर्देश पर प्रतिक्रिया देने की प्रक्रियाएं;

(च) सुरक्षा खतरों या सुरक्षा उल्लंघनों की स्थिति में निकासी की प्रक्रिया

(छ) सुरक्षा उत्तरदायित्व सौंपे गए पोत पर तैनात कार्मिकों तथा सुरक्षा पहलुओं के संबंध में पोत

पर तैनात अन्य कार्मिकों के कर्तव्य;

(ज) अनुसूची III के अनुसार सुरक्षा गतिविधियों की लेखापरीक्षा के लिए प्रक्रिया;

(झ) पोत सुरक्षा योजना से संबद्ध प्रशिक्षण, ड्रिल और अभ्यास के लिए प्रक्रियाएँ;

(ञ) पत्तन सुविधा सुरक्षा गतिविधियों के साथ इंटरफेस करने की प्रक्रिया;

(ट) पोत सुरक्षा योजना की आवधिक समीक्षा और उसे अद्यतन करने की प्रक्रिया;

(ठ) सुरक्षा घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए प्रक्रिया;

(ड) पोत सुरक्षा अधिकारी की पहचान;

(ढ़) कंपनी सुरक्षा अधिकारी की पहचान और चौबीसों घंटे संपर्क करने का ब्यौरा;

(ण) अनुसूची II के अनुसार बोर्ड पर उपलब्ध कराए गए किसी भी सुरक्षा उपकरण के निरीक्षण, परीक्षण, अंशांकन और रखरखाव को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया;

(त) बोर्ड पर उपलब्ध कराए गए किसी भी सुरक्षा उपकरण के परीक्षण या अंशांकन की आवृत्ति, यदि कोई हो;

(थ) उन स्थानों की पहचान जहां पोत सुरक्षा चेतावनी प्रणाली सक्रियण बिंदु प्रदान किए गए हैं; और

(द) पोत सुरक्षा चेतावनी प्रणाली के उपयोग पर प्रक्रियाएं, निर्देश और मार्गदर्शन, जिसमें गलत चेतावनी को सीमित करने के लिए परीक्षण, एक्टिवेशन, डीएक्टिवेशन और रीसेटिंग सम्मिलितहै।

(5) पोत सुरक्षा योजना अथवा पूर्व में अनुमोदित योजना में संशोधनों के अनुमोदन हेतु प्रस्तुतिकरण के साथ सुरक्षा आकलन भी संलग्न किया जाएगा जिसके आधार पर योजना अथवा संशोधन विकसित किए गए हैं।

(6) पोत सुरक्षा योजना में विनिर्दिष्ट सुरक्षा गतिविधियों की आंतरिक लेखा परीक्षा करने वाले, या ऐसी योजना के कार्यान्वयन का आकलन करने वाले कार्मिक, लेखा परीक्षा की जा रही गतिविधियों से अलग होंगे, जब तक कि यह कंपनी या पोत के आकार और प्रकृति के कारण अव्यवहारिक न हो।

(7) किसी स्वीकृत पोत सुरक्षा योजना या किसी स्वीकृत योजना में विनिर्दिष्ट किसी भी सुरक्षा उपकरण में कोई भी परिवर्तन तब तक लागू नहीं किया जाएगा जब तक कि पोत सुरक्षा योजना में सुसंगत संशोधनों को प्रशासन द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है, और ऐसे कोई भी परिवर्तन सुरक्षा समझौते और आईएसपीएस संहिता में विनिर्दिष्ट उपायों के समान ही प्रभावी होंगे।

(8) प्रशासन द्वारा पोत सुरक्षा योजना या सुरक्षा उपकरण में अनुमोदित परिवर्तनों को उस रीति से प्रलेखित किया जाएगा जो स्पष्ट रूप से ऐसी स्वीकृति को दर्शाता हो जिसे पोत पर उपलब्ध कराया जाएगा और इसे अंतर्राष्ट्रीय पोत सुरक्षा प्रमाण पत्र या अंतरिम पोत सुरक्षा प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

(9) पोत सुरक्षा योजना को इलैक्ट्रॉनिक प्रारूप में रखा जा सकेगा और इसे अनधिकृत पहुंच, विलोपन,

नष्ट होने या संशोधन से सुरक्षित रखा जाएगा।

(10) पोत सुरक्षा योजना के अभिलेख को अनधिकृत पहुंच या प्रकटीकरण से सुरक्षित रखा जाएगा।

(11) जहां प्रशासन द्वारा विधिवत अधिकृत अधिकारी के पास यह मानने के लिए उचित आधार हो कि कोई पोत सुरक्षा समझौते के अध्याय XI-2 या आईएसपीएस संहिता के भाग 'क' की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करता है, और यह कि इस तरह के गैर-अनुपालन को सत्यापित करने या सुधारने का एकमात्र साधन पोत सुरक्षा योजना के सुसंगत उपबंधों की समीक्षा करना है, अधिकारी को संविदाकारी सरकार या संबंधित पोत के मास्टर की पूर्व सहमति से, पोत सुरक्षा योजना के ऐसे हिस्से तक सीमित पहुंच दी जा सकती है, जो गैर-अनुपालन को सत्यापित करने या सुधारने के प्रयोजन के लिए आवश्यक है:

परन्तु यह कि उप-नियम (5) के खंड (ख), (घ), (ड), (छ), (ण), (थ) और (द) से संबंधित पोत सुरक्षा योजना के उपबंध-

(क) गोपनीय जानकारी होंगे; और

(ख) ये निरीक्षण के अध्यधीन नहीं होगा, जब तक कि संविदाकारी सरकार द्वारा अन्यथा सहमति न दी जाए।

12. पोत सुरक्षा चेतावनी प्रणाली. – (1) भारत में रजिस्ट्रीकृत निम्नलिखित पोतों में पोत सुरक्षा चेतावनी प्रणाली स्थापित की जाएगी, अर्थात:-

(क) 1 जुलाई, 2004 को या उसके पश्चात् निर्मित पोत;

(ख) 1 जुलाई, 2004 से पहले बने यात्री पोत जिनमें तेज़ गति वाले यात्री यान भी सम्मिलितहैं), और जो यह प्रणाली 1 जुलाई, 2004 के पश्चात् रेडियो संस्थापन के पहले सर्वेक्षण से पहले लगाया जाना चाहिए;

(ग) 500 सकल टन भार और उससे अधिक के तेल टैंकर, रासायनिक टैंकर, गैस वाहक, थोक वाहक और मालवाहक हाई स्पीड शिल्प जो 1 जुलाई, 2004 से पहले निर्मित हों, और 1 जुलाई 2004 के पश्चात् रेडियो स्थापना के पहले सर्वेक्षण के पश्चात् न बने हों; और

(घ) 500 टन के सकल भार या उससे ज़्यादा वज़न वाले अन्य कार्गो पोत और मोबाइल ऑफ़शोर ड्रिलिंग यूनिट जो 1 जुलाई, 2004 से पहले बने हों, और जो प्रणाली 1 जुलाई, 2006 के पश्चात् रेडियो इंस्टॉलेशन के पहले सर्वे से पहले उपयोग में लाया गया हो।

(2) जब पोत सुरक्षा चेतावनी प्रणाली चालू किया जाएगा, तो यह –

(क) संबंधित कंपनी और प्रशासन द्वारा नामनिर्दिष्ट केंद्र को पोत से तट तक सुरक्षा चेतावनी भेजेगा, जिससे पोत और उसकी अवस्थिति की पहचान हो सकेगी और यह पता चलेगा कि पोत की सुरक्षा खतरे में है या उसमें कोई कमी हुई है;

(ख) किसी भी अन्य पोत को पोत सुरक्षा चेतावनी नहीं भेजना;

(ग) पोत पर कोई भी अलार्म नहीं बजाएगा; और

(ग) तब तक सुरक्षा चेतावनी जारी रखेगा जब तक इसे बंद या फिर से ठीक न रखा जाए।

(3) पोत सुरक्षा चेतावनी प्रणाली-

(क) नौचालन ब्रिज से तथा कम से कम एक अन्य स्थान से सक्रिय की जा सकने में सक्षम होगी तथा पावर बैकअप के साथ एक सुरक्षित कक्ष में फिट की जाएगी; और

(ख) अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा अपनाए गए निष्पादन मानक से कमतर न हों।

(4) पोत सुरक्षा चेतावनी प्रणाली सक्रियण बिंदुओं को इस प्रकार निर्धारित किया जाएगा ताकि पोत सुरक्षा चेतावनी के अनजाने में सक्रिय होने से रोका जा सके।

(5) जब किसी भारतीय रजिस्ट्रीकृत पोत से सुरक्षा की स्थिति की चेतावनी प्राप्त होती है, तो प्रशासन ऐसे चेतावनी पर कार्रवाई करने के लिए पोत स्वामी या कंपनी के सुरक्षा अधिकारी और सुरक्षा एजेंसी से संपर्क करेगा।

(6) भारतीय पोत से सुरक्षा चेतावनी की जानकारी मिलने पर, प्रशासन द्वारा निर्धारित केन्द्र - यदि जलयान भारत के बाहर है - उन तटीय राज्यों को सूचित करेगा जिनके आस-पास संबंधित पोत चल रहा है।

13. अभिलेख. – (1) पोत सुरक्षा योजना में अंतर्विष्ट निम्नलिखित कार्यकलापों के अभिलेख को कम से कम तीन वर्ष की अवधि या, जो प्रशासन द्वारा सुरक्षा अभिसमय को ध्यान में रखते हुए विविनिर्दिष्ट की जाए के लिए पोत पर रखा जाएगा, अर्थात्:-

(क) प्रशिक्षण, ड्रिल और अभ्यास;

(ख) सुरक्षा से जुड़े खतरे और सुरक्षा से जुड़ी घटनाएं;

(ग) सुरक्षा भंग;

(घ) सुरक्षा स्तर में परिवर्तन;

(ड.) पोत की प्रत्यक्ष सुरक्षा से संबंधित संचार, जैसे पोत के लिए या पत्तन सुविधाओं के लिए विशिष्ट खतरे जहां पोत है, या रहा है;

(च) सुरक्षा कार्यकलापों की आंतरिक लेखा परीक्षा और समीक्षा;

(छ) पोत सुरक्षा निर्धारण की आवधिक समीक्षा;

(ज) पोत सुरक्षा योजना की आवधिक समीक्षा;

(झ) योजना में किसी भी संशोधन का कार्यान्वयन;

(ञ) सुरक्षा उपस्कर का रखरखाव, अंशांकन और परीक्षण, यदि कोई हो; और

(ट) पोत सुरक्षा चेतावनी प्रणाली का परीक्षण।

(2) उपनियम (1) में विविनिर्दिष्ट अभिलेख अंग्रेजी तथा पोत की कामकाज की भाषा में बनाए रखे जाएंगे।

(3) उपनियम (1) में विविनिर्दिष्ट अभिलेखों को इलैक्ट्रॉनिक रूपविधान में रखा जा सकेगा और उन्हें अप्राधिकृत पहुंच, विलोपन, नष्ट करने या संशोधन को रोकने के लिए प्रक्रियाओं द्वारा संरक्षित किया जाएगा।

(4) उपनियम (1) में विविनिर्दिष्ट अभिलेखों को अप्राधिकृत पहुंच या प्रकटीकरण से संरक्षित किया जाएगा।

14. कंपनी सुरक्षा अधिकारी. – (1) प्रत्येक कंपनी एक या एक से अधिक कंपनी सुरक्षा अधिकारियों को नामविनिर्दिष्ट करेगी जो कंपनी द्वारा प्रचालित पोतों की संख्या या प्रकार के आधार पर एक या एक से अधिक पोतों के लिए कंपनी सुरक्षा अधिकारी के रूप में कार्य कर सकेंगे:

(2) जहां कंपनी सुरक्षा अधिकारी एक या एक से अधिक पोतों के लिए कंपनी सुरक्षा अधिकारी के रूप में कार्य करता है, तो यह स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जाएगा कि कंपनी सुरक्षा अधिकारी किस पोत के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) कंपनी सुरक्षा अधिकारी के पास निम्नलिखित न्यूनतम अर्हताएं होंगी, अर्थात्:-

(क) 500 सकल टन भार से अधिक के पोत वाली कंपनी के लिए वाणिज्य समुद्री पृष्ठभूमि वाले प्रशासन द्वारा जारी प्रबंधन स्तर सक्षमता प्रमाणपत्र (विदेश गमन); और

(ख) किसी प्रशिक्षण संस्थान से कंपनी सुरक्षा अधिकारी प्रमाण-पत्र:

परन्तु यह कि, 500 सकल टनभार से कम वजन वाले पोतों वाली कंपनी के मामले में, कंपनी सुरक्षा अधिकारी के पास प्रशासन द्वारा जारी प्रचालन स्तर सक्षमता प्रमाण-पत्र (विदेश गमन) के साथ वाणिज्य पोतों पर नौकायन का अनुभव हो और उसके पास किसी प्रशिक्षण संस्थान से कंपनी सुरक्षा अधिकारी प्रमाण-पत्र हो।

(4) कंपनी सुरक्षा अधिकारी निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा, अर्थात्: -

(क) उचित सुरक्षा निर्धारण और अन्य सुसंगत जानकारी का उपयोग करके पोत को मिलने वाले संभावित खतरों के स्तर के बारे में सलाह देना;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि पोत सुरक्षा निर्धारण किया जाए;

(ग) पोत सुरक्षा योजना का विकास, अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करना, कार्यान्वयन और रखरखाव सुनिश्चित करना तथा इसे व्यक्तिगत पोत पर ले जाना;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि पोत सुरक्षा योजना को कार्मिकों को ठीक करने और व्यक्तिगत पोत की सुरक्षा अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए उचित रूप से संशोधित किया गया है;

(ड.) सुरक्षा कार्यकलापों की आंतरिक लेखा परीक्षा और समीक्षा की व्यवस्था करना;

(च) प्रशासन या मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन द्वारा पोत के प्रारंभिक और पश्चात्वर्ती सत्यापन की व्यवस्था करना;

(छ) यह सुनिश्चित करना कि आंतरिक लेखा परीक्षा, आवधिक समीक्षा, सुरक्षा निरीक्षण और अनुपालन के सत्यापन के दौरान चिन्हित कार्मिकों और गैर-अनुरूपताओं को तुरंत ठीक किया जाए और उनसे निपटा जाए;

(ज) सुरक्षा जागरूकता और सतर्कता बढ़ाना;

(झ) पोत की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी कार्मिकों के लिए प्रभावी प्रशिक्षण सुनिश्चित करना;

(ञ) पोत सुरक्षा अधिकारी और पत्तन सुविधा सुरक्षा अधिकारियों के बीच प्रभावी संचार और सहयोग सुनिश्चित करना;

(ट) सुरक्षा अपेक्षाओं और संरक्षा अपेक्षाओं के बीच निरंतरता सुनिश्चित करना; और

(ठ) यह सुनिश्चित करना कि किसी पोत विशेष या पोत के समूह के लिए अनुमोदित किए गए किसी भी वैकल्पिक या समतुल्य व्यवस्था को कार्यान्वित किया जाए और बनाए रखा जाए।

15. पोत सुरक्षा अधिकारी. – (1) किसी प्रशिक्षण संस्थान से पोत सुरक्षा अधिकारी प्रमाण-पत्र धारक पोत के प्रबंधन स्तर के अधिकारी को कंपनी द्वारा पोत का पोत सुरक्षा अधिकारी नामविनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(2) पोत सुरक्षा अधिकारी निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा, जिसमें सम्मिलित हैं -

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि समुचित सुरक्षा उपाय बनाए रखे गए हैं, पोत का नियमित सुरक्षा निरीक्षण करना;

(ख) पोत सुरक्षा योजना के कार्यान्वयन और संशोधन को बनाए रखना तथा पर्यवेक्षण करना;

(ग) पोतों में स्थोरा भंडार की संभाल के सुरक्षा पहलुओं का पोत पर मौजूद अन्य कार्मिकों तथा सुसंगत पत्तन सुविधा सुरक्षा अधिकारियों के साथ समन्वय करना;

(घ) पोत सुरक्षा योजना में उपांतरण का प्रस्ताव करना;

(ड.) आंतरिक लेखा परीक्षा, आवधिक समीक्षा, सुरक्षा निरीक्षण और अनुपालन के सत्यापन और किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई को कार्यान्वित करने के दौरान पहचानी गई किसी भी कमी और गैर-अनुरूपता के बारे में कंपनी सुरक्षा अधिकारी को रिपोर्ट करना;

(च) पोत पर सुरक्षा जागरूकता और सतर्कता बढ़ाना;

(छ) यह सुनिश्चित करना कि पोत पर सवार कार्मिकों को उचित प्रशिक्षण प्रदान किया गया है;

(ज) सभी सुरक्षा घटनाओं की रिपोर्टिंग;

(झ) कंपनी सुरक्षा अधिकारी और पत्तन सुविधा सुरक्षा अधिकारी के साथ पोत सुरक्षा योजना के कार्यान्वयन का समन्वय करना; और

(ञ) यह सुनिश्चित करना कि सुरक्षा उपस्कर, यदि कोई हों, को सही ढंग से चलाया, परीक्षण, अंशांकन और बनाए रखा जाए।

16. पोत सुरक्षा पर प्रशिक्षण, ड्रिल और अभ्यास. – (1) विशिष्ट सुरक्षा कर्तव्य और उत्तरदायित्व निभाने वाले पोत पर तैनात कार्मिकों के पास आईएसपीएस संहिता के भाग 'ख' में दिए गए मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए, उन्हें सौंपे गए कर्तव्यों को निभाने के लिए पर्याप्त ज्ञान और क्षमता होनी चाहिए।

(2) पोत सुरक्षा योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, पोत के प्रकार, पोत कार्मिकों के परिवर्तन, कॉलिंग पत्तन सुविधाओं और आईएसपीएस संहिता के भाग 'ख' में दिए गए मार्गदर्शन सहित अन्य सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हर तीन मास के अंतराल में कम से कम एक बार अभ्यास किया जाएगा।

(3) कंपनी सुरक्षा अधिकारी आईएसपीएस संहिता के भाग 'ख' में दिए गए मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए उचित अंतराल पर अभ्यास में भाग लेकर पोत सुरक्षा योजनाओं के प्रभावी समन्वय और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा।

17. पत्तन सुविधा सुरक्षा. – (1) पत्तन सुविधा, नामविनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्धारित सुरक्षा स्तरों पर कार्य करेगी।

(2) सुरक्षा उपायों और प्रक्रियाओं को पत्तन सुविधा पर ऐसी रीति में लागू किया जाएगा ताकि यात्रियों, पोत कार्मिकों, आगंतुकों, स्थोरा और सेवाओं को कम से कम व्यवधान हो।

(3) सुरक्षा घटनाओं की पहचान करने और उनके विरूद्ध निवारक उपाय करने के लिए तथा आईएसपीएस संहिता के भाग 'ख' में दिए गए मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए, सभी पत्तन सुविधाओं में सुरक्षा स्तर 1 पर उचित उपाय किए जाएंगे, जिनमें सम्मिलित हैं -

(क) सभी पत्तन सुविधा सुरक्षा कर्तव्यों का पालन सुनिश्चित करना;

(ख) पत्तन सुविधा तक पहुंच को नियंत्रित करना;

(ग) लंगर डालने और बर्थिंग क्षेत्रों सहित पत्तन सुविधा की मानीटरी;

(घ) निर्बंधित क्षेत्रों की मानीटरी करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल प्राधिकृत व्यक्तियों की ही पहुंच हो;

(ड.) स्थोरा की चढ़ाई उतराई का पर्यवेक्षण करना;

(च) पोत में भंडार की चढ़ाई उतराई का पर्यवेक्षण करना; और

(छ) यह सुनिश्चित करना कि सुरक्षा संचार तत्काल से उपलब्ध हो।

(4) सुरक्षा स्तर 1 के लिए विविनिर्दिष्ट सुरक्षा उपायों के अतिरिक्त, पत्तन सुविधा सुरक्षा योजना में विविनिर्दिष्ट अतिरिक्त सुरक्षात्मक उपायों को आईएसपीएस संहिता के भाग 'ख' में दिए गए मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा स्तर 2 पर कार्यान्वित किया जाएगा।

(5) पत्तन सुविधा सुरक्षा योजना में विविनिर्दिष्ट विशिष्ट सुरक्षात्मक उपायों को सुरक्षा स्तर 1 और स्तर 2 के लिए विविनिर्दिष्ट सुरक्षा उपायों के अतिरिक्त सुरक्षा स्तर 3 पर कार्यान्वित किया जाएगा, आईएसपीएस संहिता के भाग 'ख' में दिए गए मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए और पत्तन सुविधा, नामविनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा दिए गए किसी भी सुरक्षा अनुदेश का जवाब देगी।

(6) प्रत्येक पत्तन में एक स्वतंत्र, अर्हित और प्रशिक्षित पत्तन सुविधा सुरक्षा अधिकारी होगा।

(7) जहां पोत को -

(क) सुरक्षा अभिसमय की अपेक्षाओं का अनुपालन करने या पोत सुरक्षा योजना में विविनिर्दिष्ट उचित उपायों और प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन में कठिनाई आती है और सुरक्षा स्तर 3 के मामले में, नामविनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा दिए गए किसी सुरक्षा अनुदेशों का पालन करने में कठिनाई आती है, तो पत्तन सुविधा सुरक्षा अधिकारी और पोत सुरक्षा अधिकारी समन्वय करेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे;

(ख) यदि सुरक्षा का स्तर पत्तन सुविधा के स्तर से ज़्यादा है, तो पत्तन सुविधा सुरक्षा अधिकारी को इस मामले की जानकारी नामविनिर्दिष्ट अधिकारी को देनी होगी और पोत सुरक्षा अधिकारी के समन्वय में काम करना होगा और उचित कदम, यदि आवश्यक हो, उठाने होंगे।

18. पत्तन सुविधा सुरक्षा निर्धारण. – (1) सभी भारतीय पत्तन सुविधाओं के लिए पत्तन सुविधा सुरक्षा निर्धारण नामविनिर्दिष्ट प्राधिकारी या मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन द्वारा किया जाएगा:

परन्तु कि जहां पत्तन सुविधा सुरक्षा निर्धारण मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन द्वारा किया जाता है, ऐसे पत्तन सुविधा सुरक्षा निर्धारण की नामविनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा आईएसपीएस संहिता के अनुपालन में समीक्षा की जाएगी और उसे अनुमोदित किया जाएगा।

(2) नामविनिर्दिष्ट प्राधिकारी या मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन, पत्तन सुविधा सुरक्षा आकलन करने के लिए किसी सर्वेक्षक को नामविनिर्दिष्ट कर सकता है।

(3) निर्धारण करने वाले व्यक्तियों के पास आईएसपीएस संहिता के भाग 'ख' में दिए गए मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए, पत्तन सुविधा की सुरक्षा का निर्धारण करने के लिए उपयुक्त कौशल होना चाहिए।

(4) पत्तन सुविधा में परिवर्तित खतरों को ध्यान में रखते हुए पत्तन सुविधा सुरक्षा निर्धारण की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी और उसे अद्यतन किया जाएगा और पत्तन सुविधा में बड़े परिवर्तन होने पर इसकी समीक्षा की जाएगी और उसे अद्यतन किया जाएगा।

(5) पत्तन सुविधा सुरक्षा निर्धारण में निम्नलिखित सम्मिलित होगा-

(क) संरक्षण की अपेक्षा वाली महत्वपूर्ण आस्तियों और अवसंरचना की पहचान और मूल्यांकन;

(ख) आस्तियों तथा अवसंरचना के लिए संभावित खतरों की पहचान तथा उनके घटित होने की संभावना;

(ग) बचाव के उपायों और प्रक्रियात्मक परिवर्तनों की पहचान, चयन और प्राथमिकता निर्धारित करना और संवेदनशीलता को कम करने में उनकी प्रभावशीलता का स्तर; और

(घ) अवसंरचना, नीतियों और प्रक्रियाओं में कमज़ोरियों की पहचान, जिसमें मानवीय कारक भी सम्मिलित हैं।

(6) नामविनिर्दिष्ट प्राधिकारी एक से अधिक पत्तन सुविधाओं को कवर करने के लिए पत्तन सुविधा सुरक्षा निर्धारण की अनुज्ञा दे सकेगा है यदि ऐसी पत्तन सुविधाओं के प्रचालक, स्थान, प्रचालन, उपस्कर और डिजाइन समान हैं।

(7) पत्तन सुविधा सुरक्षा निर्धारण के पूरा होने पर, एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी जिसमें किए गए निर्धारण का सार सम्मिलित होगा, जिसमें प्रत्येक संवेदनशीलता पहलू का विवरण और ऐसी संवेदनशीलता को दूर करने के लिए उपयोग किए जा सकने वाले प्रतिउपाय सम्मिलित होंगे।

(8) उपनियम (7) के अधीन तैयार की गई रिपोर्ट को अप्राधिकृत पहुंच या प्रकटीकरण से सुरक्षित रखा जाएगा।

19. पत्तन सुविधा सुरक्षा योजना. – (1) प्रत्येक पत्तन सुविधा की एक पत्तन सुविधा सुरक्षा योजना होगी जिसे पत्तन सुविधा सुरक्षा अधिकारी द्वारा तैयार और कार्यान्वित किया जाएगा।

(2) पत्तन सुविधा सुरक्षा योजना–

(क) प्रत्येक पत्तन सुविधा के लिए पत्तन सुविधा सुरक्षा निर्धारण के आधार पर विकसित और अनुरक्षित की जाएगी, जिसमें पोत और पत्तन इंटरफेस को ध्यान में रखा जाएगा;

(ख) सुरक्षा स्तर-1, सुरक्षा स्तर-2 तथा सुरक्षा स्तर-3 के लिए उपबंध होंगे;

(ग) नामविनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा;

(घ) आईएसपीएस संहिता के भाग 'ख' में दिए गए मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जाएगा और यह अंग्रेजी में होगा।

(3) पत्तन सुविधा सुरक्षा योजना में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे--

(क) ऐसे उपाय जो लोगों, पोतों या पत्तनों के विरुद्ध उपयोग के लिए अभिप्रेत हथियारों या किसी अन्य खतरनाक पदार्थ और उपकरणों को, जिनका वहन प्राधिकृत नहीं है, पत्तन सुविधा में या किसी पोत पर लाने से रोकने के लिए तैयार किए गए हैं;

(ख) पत्तन सुविधा तक, सुविधा पर खड़े पोतों तक, तथा सुविधा के निर्बंधित क्षेत्रों तक अप्राधिकृत पहुंच को रोकने के लिए तैयार किए गए उपाय;

(ग) सुरक्षा खतरों या सुरक्षा भंग का जवाब देने के लिए प्रक्रियाएँ, जिसमें पत्तन सुविधा या पोत और पत्तन इंटरफेस के महत्वपूर्ण प्रचालन को बनाए रखने के उपबंध सम्मिलित हैं;

(घ) उस संविदाकारी सरकार द्वारा दिए गए सुरक्षा स्तर 3 पर किसी भी सुरक्षा अनुदेशों का जवाब देने के लिए प्रक्रियाएँ, जिसके क्षेत्र में पत्तन सुविधा स्थित है;

(ड.) सुरक्षा खतरों या सुरक्षा भंग के मामले में निकासी के लिए प्रक्रिया;

(च) सुरक्षा उत्तरदायित्व सौंपे गए पत्तन सुविधा कार्मिकों और सुरक्षा पहलुओं संबंधी अन्य सुविधा कार्मिकों के कर्तव्य;

(छ) पोत सुरक्षा कार्यकलापों के साथ इंटरफेस करने के लिए प्रक्रियाएँ;

(ज) योजना की आवधिक समीक्षा और अद्यतनीकरण के लिए प्रक्रिया;

(झ) सुरक्षा घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए प्रक्रिया;

(ञ) पत्तन सुविधा सुरक्षा अधिकारी की पहचान और चौबीसों घंटे संपर्क सूत्र के ब्यौरा;

(ट) योजना में अंतर्विष्ट सूचना की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय;

(ठ) पत्तन सुविधा पर स्थोरा तथा स्थोरा उठाई चढ़ाई उपस्कर की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैयार किए गए उपाय;

(ड) पत्तन सुविधा सुरक्षा योजना की लेखा परीक्षा करने की प्रकिया;

(ढ़) पत्तन सुविधा पर किसी पोत की पोत सुरक्षा चेतावनी प्रणाली सक्रिय होने की स्थिति में प्रतिक्रिया करने की प्रक्रिया और

(ण) किनारे पर छुट्टी, कर्मीदल सदस्य परिवर्तन, विज़िटर और नाविकों के कल्याण और श्रम संगठन के प्रतिनिधियों तक पहुँच को आसान बनाने की प्रक्रिया।

(4) नामविनिर्दिष्ट प्राधिकारी पत्तन सुविधा सुरक्षा योजना में किए गए संशोधनों को अनुमोदन देगा।

(5) पत्तन सुविधा सुरक्षा योजना को इलेक्ट्रॉनिक रूपविधान में रखा जाएगा और इसकी अप्राधिकृत पहुँच, विलोपन, संशोधन को रोकने के लिए प्रक्रियाओं द्वारा संरक्षित किया जाएगा।

(6) पत्तन सुविधा सुरक्षा योजना के अभिलेखों को अप्राधिकृत पहुंच या प्रकटीकरण से सुरक्षित रखा जाएगा।

(7) नामविनिर्दिष्ट प्राधिकारी एक पत्तन सुविधा सुरक्षा योजना को एक से अधिक पत्तन सुविधाओं को कवर करने की अनुज्ञा दे सकेगा यदि ऐसी पत्तन सुविधाओं के प्रचालक, स्थान, उपस्कर और तैयार समान हैं।

(8) योजना में विविनिर्दिष्ट सुरक्षा क्रियाकलापों की आंतरिक लेखा-परीक्षा करने वाले या इसके कार्यान्वयन

का मूल्यांकन करने वाले कार्मिक, लेखा-परीक्षा किए जा रहे क्रियाकलापों से अलग होंगे।

(9) यदि पत्तन सुविधा सुरक्षा योजना के संबंध में वैकल्पिक व्यवस्था को नामविनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञा दी गई है, तो इसकी विशिष्टियां प्रशासन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन को सूचित किए जाएंगे।

20. पत्तन सुविधा सुरक्षा सलाहकार समिति. – (1) पत्तन सुविधाओं की सुरक्षा के प्रयोजनों के लिए प्रयोजनार्थ, पत्तन किसी पत्तन सुविधा सुरक्षा सलाहकार समिति का गठन कर सकेगा जिसमें निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि सम्मिलित होगा, अर्थात्: -

(क) संबंधित पत्तनों के पत्तन सुविधा सुरक्षा अधिकारी;

(ख) सीमा शुल्क विभाग;

(ग) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो;

(घ) केंद्रीय आसूचना अभिकरण;

(ड.) राज्य आसूचना अभिकरण;

(च) केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल;

(छ) स्थानीय पुलिस;

(ज) आव्रजन विभाग;

(झ) भारतीय नौसेना;

(ञ) भारतीय तटरक्षक बल;

(ट) राज्य समुद्री सुरक्षा समन्वयक; और

(ठ) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार का कोई भी अन्य अभिकरण, जैसा कि संबंधित पत्तन के अध्यक्ष या मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा उचित समझा जाए।

(2) महापत्तन का अध्यक्ष, पत्तन सुविधा सुरक्षा सलाहकार समिति का प्रमुख होगा तथा उसकी किसी भी बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(3) महापत्तन से भिन्न अन्य पत्तन के मामले में, समुद्री बोर्ड के प्रमुख या संबंधित राज्य सरकार, ऐसे पत्तन के कामकाज के संबंध में, अपनी अधिकारिता के अधीन के सभी पत्तन की पत्तन सुविधा सुरक्षा सलाहकार समिति की अध्यक्षता करेंगे:

परन्तु यह कि जहां महापत्तन (गैर-एक्ज़िम या गैर-कंटेनर पत्तन) से भिन्न अलावा अन्य पत्तन की पत्तन सुविधा सुरक्षा सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समुद्री बोर्ड या राज्य सरकार के सचिव के नामनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा की जाती है, वहां पत्तन सुविधा सुरक्षा सलाहकार समिति की रिपोर्ट को पत्तन के अध्यक्ष या मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अनुमोदित की जाएगी।

UNCOMPLYCAT Simplifying compliance

(4) पत्तन सुविधा सुरक्षा सलाहकार समिति पत्तन की सुरक्षा समीक्षा के लिए प्रत्येक छह मास कम से कम एक बार बैठक करेगी:

परन्तु यह कि यदि अपेक्षित हो, तो समिति संबंधित पत्तन की खतरे की धारणा के आधार पर नियमित अंतराल पर बैठक करेगी।

(5) पत्तन सुविधा सुरक्षा सलाहकार समिति पत्तन की अनुमोदित पत्तन सुविधा सुरक्षा योजना की समीक्षा करेगी:

परन्तु यह कि समिति द्वारा स्वीकार किए गए किसी भी प्रस्तावित संशोधन को पत्तन सुविधा सुरक्षा योजना में सम्मिलित किया जाएगा और मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन द्वारा समीक्षा के पश्चात् परीक्षा और अनुमोदित के लिए इसे नामविनिर्दिष्ट अधिकारी को भेजा जाएगा।

(6) जहाँ कोई नया पत्तन, पत्तन सुविधा सुरक्षा सलाहकार समिति गठित करता है, वहाँ निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन किया जाएगा, अर्थात्:-

(क) ऐसे पत्तन के लिए पत्तन सुविधा सुरक्षा तैयार करने में समिति के सदस्यों के विचारों पर पर्याप्त रूप से ध्यान दिया जाएगा;

(ख) पत्तन सुविधा सुरक्षा योजना की मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन द्वारा समीक्षा की जाएगी;

(ग) सत्यापन और अनुमोदन के लिए नामविनिर्दिष्ट प्राधिकारी को सौंपने से पहले समिति द्वारा पत्तन सुविधा सुरक्षा योजना की जाँच की जाएगी।

(7) पत्तन सुविधा सुरक्षा योजना के अनुमोदन के पश्चात, संबंधित पत्तन, यथास्थिति सुरक्षा लेखापरीक्षा तथा अनुपालन विवरण जारी करने तथा उसके वार्षिक सत्यापन के लिए, अधिकारिता वाले समुद्री वाणिज्य विभाग या नामविनिर्दिष्ट प्राधिकारी से संपर्क करेगा।

21. पत्तन सुविधा सुरक्षा अधिकारी. – (1) प्रत्येक पत्तन सुविधा के लिए एक पत्तन सुविधा सुरक्षा अधिकारी नामविनिर्दिष्ट किया जाएगा, जिसके कर्तव्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे-

(क) सुसंगत पत्तन सुविधा सुरक्षा निर्धारण को ध्यान में रखते हुए, पत्तन सुविधा का प्रारंभिक व्यापक सुरक्षा सर्वेक्षण करना;

(ख) पत्तन सुविधा सुरक्षा योजना की तैयारी सुनिश्चित करना;

(ग) पत्तन सुविधा सुरक्षा योजना को कार्यान्वित करना;

(घ) उचित सुरक्षा उपायों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए पत्तन सुविधा का नियमित सुरक्षा निरीक्षण करना;

(ड.) कार्मिकों को ठीक करने और पत्तन सुविधा पर लागू परिवर्तनों को ध्यान में रखने के लिए योजना को अद्यतन करने के लिए पत्तन सुविधा सुरक्षा योजना में उचित संशोधनों की सिफारिश करना और उन्हें सम्मिलित करना;

(च) पत्तन सुविधा कार्मिकों की सुरक्षा जागरूकता और सतर्कता बढ़ाना;

(छ) पत्तन सुविधा की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी कार्मिकों को पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करना सुनिश्चित करना;

(ज) अपने सुसंगत अधिकारियों को रिपोर्ट करना और पत्तन सुविधा की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाली घटनाओं का अभिलेख रखना;

(झ) कंपनी और पोत सुरक्षा अधिकारियों के साथ पत्तन सुविधा सुरक्षा योजना के कार्यान्वयन का समन्वय करना;

(ञ) सुरक्षा सेवाओं के साथ समन्वय करना, जैसा उपयुक्त हो;

(ट) यह सुनिश्चित करना कि पत्तन सुविधा की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी कार्मिकों के लिए मानक पूरे किए गए हों;

(ठ) यह सुनिश्चित करना कि सुरक्षा उपस्कर उचित प्रकार से प्रचालित, परीक्षण, अंशांकित और अनुरक्षित हो;

(ड) पोत पर चढ़ने के इच्छुक लोगों की पहचान की पुष्टि करने में पोत सुरक्षा अधिकारियों की सहायता करना;

(ढ) राज्य समुद्री सुरक्षा समन्वयकों के माध्यम से स्थानीय समुद्री सुरक्षा अभिकरणों (भारतीय नौसेना या तटरक्षक बल या सुरक्षा प्रबंधन योजना) के साथ समन्वय स्थापित करना ताकि किसी घटना के संबंध में तटीय सुरक्षा स्तरों के संबंध में समुद्री सुरक्षा अभिकरणों का आकलन किया जा सके या पत्तन सुरक्षा स्तरों को उन्नयन या अवनयन किया जा सके;

(ण) पत्तन के वाणिज्य प्रचालन को प्रभावित किए बिना, समुद्री सुरक्षा अभिकरणों, भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा या सुरक्षा प्रबंधन योजना के अधीन, यथास्थिति, पर्याप्त पूर्व सूचना के अध्यधीन, सभी तटीय, पत्तन या समुद्री सुरक्षा अभ्यासों में पत्तन सुविधा सुरक्षा संगठन की भागीदारी सुनिश्चित करना।

(2) पत्तन, सुरक्षा अभिसमय, आईएसपीएस संहिता तथा इन नियमों के अधीन कर्त्तव्यों के पालन के लिए पत्तन सुविधा सुरक्षा अधिकारी को सुविधाएं प्रदान करेगा।

(3) पत्तन सुविधा सुरक्षा अधिकारी के पास निम्नलिखित न्यूनतम अर्हताएं होंगी, अर्थात्: -

(क) महापत्तन के लिए, प्रशासन द्वारा जारी प्रबंधन स्तर सक्षमता प्रमाणपत्र (विदेश गमन) जिसमें वाणिज्य समुद्री पृष्ठभूमि हो;

(ख) महापत्तनों से भिन्न पत्तनों के लिए -

(i) तीन सौ मीटर और उससे अधिक लंबाई वाले घाट के साथ-

(क) प्रबंधन स्तर सक्षमता प्रमाणपत्र (प्रशासन द्वारा जारी विदेश यात्रा); या

(ख) भूतपूर्व सैनिकों के मामले में, कम से कम भारतीय नौसेना में कमांडर के पद या भारतीय तटरक्षक बल में समतुल्य पद पर सेवा की हो;

(ii) तीन सौ मीटर से कम लंबाई वाले घाट के साथ,-

(क) प्रचालन स्तर अधिकारी के स्तर पर वाणिज्य पोत पर नौकायन का अनुभव होना चाहिए; या (ख) भूतपूर्व सैनिकों के मामले में, कम से कम भारतीय नौसेना में लेफ्टिनेंट कमांडर के पद या भारतीय तटरक्षक बल में समतुल्य पद पर सेवा की हो;

(ग) तटीय जलयान के मास्टर या चीफ़ इंजीनियर:

परन्तु यह कि नामविनिर्दिष्ट प्राधिकारी गैर-एग्जिम पत्तन के लिए ऊपर दी गई अर्हता शिथिल कर सकेगा।

(4) एग्जिम पत्तन सुविधा एक उप पत्तन सुविधा अधिकारी नियुक्त करेंगी, जिसके पास ये अर्हताएं होनी चाहिए: –

(क) वाणिज्य समुद्री पृष्ठभूमि वाले प्रशासन द्वारा जारी प्रबंधन स्तर सक्षमता प्रमाण-पत्र (निकट तटीय पोत); या

(ख) प्रशासन द्वारा जारी प्रचालन स्तर सक्षमता प्रमाण पत्र (विदेश गमन); या

(ग) पत्तन सुविधा सुरक्षा अधिकारी प्रमाणपत्र; और

(घ) भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल से कमीशन अधिकारी के रैंक पर हो और पत्तन सुविधा सुरक्षा अधिकारी पाठ्यक्रम किया हो।

(5) पत्तन सुविधा सुरक्षा अधिकारी और पत्तन सुविधा सुरक्षा कार्मिकों के पास अपेक्षित ज्ञान होगा और उन्होंने आईएसपीएस संहिता के भाग 'ख' में अंतर्विष्ट मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण प्राप्त किया होगा।

22. पत्तन सुविधा सुरक्षा पर प्रशिक्षण, ड्रिल और अभ्यास. – पत्तन सुविधा सुरक्षा योजना के प्रभावी कार्यान्वयन और समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए, आईएसपीएस संहिता के भाग 'ख' में अंतर्विष्ट मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए, प्रचालन के प्रकार, पत्तन के कार्मिक परिवर्तन, पत्तन जिस प्रकार के पोत को सेवा दे रहा है और अन्य सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित अंतराल पर अभ्यास किया जाएगा।

23. पोतों का सत्यापन. – (1) प्रत्येक पोत, जिस पर आईएसपीएस संहिता का भाग क लागू होता है, निम्नलिखित सत्यापन के अध्यधीन होगा, अर्थात्: -

(क) पोत को सेवा में लगाने से पहले या इन नियमों के अधीन अपेक्षित प्रमाणपत्र पहली बार जारी करने से पहले एक प्रारंभिक सत्यापन, जिसमें पोत की सुरक्षा प्रणाली और सुरक्षा अभिसमय,

आईएसपीएस संहिता के भाग 'क' और अनुमोदित पोत सुरक्षा योजना के सुसंगत उपबंधों द्वारा कवर किए गए किसी भी सहयुक्त सुरक्षा उपस्कर का पूर्ण सत्यापन सम्मिलित होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पोत की सुरक्षा प्रणाली और सहयुक्त सुरक्षा उपस्कर -

(i) सुरक्षा अभिसमय और आईएसपीएस संहिता के भाग 'क' की लागू अपेक्षाओं का अनुपालन करते हैं; और

(ii) समाधानप्रद स्थिति में हैं और उस सेवा के लिए उपयुक्त हैं जो पोत द्वारा दी जानी है;

(ख) प्रशासन द्वारा विविनिर्दिष्ट अंतराल पर नवीकरण सत्यापन, पांच वर्ष से अधिक नहीं, इन नियमों में अन्यथा विविनिर्दिष्ट के सिवाय ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पोत की सुरक्षा प्रणाली और किसी सहयुक्त सुरक्षा उपस्कर और अनुमोदित पोत सुरक्षा योजना -

(i) सुरक्षा अभिसमय और आईएसपीएस संहिता के भाग 'क' की लागू अपेक्षाओं का अनुपालन करती है; और

(ii) समाधानप्रद स्थिति में है और उस सेवा के लिए उपयुक्त है जो पोत द्वारा दी जानी है;

(ग) प्रमाणपत्र के दूसरे और तीसरे वर्ष की दिनांक के बीच प्रमाणपत्र पर कम से कम एक मध्यवर्ती सत्यापन किया जाएगा जिसमें सुरक्षा प्रणाली और पोत के किसी सहयुक्त सुरक्षा उपस्कर का निरीक्षण सम्मिलित होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह उस सेवा के लिए समाधानप्रद है जो पोत द्वारा दी जानी है;

(घ) प्रशासन द्वारा यथाअवधारित किया गया कोई भी अतिरिक्त सत्यापन।

(2) उप नियम (1) में विविनिर्दिष्ट सत्यापन अनुसूची 4 के अनुसार प्रशासन के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा:

परन्तु यह कि प्रशासन, सत्यापन का काम किसी मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन या अधिकारिता वाले समुद्री वाणिज्य विभाग के मुख्य अधिकारी को सौंप सकता है।

(3) प्रशासन सत्यापन की पूर्णता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करेगा तथा इन नियमों के अधीन अपनी बाध्यताओं का निर्वहन करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करेगा।

(4) सत्यापन के पश्चात्, पोत के सुरक्षा प्रणाली और किसी सहयुक्त सुरक्षा उपस्कर को इस तरह बनाए रखा जाएगा कि वे 'सुरक्षा अभिसमय', 'आईएसपीएस संहिता' के 'भाग क' और अनुमोदित की गई 'पोत सुरक्षा योजना' के दूसरे उपबंधों के अनुरूप हों:

परन्तु यह कि ऐसे किसी भी सत्यापन के पश्चात्, प्रशासन की पहले से अनुमोदन के बिना पोत की सुरक्षा प्रणाली, किसी सहयुक्त सुरक्षा उपस्कर या अनुमोदित की गई 'पोत सुरक्षा योजना' में कोई परिवर्तन न किया जाए।

24. अंतर्राष्ट्रीय पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी करना या उसका पृष्ठांकन करना. – अंतर्राष्ट्रीय पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र, प्रारंभिक या नवीकरण सत्यापन के पश्चात् अनुसूची 5 में विविनिर्दिष्ट रूपविधान में जारी किया जाएगा। इसे प्रशासन, मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन या अधिकारिता वाले समुद्री वाणिज्य विभाग द्वारा जारी या पृष्ठांकित किया जाएगा:

परन्तु यह कि कोई दूसरी संविदाकारी सरकार, प्रशासन के अनुरोध पर, पोत को सत्यापित करवा सकेगी और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आईएसपीएस संहिता के उपबंधों का पालन किया गया है, तो वह पोत के लिए अंतर्राष्ट्रीय पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी कर सकेगी या जारी करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी, और जहाँ उचित हो, इन नियमों के अनुसार उस प्रमाणपत्र का पृष्ठांकन कर या पृष्ठांकन के लिए प्राधिकृत कर सकेगी:

परंतु यह और कि प्रमाणपत्र की एक प्रति और सत्यापन रिपोर्ट की एक प्रति शीघ्रातिशीघ्र अनुरोध करने वाली संविदाकारी सरकार को भेजी जाएगी:

परन्तु यह भी कि इस प्रकार जारी किए गए प्रमाणपत्र में इस आशय का उल्लेख होगा कि इसे संविदाकारी सरकार के अनुरोध पर जारी किया गया है और इसकी वही मान्यता और प्रभाव होगा जो प्रशासन द्वारा जारी प्रमाण-पत्र का होता है।

25. प्रमाणपत्र की अवधि और विधिमान्यता. – (1) अंतर्राष्ट्रीय पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र ऐसी अवधि के लिए जारी किया जाएगा, जैसा कि प्रशासन द्वारा विविनिर्दिष्ट किया जाए, जो पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(2) जहां नवीकरण सत्यापन विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति दिनांक से तीन माह के भीतर पूरा हो जाता है, वहां नया प्रमाणपत्र विद्यमान प्रमाणपत्र की अवसान की दिनांक से पांच वर्ष से अनधिक अवधि के लिए विधिमान्य होगा।

(3) जहां नवीकरण सत्यापन, विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति दिनांक के पश्चात् पूरा किया जाता है, वहां नया प्रमाणपत्र नवीकरण सत्यापन के पूरा होने की दिनांक से पांच वर्ष से अनधिक अवधि के लिए विधिमान्य होगा।

(4) जहाँ प्रमाण-पत्र पाँच वर्ष से कम अवधि के लिए जारी किया जाता है, वहाँ प्रशासन, प्रमाणपत्र की विधिमान्यता को उसकी समाप्ति दिनांक से आगे आईएसपीएस संहिता में विविनिर्दिष्ट अधिकतम अवधि तक बढ़ा सकेगा:

परन्तु यह कि जहाँ ऐसा प्रमाणपत्र पाँच वर्ष की अवधि के लिए जारी किया जाता है, वहाँ आईएसपीएस संहिता के अधीन अपेक्षित सत्यापन, यथा लागू किए जाएंगे।

(5) जहां नवीकरण सत्यापन पूरा हो गया है, किंतु विद्यमान प्रमाणपत्र के अवसान से पहले नया प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है, प्रशासन, मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन या समुद्री वाणिज्य विभाग, विद्यमान प्रमाणपत्र का समर्थन कर सकते हैं और ऐसा प्रमाणपत्र इसके अवसान की दिनांक से और पांच मास से अनधिक अवधि के लिए विधिमान्य रहेगा।

(6) जहाँ प्रमाणपत्र के अवसान के समय पर, कोई पोत उस पत्तन पर नहीं है जहाँ उसका सत्यापन होना है, वहाँ प्रशासन, प्रमाणपत्र की विधिमान्यता बढ़ा सकता है:

परन्तु यह कि ऐसे विस्तार का अनुदत्त केवल इस प्रयोजन के लिए होगा कि पोत उस पत्तन जहाँ उसका सत्यापन होना है, तक अपनी यात्रा पूरी कर सके और केवल वहां जहां ऐसा करना उचित और सही प्रतीत हो:

परन्तु यह और कि ऐसा विस्तारण तीन माह से अधिक नहीं होगा, और जिस पोत का विस्तारण अनुदत्त किया गया है, वह उस पत्तन पर पहुँचने पर जहाँ उसका सत्यापन होना है, ऐसे विस्तारण के आधार पर नया प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किए बिना उस पत्तन से जाने का हकदार नहीं होगा:

परन्तु यह भी कि जहाँ नवीकरण सत्यापन पूरा हो गया है, वहाँ नया प्रमाणपत्र, ऐसे विस्तारण से पहले विद्यमान प्रमाणपत्र के अवसारन की दिनांक से पाँच वर्ष से अनधिक अवधि के लिए विधिमान्य होगा।

(7) यदि लघु यात्राओं पर जाने वाले किसी पोत को जारी किए गए प्रमाणपत्र की अवधि पूर्वगामी उपबंधों के अधीन नहीं बढ़ाई गई है, तो प्रशासन प्रमाणपत्र की विधिमान्यता को उसके अवसान की दिनांक से एक मास से अनधिक अवधि के लिए बढ़ा सकता है:

परन्तु यह कि जहां नवीनीकरण सत्यापन पूरा हो गया है, तो नया प्रमाणपत्र, ऐसी विस्तारण से पूर्व विद्यमान प्रमाणपत्र के अवसान की दिनांक से पाँच वर्ष से अनधिक अवधि के लिए विधिमान्य होगा।

(8) जहाँ मध्यवर्ती सत्यापन विहित अवधि से पहले पूरा हो जाता है, -

(क) प्रमाणपत्र में विविनिर्दिष्ट अवसान की दिनांक को पृष्ठांकन द्वारा संशोधित कर उस दिनांक के तीन वर्ष से अधिक नहीं की जाएगी, जिस दिनांक को मध्यवर्ती सत्यापन पूरा किया गया था;

(ख) प्रमाण-पत्र में विविनिर्दिष्ट अवसान की दिनांक को अपरिवर्तित भी रखा जा सकता है, परन्तु यह कि एक या अधिक अतिरिक्त सत्यापन किए जाएं ताकि आईएसपीएस संहिता के अधीन विविनिर्दिष्ट सत्यापन के बीच के अधिकतम अंतराल से अधिक न हो।

(9) इन नियमों के अधीन जारी प्रमाणपत्र निम्नलिखित किसी भी मामले में विधिमान्य नहीं रहेगा, अर्थात्: -

(क) यदि सुसंगत सत्यापन इस नियम के अधीन विविनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरा नहीं किए जाते हैं;

(ख) यदि प्रमाणपत्र लागू नियमों के अनुसरण में समर्थित नहीं है;

(ग) जहां कोई कंपनी किसी ऐसे पोत के प्रचालन की उत्तरदायित्व लेती है जिसे पहले उस कंपनी द्वारा प्रचालित नहीं किया गया था; और

(घ) पोत को दूसरे देश के ध्वज में स्थानांतरित करने पर।

(10) जब किसी पोत को अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी दूसरी संविदाकारी सरकार के ध्वज से अंतरित किया जाता है, तो वह संविदाकारी सरकार, यथासाध्य शीघ्रता से, प्रशासन को पारेषण से ठीक पहले पोत के पास मौजूद 'अंतर्राष्ट्रीय पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र' की प्रतियां या उससे सहयुक्त सभी जानकारी, उपलब्ध सत्यापन रिपोर्ट की प्रतियों के साथ भेजेगी।

(11) जब कोई कंपनी ऐसे पोत के प्रचालन की ज़िम्मेदारी लेती है जिसे पहले उसके द्वारा प्रचालित नहीं किया गया था, तो पिछली कंपनी, यथासाध्य शीघ्रता से, प्राप्तकर्ता कंपनी को 'अंतर्राष्ट्रीय पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र' की प्रतियां या उससे सहयुक्त सभी उपलब्ध पारेषित करेगी, और इस नियम के अधीन अपेक्षित सत्यापन को सुकर बनाने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करेगी।

26. अंतरिम प्रमाणन. – (1) नियम 24 के अधीन प्रमाणपत्र केवल तभी जारी किया जाएगा। यदि का यह समाधान हो जाता है कि पोत आईएसपीएस संहिता और सुरक्षा अभिसमय की अपेक्षाओं का अनुपालन करता है:

परन्तु यह कि नियम 24 के अधीन प्रमाणपत्र जारी होने तक, प्रशासन निम्नलिखित मामलों में से किसी में भी अंतरिम अंतर्राष्ट्रीय पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी कर सकता है, अर्थात्: -

(क) प्रमाणपत्र के बिना एक पोत, सुपुर्दगी पर या सेवा में प्रवेश या पुनः प्रवेश से पहले;

(ख) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी संविदाकारी सरकार के ध्वज से पोत का अंतरण;

(ग) किसी ऐसे राज्य से, जो संविदाकारी सरकार नहीं है, अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए पोत का अंतरण; या

(घ) जब कोई कंपनी किसी पोत के प्रचालन की ज़िम्मेदारी लेती है, जो पहले उस कंपनी ने प्रचालित नहीं किया था।

(2) अंतरिम अंतर्राष्ट्रीय पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र केवल तभी जारी किया जाएगा जब अभिहित प्राधिकारी या मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन ने निम्नलिखित शर्तों के अनुपालन का सत्यापन किया है, अर्थात्: -

(क) अंतर्राष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा संहिता के भाग 'क' द्वारा अपेक्षित पोत सुरक्षा निर्धारण पूरा कर लिया गया है;

(ख) सुरक्षा अभिसमय और आईएसपीएस संहिता के भाग 'क' की अपेक्षाओं का अनुपालन करने वाले पोत सुरक्षा योजना की एक प्रति पोत पर उपलब्ध है, और पोत सुरक्षा योजना-

(i) पुनर्विलोकन और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की गई है; और

(ii) पोत पर कार्यान्वित की जा रही है;

(ग) पोत को सुरक्षा अभिसमय की अपेक्षाओं का अनुपालन करने वाली पोत सुरक्षा चेतावनी

प्रणाली प्रदान की गई है;

(घ) कंपनी सुरक्षा अधिकारी ने–

(i) आईएसपीएस संहिता के भाग 'क' के अनुपालन के लिए पोत सुरक्षा योजनाओं का पुनर्विलोकन सुनिश्चित कर लिया है;

(ii) यह सुनिश्चित कर लिया है कि योजना अनुमोदन के लिए प्रस्तुत कर दी गई है;

(iii) यह सुनिश्चित कर लिया है कि योजना पोत पर कार्यान्वित की जा रही है; और

(iv) आवश्यक व्यवस्थाएं जिनके अधीन ड्रिल और अभ्यास, आंतरिक संपरीक्षा की व्यवस्था भी है, स्थापित कर ली हैं, और इस बात का समाधान हो गया है कि पोत, नियम 23 के उप-नियम (1) के अधीन अपेक्षित सत्यापन छह मास की अवधि के भीतर सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेगा;

(ड.) नियम 23 के अधीन अपेक्षित सत्यापन क्रियान्वित करने के लिए व्यवस्था कर दी गई है;

(च) मास्टर, पोत सुरक्षा अधिकारी तथा विविनिर्दिष्ट सुरक्षा कर्तव्यों वाले अन्य पोत के कार्मिक,-

(i) आईएसपीएस संहिता के भाग 'क' के अधीन अपने कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों तथा पोत पर रखी गई सुरक्षा योजना के सुसंगत उपबंधों से परिचित हैं; और

(ii) उन्हें ऐसी जानकारी अंग्रेजी में उपलब्ध कराई गई हैं; और

(छ) पोत सुरक्षा अधिकारी, आईएसपीएस संहिता के भाग 'क' की अपेक्षाओं की अनुपालना करता है।

(3) अंतरिम अंतर्राष्ट्रीय पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र, प्रशासन या मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन द्वारा जारी किया जा सकता है।

(4) अंतरिम अंतर्राष्ट्रीय पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र, इसके जारी होने की दिनांक से छह मास की अवधि के लिए या इन नियमों द्वारा अपेक्षित प्रमाणपत्र जारी होने तक, जो भी पूर्वोत्तर हो, विधिमान्य रहेगा और इसे उस अवधि से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

(5) प्रशासन किसी पोत को पश्चातवर्ती, क्रमानुगत अंतरिम अंतर्राष्ट्रीय पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी नहीं करेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि इस तरह के प्रमाणपत्र का अनुरोध कंपनी या पोत द्वारा प्रारंभिक अंतरिम अंतर्राष्ट्रीय पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र की विधिमान्यता की अवधि से आगे सुरक्षा अभिसमय और आईएसपीएस संहिता के भाग 'क' की अपेक्षाओं के अनुपालन से बचने के प्रयोजन से किया गया है, जैसा कि इन नियमों के अधीन अपेक्षित है।

(6) सुरक्षा अभिसमय के प्रयोजनों के लिए, प्रशासन किसी अंतरिम अंतर्राष्ट्रीय पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र को विधिमान्य प्रमाणपत्र के रूप में स्वीकार करने से पहले स्वयं का समाधान कर सकता है कि इन नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है।

27. प्रमाणन का निलंबन या वापिस लिया जाना. – प्रशासन, निम्नलिखित परिस्थितियों की दशा में अंतर्राष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा प्रमाणपत्र को निलंबित या वापस ले सकता है, अर्थात: -

(क) निर्धारित समय के भीतर सुधारात्मक कार्रवाई पूर्ण नहीं की जाती है;

(ख) आवधिक सत्यापन पूर्ण नहीं किया गया है;

(ग) आईएसपीएस संहिता में संशोधनों पर ध्यान नहीं दिया गया है;

(घ) मामूली गैर-अनुरूपता या प्रमुख गैर-अनुरूपता का साक्ष्य है; या

(ड.) पोत या पत्तन सुविधा के सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली में किए गए सारभूत उपांतरणों की जानकारी प्रशासन को अधिसूचित नहीं की गई है।

28. पत्तन सुविधाओं का सत्यापन और प्रमाणन. – (1) किसी पत्तन सुविधा के अनुपालन का विवरण जारी करने के प्रयोजन के लिए, अभिहित प्राधिकारी निम्नलिखित के द्वारा प्रारंभिक सत्यापन संचालन करेगा–

(क) यह सत्यापित करने के लिए सुसंगत दस्तावेजों की समीक्षा करना कि पत्तन सुविधा सुरक्षा प्रणाली आईएसपीएस संहिता की अपेक्षाओं का अनुपालन करती है; या

(ख) पत्तन सुविधा की संपरीक्षा करके यह सत्यापित किया जाएगा कि पत्तन सुविधा सुरक्षा प्रणाली कम से कम तीन मास की अवधि से प्रभावी रूप प्रचालन कर रही है।

(2) प्रत्येक पत्तन सुविधा जिसके संबंध में अनुपालन विवरण जारी किया गया है, इन नियमों के अधीन जारी प्रमाणपत्र की दूसरी और तीसरी वर्षगांठ की दिनांक के बीच एक मध्यवर्ती सत्यापन किया जाएगा ताकि ऐसे प्रमाणपत्र की विधिमान्यता बनाई रखी जा सके और निम्नलिखित विशिष्टियों को सत्यापित किया जा सके, अर्थात:-

(क) पत्तन सुविधा सुरक्षा प्रणाली का प्रभावी कार्यकरण;

(ख) पत्तन सुविधा सुरक्षा प्रणाली में किए गए कोई भी उपांतरण आईएसपीएस संहिता की अपेक्षाओं का अनुपालन करते हैं; और

(ग) किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का समाधानप्रद कार्यान्वयन।

(3) प्रत्येक पत्तन सुविधा का वार्षिक सत्यापन किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसकी पत्तन सुविधा सुरक्षा प्रणाली आईएसपीएस संहिता की अपेक्षाओं का निरंतर अनुपालन कर रही है।

29. समतुल्य सुरक्षा उपाय कार्यान्वित करने की शक्ति. – यथास्थिति प्रशासन या अभिहित प्राधिकारी, किसी भारतीय पोत, पत्तन सुविधा, या भारतीय पोतों या पत्तन सुविधाओं के एक वर्ग या समूह को जैसी

भी स्थिति हो, इन नियमों के अधीन विहित सुरक्षा उपायों के बदले में समतुल्य सुरक्षा उपायों को कार्यान्वित करने की अनुमति दे सकता है, यदि यह समाधान हो जाता है कि ऐसे समतुल्य सुरक्षा उपाय कम से कम इन नियमों के अधीन उपबंधित उपायों जितने ही प्रभावी हैं:

परन्तु यह कि प्रशासन इस प्रकार अनुमत समतुल्य सुरक्षा उपायों की विशिष्टियां अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन को संसूचित करेगा।

30. पोतों के कर्तव्य. – भारत की अधिकारिता में किसी पत्तन में प्रवेश करने वाले प्रत्येक पोत को ऐसे पत्तन पर पहुंचने से न्यूनतम छियानवे घंटे पहले, अनुसूची 6 में विविनिर्दिष्ट प्ररूप में अभिहित प्राधिकारी को आगमन-पूर्व अधिसूचना (पीएएनएस) प्रस्तुत करनी होगी:

परन्तु यह कि जहां यात्रा की अवधि छियानवे घंटे से कम हो, आगमन-पूर्व अधिसूचना पोत के अंतिम पत्तन से प्रस्थान के दो घंटे के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।

31. निदेश और मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करने की शक्ति. – केन्द्रीय सरकार ऐसे निदेश या मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकती है, जो अधिनियम या इन नियमों से असंगत न हों, जैसा सुरक्षा अभिसमय, आईएसपीएस संहिता या इन नियमों के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हो।

32. फीस. - (1) प्रत्येक पत्तन, पोत, कंपनी, व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, जिन पर ये नियम लागू होते हैं, इन नियमों के अधीन प्रदान की गई सेवाओं के लिए अनुसूची 7 में विविनिर्दिष्ट फीस का संदाय करेंगे।

(2) किसी गैर-अनुपालन के संबंध में संदेय फीस तथा उस पर लागू आवश्यक उपाय अनुसूची 7 में विविनिर्दिष्ट अनुसार होंगे।

(3) इन नियमों के अधीन संदेय समस्त फीस भारत कोष पोर्टल - www.bharatkosh.gov.in के माध्यम से संदत्त की जाएगी।

(4) इन नियमों के अधीन संदत्त की कोई भी फीस प्रतिदाय नहीं की जाएगी।

33. नियंत्रण और अनुपालन उपाय. - प्रत्येक पोत, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, सुरक्षा अभिसमय के अध्याय 11-2 के विनियमन 9 के अनुसरण में नियंत्रण और अनुपालन उपायों के अध्यधीन होगा।

अनुसूची 1

[नियम 2 (क) देखें]

अंतर्राष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा संहिता

तटीय जलयानों, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर और अन्य जलयानों पर लगे जलयानों की अपेक्षाएं

क. तटीय जलयान

क्रम संख्या	जलयान का प्रकार	पोत सुरक्षा योजना	पोत सुरक्षा अधिकारी	कंपनी सुरक्षा अधिकारी	पोत सुरक्षा सतर्कता प्रणाली	सुरक्षा उपस्कर (संलग्न सूची के अनुसार)	ऑटोमैटिक पहचान प्रणाली	अंतर्राष्ट्रीय/ पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र	संपरीक्षा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	3000 जीटी से अधिक का तटीय जलयान	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ (रात्रि दृश्य दूरबीन से भिन्न)	प्रकार क	पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र	मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन या समुद्री वाणिज्य विभाग
2.	500 से 3000 जीटी के बीच के तटीय जलयान	हाँ	हाँ (प्रमाणित होना ज़रूरी नहीं है, किंतु कंपनी के सुरक्षा अधिकारीसे प्रशिक्षण लेना होगा)	हाँ	नहीं	हाँ (रात्रि दृश्य दूरबीन और स्कैनर से भिन्न)	प्रकार क	पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र	मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन या समुद्री वाणिज्य विभाग
3.	तट पर 500 जीटी से कम / 300 जीटी से अधिक के जलयान	हाँ	हाँ (प्रमाणित होना ज़रूरी नहीं है, किंतु कंपनी के सुरक्षा अधिकारीसे	हाँ	नहीं	नहीं	प्रकार क	पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र	मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन या समुद्री वाणिज्य विभाग

UNICOMPLYGATE Simplifying Compliance

			प्रशिक्षण लेना होगा)						
4.	यदि 4 सीमा में प्रचालन कर रहे हों तो 300 जीटी और 500 जीटी के बीच के जलयान और तट पर 300 जीटी से कम के जलयान	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र	मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन या समुद्री वाणिज्य विभाग

टिप्पण: - इसमें 'तटीय जलयानों' से तात्पर्य उन जलयानों से है जो केवल भारतीय तट पर स्थित पत्तनों के बीच ही चलते हैं और विदेशी पत्तनों पर नहीं जाते हैं।

ख. अंतर्राष्ट्रीय यात्रा

क्रम संख्या	जलयान का प्रकार	पोत सुरक्षा योजना	पोत सुरक्षा अधिकारी	कंपनी सुरक्षा अधिकारी	पोत सुरक्षा सतर्कता प्रणाली	सुरक्षा उपस्कर (संलग्न सूची के अनुसार)	ऑटोमैटिक पहचान प्रणाली	अंतर्राष्ट्रीय/ पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र	संपरीक्षा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	500 सकल टनभार या उससे अधिक क्षमता वाले जलयान जो अंतरराष्ट्रीय यात्राओं पर हों और अंतरराष्ट्रीय यात्राओं पर जाने वाले यात्री पोत	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	प्रकार क	अंतर्राष्ट्रीय पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र	मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन या समुद्री वाणिज्य विभाग

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

2.	≥ 500 सकल टनभार या उससे कम क्षमता वाले जलयान जो अंतरराष्ट्रीय यात्राओं पर हों	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ (बिना वेब डिस्प्ले के)	हाँ	प्रकार क	अंतर्राष्ट्रीय पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र	मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन या समुद्री वाणिज्य विभाग

ग. अन्य जलयान

क्रम संख्या	जलयान का प्रकार	पोत सुरक्षा योजना	पोत सुरक्षा अधिकारी	कंपनी सुरक्षा अधिकारी	पोत सुरक्षा सतर्कता प्रणाली	सुरक्षा उपस्कर (संलग्न सूची के अनुसार)	ऑटोमैटिक पहचान प्रणाली	अंतर्राष्ट्रीय/ पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र	संपरीक्षा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	नदी समुद्री जलयान प्रकार 4 और ≥ 500 सकल टन भार	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ (बिना वेब डिस्प्ले के)	हाँ	प्रकार क**	पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र	मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन या समुद्री वाणिज्य विभाग
2.	नदी समुद्री जलयान प्रकार 4 और ≤ 500 सकल टन भार	हाँ	हाँ (प्रमाणित होने की आवश्यकता नहीं है, किंतु कंपनी सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रशिक्षित होना चाहिए)	हाँ	नहीं	हाँ	प्रकार ख	पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र	मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन या समुद्री वाणिज्य विभाग
3.	नदी समुद्री जलयान प्रकार 3 और ≥ 500 सकल टन भार	हाँ	हाँ (प्रमाणित होने की आवश्यकता नहीं है, किंतु कंपनी सुरक्षा	हाँ	नहीं	हाँ	प्रकार ख	पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र	मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन या समुद्री वाणिज्य विभाग

UNCOMPLYGATE Simplifying compliance

			अधिकारी द्वारा प्रशिक्षित होना चाहिए)						
4.	नदी समुद्री जलयान प्रकार 3 और ≤ 500 सकल टन भार	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	प्रकार ख	पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र	मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन या समुद्री वाणिज्य विभाग

टिप्पण :- नदी समुद्र जलयान के लिए पृथक 'पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र' की आवश्यकता नहीं है, चूंकि यह नदी समुद्री जलयान के लिए 'सामंजस्यपूर्ण प्रमाण-पत्र' में सम्मिलितहोगा।

** ≤300 सकल टनभार क्षमता वाले जलयानों पर 'ऑटोमैटिक पहचान प्रणाली ' (प्रकार क या ख) लगाई जा सकती हैं।

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

अनुसूची 2

[नियम 6 (3) और 11(4)(ण) देखें]

सुरक्षा उपस्कर:

क्रम संख्या	सुरक्षा उपस्कर	अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर 500 सकल टनभार या उससे अधिक का जलयान	अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर 500 सकल टनभार का जलयान	तटीय यात्रा पर ≥ 500 सकल टनभार का जलयान	तटीय यात्रा पर ≤ 500 सकल टनभार के जलयान	सकल अपतटीय ड्रिलिंग यूनिट	आवास बार्ज	नदी समुद्र जलयान प्रकार 1	नदी समुद्र जलयान प्रकार 2	नदी समुद्र जलयान प्रकार 3	नदी समुद्र जलयान प्रकार 4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	साधारण अलार्म	1 सं.	1 सं.	1 सं.	1 सं.	1 सं.	1 सं.	1 सं.	1 सं.	1 सं.	1 सं.
2.	हाई बीम टॉर्च	2 सं.	2 सं.	2 सं.	2 सं.	2 सं.	2 सं.	1 सं.	2 सं.	2 सं.	2 सं.
3.	बैटन	2 सं.	2 सं.	2 सं.	2 सं.	2 सं.	2 सं.	2 सं.	2 सं.	2 सं.	2 सं.
4.	कर्मीदल के लिए फोटो पहचान पत्र	सभी कर्मीदल	सभी कर्मीदल	सभी कर्मीदल	सभी कर्मीदल	सभी कर्मीदल	सभी कर्मीदल	सभी कर्मीदल	सभी कर्मीदल	सभी कर्मीदल	सभी कर्मीदल
5.	फ्लड लाइट (स्थिर या वहनीय)	4 सं.	4 सं.	4 सं.	4 सं.	4 सं.	4 सं.	अपेक्षित नहीं	अपेक्षित नहीं	2 सं.	2 सं.
6.	वॉकी-टॉकी	4 सं.	4 सं.	4 सं.	4 सं.	4 सं.	4 सं.	अपेक्षित नहीं	2 सं.	2 सं.	2 सं.
7.	व्हीस्ल्स	4 सं.	4 सं.	4 सं.	4 सं.	4 सं.	4 सं.	3 सं.	3 सं.	3 सं.	3 सं.
8.	डॉग लेग मिरर	2 सं.	2 सं.	2 सं.	2 सं.	2 सं.	2 सं.	1 सं.	2 सं.	2 सं.	2 सं.
9.	हस्तधारित मेटल डिटेक्ट	2 सं.	2 सं.	2 सं.	2 सं.	2 सं.	2 सं.	1 सं.	2 सं.	2 सं.	2 सं.
10.	केबल टाई	पर्याप्त	पर्याप्त	पर्याप्त	र्याप्त	पर्याप्त	पर्याप्त	पर्याप्त	पर्याप्त	पर्याप्त	पर्याप्त
11.	पर्यटकों के लिए अलग-अलग रंग कोड वाले पास	पर्याप्त	पर्याप्त	पर्याप्त	र्याप्त	पर्याप्त	पर्याप्त	र्याप्त	पर्याप्त	पर्याप्त	पर्याप्त
12.	रात्रि दृश्य दूरबीन	1 सं.	1 सं.	1 सं.	1 सं.	1 सं.	1 सं.	अपेक्षित नहीं	अपेक्षित नहीं	1 सं.	1 सं.

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

अनुसूची 3

[नियम 11(4)(ज) देखें]

पोत और पत्तन सुविधा के बीच सुरक्षा घोषणा का प्ररूप*

सुरक्षा घोषणा

पोत का नाम:	
रजिस्ट्री का पत्तन	
अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन संख्या	
पत्तन सुविधा का नाम	

सुरक्षा की यह घोषणा निम्नलिखित क्रियाकलापों के लिए ..... से ..... तक विधिमान्य है।

.....

(*सुसंगत ब्यौरों के साथ क्रियाकलापों की सूची बनाएं*)

निम्नलिखित सुरक्षा स्तरों के अधीन

पोत के लिए सुरक्षा स्तर	
पत्तन सुविधा के लिए सुरक्षा स्तर	

पत्तन सुविधा और पोत, 'पोतों और पत्तन सुविधाओं की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संहिता' के भाग 'क' की अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित सुरक्षा उपायों और उत्तरदायित्वों पर सहमत हैं।

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

		इन स्तंभों के अधीन पोत सुरक्षा अधिकारी या पोत सुविधा सुरक्षा अधिकारी के आद्याक्षर चस्पा करना, उपदर्शित करता है कि यह क्रियाकलाप .....द्वारा सुसगंत अनुमोदित योजना के अनुसार किया जाएगा।
क्रियाकलाप	पत्तन सुविधा	पोत
सभी सुरक्षा कर्तव्यों का सही ढंग से पालन सुनिश्चित करना		
निर्बंधित क्षेत्रों की मॉनीटरी करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल प्राधिकृत कार्मिकों को ही वहाँ जाने की अनुमति है		
पत्तन सुविधा में आने-जाने पर नियंत्रण रखना		
पोत पर आने-जाने पर नियंत्रण रखना		
पोत की मॉनीटरी जिसके अधीन उसके आस-पास के बर्थिंग क्षेत्र भी है।		
कार्गो को संभालना		
पोत के लिए सामान पहुँचाना		

*सुरक्षा घोषणा का यह प्ररूप, पोत और पत्तन सुविधा के बीच उपयोग के लिए है। यदि सुरक्षा घोषणा में दो पोत सम्मिलितकरने हों, तो इस मॉडल में समुचित उपांतरण किए जाने चाहिए।

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

अनुसूची IV

[नियम 22(2) देखें]

भाग- क

समुद्री प्रशासन महानिदेशालय

अंतर्राष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा संहिता

सत्यापन अनुसूची

सत्यापन का प्रकार : अंतरिम या प्रारंभिक या नवीनीकरण या मध्यवर्ती या अतिरिक्त या अनुवर्ती*

जलयान का नाम :

दिनांक :

कंपनी का नाम :

स्थान :

क्रम संख्या	समय से तक अवधि			कार्य या विभाग (प्रारंभिक और समापन बैठकों सहित)
1				प्रारंभिक बैठक
2				दस्तावेज़ों की समीक्षा
3				पोत सुरक्षा अधिकारी और मास्टर का लेखा परीक्षा
4				सुरक्षा प्रक्रिया और रिकॉर्ड का सत्यापन
5				कर्मीदल का साक्षात्कार
6				ड्रिल
7				भौतिक सुरक्षा रोशनी और सुरक्षा उपकरणों का सत्यापन
8				समापन बैठक
9				कुल समय

* यथा उचित हटाएं

टीम लीडर के हस्ताक्षर

UNCOMPLICATE Simplifying Compliance

भाग-ख

समुद्री प्रशासन का महानिदेशालय

अंतर्राष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा संहिता

पोत: प्रारंभिक या अंतरिम या नवीनीकरण या अतिरिक्त * सत्यापन रिपोर्ट

पोत का नाम:	निर्धारण का स्थान : मुंबई
दिनांक:	
समय/ घंटे:	दिन के घंटे: रात्रि के घंटे:
इस दौरान पोत के परिचालन की स्थिति	
रजिस्ट्री का पत्तन: मुंबई	सकल टनभार :
कॉल साइन :	पोत का प्रकार:
निर्माण की दिनांक :	
आधिकारिक संख्या: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन संख्या: ध्वज:	
कंपनी का नाम:	
आईएसएससी/ एसएससी संख्या:	जारी होने की दिनांक : विधिमान्यता दिनांक :
जारीकर्ता: भारत सरकार अंतिम मध्यवर्ती पृष्ठांकन ----------	
दल का नेता: दल के सदस्य:	लेखा-परीक्षा की दिनांक (तिथियां) :
कोई अननुपालन: हाँ या नहीं / गैर- अनुरूपता की संख्या:	
अननुपालन के सभी मामलों की प्रतियां इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं: हाँ/ नहीं/ लागू नहीं होता	
गैर- अनुरूपता का समाधान किया गया: हाँ या नहीं या लागू नहीं होता	

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

यदि गैर- अनुरूपता का समाधान नहीं किया गया है तो अतिरिक्त सत्यापन अपेक्षित: हां या नहीं या लागू नहीं होता।
रिपोर्ट का सारांश:

* **यथा उचित हटाएं**

(क) सुरक्षा प्रणाली के प्रतिनिधि नमूनों के लेखा परीक्षण से यह दर्शित होता है कि सुरक्षा प्रणाली को प्रभावी रूप से कार्यान्वित है: हाँ या नहीं (ख) पोत सुरक्षा योजना में विविनिर्दिष्ट सभी सुरक्षा उपस्कर लागू अपेक्षाओं के अनुरूप हैं: हाँ या नहीं (ग) पोत सुरक्षा योजना में विविनिर्दिष्ट सभी सुरक्षा उपस्कर प्रचालन की दशा में हैं और उस प्रयोजन के लिए उपयुक्त हैं, जिसके लिए वे अभिकल्पित किए गए हैं: हाँ या नहीं
क्या पोत पर रखा गया आईएसएससी 5 मास के लिए विधिमान्य है: हाँ या नहीं / लागू नहीं होता
सिफ़ारिश:
दल के नेता के हस्ताक्षर पोत मास्टर या पोत सुरक्षा अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर

टिप्पण:

1. तटीय जलयानों के लिए अंतरिम प्रमाणपत्र जारी किया जाता है और यह रिपोर्ट केवल इस दशा में पांच मास के लिए विधिमान्य 'अनंतिम पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र' मानी जाएगी, जब सर्वेक्षक पूर्ण अवधि के प्रमाणपत्र के जारी किए जाने की सिफारिश करे।

2. यदि आवश्यक हो, तो सिफारिशों के लिए अतिरिक्त पत्रक संलग्न किए जाएं।

भाग-ग

अंतर्राष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा संहिता संप्रेक्षण और सिफारिशें

दिनांक :

स्थान :

कंपनी सुरक्षा अधिकारी या मास्टर

दल के नेता लेखा-परीक्षा टिप्पण:

पोत पर मौजूद सुरक्षा उपस्करों की प्रचालन स्थिति पर रिपोर्ट

क्रम संख्या	उपस्कर की पहचान	पोत सुरक्षा योजना के अनुसार अवस्थिति	परिचालन हां या नहीं*	टिप्पणियाँ
1	साधारण अलार्म			
2	हाई बीम टॉर्च			
3	बैटन			
4	फोटो पहचान पत्र			
5	फ्लड लाइट			
6	सीटी			
7	डॉग लेग मिरर			
8	हस्तधारित मेटल डिटेक्ट			
9	केबल टाई			
10	अलग-अलग रंग के कूट वाले पास			
11	रात्रि दृष्टि दूरबीन			
12.	स्वचालित पहचान प्रणाली (वर्ग क)			

* यदि पोत पर सुरक्षा उपस्कर लगे हैं, तो सत्यापन लेखा परीक्षा के दौरान उनका परीक्षण किया जाना चाहिए।

लेखा परीक्षक के हस्ताक्षर

दस्तावेज़ों की समीक्षा और अभिलेखों का सत्यापन

दस्तावेज़ों और अभिलेखों की सूची

शीर्षक	दिनांक	समीक्षा की स्थिति	टिप्पणियाँ *
दस्तावेज़			
स्वीकृत पोत सुरक्षा योजना			
पोत की सुरक्षा का निर्धारण			
पोत पर मौजूद अद्यतन निरंतर सार-संग्रह अभिलेख			
स्वचालित पहचान प्रणाली सर्वेक्षण अभिलेख (अंतिम सर्वेक्षण की दिनांक)			
पोत सुरक्षा सतर्क प्रणाली सर्वेक्षण की दिनांक			
ध्वज राज्य की सूचना और परिपत्र			
अभिलेख			
बाहरी सत्यापन			
पत्तन राज्य का नियंत्रण			
आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट			
पोत/कंपनी द्वारा पहचान किए गये अनुपालन और ऐसे अननुलपालन से संबंधित सुधारात्मक कार्रवाई			
ड्रिल और अभ्यास			
प्रशिक्षण			
सुरक्षा भंग (घटना की रिपोर्ट)			
सुरक्षा संचार का अभिलेख			
अनधिकृत पहुँच से सुरक्षित अभिलेख			

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

अभिलेख	हाँ या नहीं	टिप्पणियाँ *
सुरक्षा स्तर में बदलाव		
ध्वज राज्य से संचार		
ध्वज राज्य को पावती		
पत्तन राज्य से संचार (पत्तन सुविधा सुरक्षा अधिकारी के ज़रिए)		
पत्तन राज्य को पावती (पत्तन सुविधा सुरक्षा अधिकारी के ज़रिए)		
ध्वज राज्य से विविनिर्दिष्ट निर्देश		
पत्तन राज्य से विविनिर्दिष्ट निर्देश		
अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन क्रमांक के अनुसार पोत के पतवार पर चिह्नांकन		
पोत सुरक्षा निर्धारण की आवधिक समीक्षा		
पोत सुरक्षा योजना की आवधिक समीक्षा		
पोत सुरक्षा सतर्क प्रणाली (अनिवार्य) और पोत सुरक्षा योजना में उल्लिखित अन्य सुरक्षा उपस्करों का रखरखाव, अंशांकन और परीक्षण		
सुरक्षा की घोषणा (यदि लागू हो)		

टिप्पणियों के अधीन प्रविष्ट की जाने वाली टीका-टिप्पणी का ब्यौरा *

ऊपर दिए गए अनुसार दल के नेता की टिप्पणियाँ और टीका-टिप्पणी हैं (आवश्यक होने पर खाली शीट का उपयोग करें)

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

भाग-घ

समुद्रीय प्रशासन महानिदेशालय

अंतर्राष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा लेखा परीक्षा

जांच सूची

पोत का सत्यापन

अंतरिम या प्रारंभिक या मध्यवर्ती या अतिरिक्त या अंतिम या अनुवर्ती या नवीनीकरण लेखा परीक्षा *

1. क्या अनुमोदित 'पोत सुरक्षा योजना' पोत पर मौजूद है:

   हाँ या नहीं

2. क्या 'पोत सुरक्षा योजना' निम्नलिखित के लिए अनुमोदित है:

   हाँ या नहीं

   क) सीमित क्षेत्र में प्रचालन

   ख) विश्वव्यापी प्रचालन

3. क्या नौवहन महानिदेशक को अनुरोध भेजा गया और लेखा परीक्षा करने का प्राधिकार प्राप्त किया गया है हाँ या नहीं

4. क्या पोत के पास यह दर्शाने का साक्ष्य है कि 'पोत सुरक्षा निर्धारण' कब किया गया था? हाँ या नहीं

5. क्या 'पोत सुरक्षा निर्धारण' में यथा संस्तुत परिवर्तन किए गए हैं?

   हाँ या नहीं

6. पोत पर एसएसपी कब से लागू किया गया है

7. लागू करने का समय

8. कंपनी द्वारा एक आंतरिक लेखा परीक्षा के साथ दो महीने से कम समय

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

हाँ या नहीं / लागू नहीं होता

9. दो महीने से ज़्यादा समय?

हाँ या नहीं / लागू नहीं होता

10. क्या पोत का स्टाफ 'पोत सुरक्षा योजना' के अनुसार है?

हाँ या नहीं

11. क्या लेखा परीक्षा के दौरान कर्मीदल में बड़े पैमाने पर बदलाव (> 25%) होगा?

हाँ या नहीं

12. क्या रात्रि के समय रोशनी की जाँच के लिए पोत उपलब्ध होगा?

हाँ या नहीं

13. क्या पोत प्रचालन की स्थिति में है?

हाँ या नहीं

14. क्या सुरक्षा ड्रिल की गई हैं?

हाँ या नहीं

15. क्या कंपनी सुरक्षा अधिकारी को आईएसपीएस संहिता के भाग क 13.1 और भाग ख 13.2 के अनुसार सुरक्षा प्रशिक्षण मिला है?

हाँ या नहीं

16. क्या पोत के पास सामुद्रिक वाणिज्य प्रशासन महानिदेशालय के परिपत्र और अनुमोदित 'पोत सुरक्षा योजना' के अनुसार न्यूनतम सुरक्षा उपस्कर हैं?

हाँ या नहीं

17. क्या यह दर्शाने का साक्ष्य है कि कंपनी का आशय तय दिनांक तक पोत पर 'पोत सुरक्षा सतर्क प्रणाली ' लगाने की है?

हाँ या नहीं

18. पिछले लेखा परीक्षा से बकाया 'गैर-अनुरूपता, यदि कोई हो

हाँ या नहीं / लागू नहीं

19. आवधिक लेखा-परीक्षा : क्या प्रस्तावित लेखा-परीक्षा की तारीखें तय समय-सीमा के भीतर हैं?

हाँ या नहीं / लागू नहीं होता

नवीनीकरण लेखा-परीक्षा : विद्यमान अंतर्राष्ट्रीय पोत सुरक्षा प्रमाण-पत्र/ पोत सुरक्षा कंपनी की समय-सीमा अवसान हो गई है (यदि हाँ, तो महानिदेशक से अनुमोदन अपेक्षित है)

हाँ या नहीं / लागू नहीं होता

20. यथा उचित हटा दें

समुद्रीय प्रशासन महानिदेशालय

UNCOMPLYCATE Simplifying compliance

भाग-ङ

अंतर्राष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा सत्यापन लॉग

अंतर्राष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा

पोत : **दिनांक :**

<table>
<tr><td colspan="4">लेखा परीक्षक का नाम:</td></tr>
<tr><td colspan="4">लेखा परीक्षा का प्रकार: प्रारंभिक या अंतरिम या मध्यवर्ती या नवीनीकरण या अतिरिक्त या अनुवर्ती*</td></tr>
<tr><td colspan="4">कंपनी का नाम (जैसा कि 'सतत सार-संग्रह अभिलेख' में है): पोत के सत्यापन का ब्यौरा:</td></tr>
<tr><td>पोत का नाम</td><td>अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन संख्या</td><td>लेखा परीक्षा में भूमिका (दल के नेता या सदस्य या अकेले लेखा परीक्षक)</td><td>टीम में कुल संख्या</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">लेखा परीक्षा का स्थान: मुंबई</td><td colspan="2" rowspan="2">लेखा परीक्षा द्वारा सत्यापन:
(नाम, हस्ताक्षर, पद, मोहर और दिनांक)</td></tr>
<tr><td colspan="2">दिनांक :</td></tr>
</table>

* यथा उचित हटाएं

समुद्रीय प्रशासन महानिदेशालय

UNCOMPLYOATE Simplifying Compliance

अंतर्राष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा संहिता

अननुपालन रिपोर्ट: अंतर्राष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा

<table>
<tr><td colspan="3">सत्यापन के प्रकार : अंतरिम या प्रारंभिक या नवीनीकरण या मध्यवर्ती अतिरिक्त*</td></tr>
<tr><td colspan="2">कंपनी का नाम :</td><td>गैर-अनुरूपता संख्या:</td></tr>
<tr><td colspan="2">पोत का नाम :</td><td>अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन संख्या:</td></tr>
<tr><td>विभाग</td><td>अनुभाग</td><td>दिनांक:</td></tr>
<tr><td>अननुपालन</td><td>सुरक्षा उपस्कर</td><td>सुरक्षा प्रणाली</td></tr>
<tr><td colspan="2">अंतर्राष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा संहिता संदर्भ:</td><td>पत्तन पोत सुरक्षा योजना संदर्भ:</td></tr>
<tr><td>लेखा परीक्षा / पोत सुरक्षा अधिकारी/ मास्टर</td><td>दल का नेता</td><td>लेखा परीक्षा दल के सदस्य</td></tr>
<tr><td colspan="3">सुधारात्मक कार्रवाई रिपोर्ट</td></tr>
<tr><td colspan="2">पोत सुरक्षा अधिकारी/मास्टर:</td><td>पूरा होने की प्रस्तावित दिनांक:
पूरा होने की वास्तविक दिनांक:</td></tr>
<tr><td colspan="2">अनापत्ति रिपोर्ट

(समुद्री वाणिज्य विभाग या नौवहन महानिदेशालय द्वारा पूरा किया जाना है)</td><td>दिनांक</td></tr>
</table>

UNCOMPLYCAT Simplifying Compliance

अनुसूची V

(नियम 24 देखें)

भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
समुद्रीय प्रशासन महानिदेशालय
समुद्री वाणिज्य विभाग

अंतर्राष्ट्रीय पोत सुरक्षा प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र संख्या: अंतर्राष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा संहिता के उपबंधों के अधीन जारी किया गया समुद्री वाणिज्य विभाग/ अंतर्राष्ट्रीय पोत सुरक्षा प्रमाण पत्र

पोत का नाम: अंतर्राष्ट्रीय समुद्रीय संगठन नंबर:

विशिष्ट नंबर या अक्षर: पत्तन की रजिस्ट्री :

पोत का प्रकार: सकल टनभार :

कंपनी का नाम और पता:

कंपनी का पहचान संख्या:

यह प्रमाणित किया जाता है:

1. कि पोत की सुरक्षा प्रणाली और उससे सहयुक्त किसी भी सुरक्षा उपस्कर का सत्यापन 'अंतर्राष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा संहिता' के भाग 'क' के खण्ड 19.1 के अनुसरण में किया गया है;

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

2. यह कि सत्यापन से पता चला है कि पोत की सुरक्षा प्रणाली और उससे सहयुक्त सभी सुरक्षा उपस्कर सभी प्रकार से संतोषजनक हैं और यह कि पोत, सोलेस अभिसमय के अध्याय XI-2 और 'अंतर्राष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा संहिता' के भाग 'क' की लागू होने वाली अपेक्षाओं का अनुपालन करता है;

3. कि पोत के लिए एक अनुमोदित 'पोत सुरक्षा स्कीम' प्रदान की गई है।

शुरुआती या नवीनीकरण सत्यापन की दिनांक जिस पर यह प्रमाण पत्र आधारित है: दिन/मास/वर्ष यह प्रणाण पत्र दिन/मास/वर्ष तक विधिमान्य है, परन्तु यह 'अंतर्राष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा संहिता' के भाग 'क' के खण्ड 19.1.1 के अनुसरण में सत्यापनों के अध्यधीन है।

जारी करने का स्थान: मुंबई जारी करने की दिनांक:

(दिन/मास/वर्ष)

(प्रमाण पत्र जारी करने का स्थान)

(प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

(यथा समुचित, जारी करने वाले प्राधिकरण की मुंद्रा या मोहर)

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

समुद्रीय प्रशासन महानिदेशालय

समुद्री वाणिज्य विभाग

पोत का नाम: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन संख्या:

मध्यवर्ती सत्यापन के लिए पृष्ठांकन

यह प्रमाणित किया जाता है कि 'अंतर्राष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा संहिता' के भाग 'क' की **धारा 19.1.1 द्वारा** अपेक्षित मध्यवर्ती सत्यापन के दौरान, यह पाया गया कि पोत द्वारा अभिसमय **के अध्याय XI-2** और 'अंतर्राष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा संहिता' के भाग 'क' के **संबंधित उपबंधों का** पालन किया जा रहा **था।**

मध्यवर्ती सत्यापन

.....(शासकीय)

(प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

स्थान: .....

दिनांक: .....

(प्राधिकारी की सील या मोहर, यथा समुचित)

अतिरिक्त सत्यापन के लिए पृष्ठांकन

अतिरिक्त सत्यापन

हस्ताक्षर:

(प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

स्थान:

दिनांक: (प्राधिकारी की मुंद्रा या **मोहर, यथा समुचित)**

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

अनुसूची VI

(नियम 30 देखें)

जलयान के लिए सुरक्षा संबंधी आगमन-पूर्व अधिसूचना (पीएएनएस):

क) यात्री पोत, जिसमें तेज़ गति वाले यात्री यान भी सम्मिलित हैं

ख) 300 जीआरटी और उससे अधिक क्षमता वाले कार्गो पोत, जिनमें तेज़ गति वाले यान भी सम्मिलित हैं, और

ग) सचल अपतटीय ड्रिलिंग इकाइयाँ

घ) चलत जलयान

ड) नौका

यह प्ररूप जलयान के आगमन से कम से कम 96 घंटे पहले प्रस्तुत करना होगा। यदि जलयान की यात्रा 96 घंटे से कम समय की है, तो पीएएनएस को पिछले पत्तन से रवाना होने के 2 घंटे के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है।

1. पोत की विशिष्टियां और संपर्क विवरण		
1.1 आईएमओ नंबर :	1.2 पोत का नाम :	
1.3 पत्तन की रजिस्ट्री :	1.4 ध्वज देश :	1.5 पोत का प्रकार :
1.6 कॉल साइन:	1.7 इनमारसैट कॉल नंबर :	1.8 सकल टनभार :
1.9 कंपनी का नाम:		
1.10 कंपनी सुरक्षा अधिकारी का नाम और चौबीस घंटे संपर्क विवरण: नाम: टेलीफ़ोन नंबर:		
2. पत्तन और पत्तन सुविधा की जानकारी		
2.1 आगमन का पत्तन और वह पत्तन सुविधा जहाँ पोत को रुकना है, यदि ज्ञात हो		
2.2 पत्तन पर पोत के आगमन की संभावित दिनांक और समय (आईएसपीएस संहिता का पैरा ख/4.39.3) :		
2.3 यहाँ रुकने का मुख्य उद्देश्य: कार्गो प्रचालन/ बंकर लेना / सप्लाई लेना / मरम्मत / कर्मीदल बदलना / यात्री (चढ़ना/उतरना) / अन्य (यथा समुचित) यदि कुछ अन्यथा है, तो प्रयोजन विविनिर्दिष्ट करें		

3. **सोलेस विनियम** XI-2/9.2.1 **द्वारा अपेक्षित जानकारी**		
3.1 क्या पोत के पास (सोलेस विनियम 9.2.1.1) विधिमान्य है		
अंतर्राष्ट्रीय पोत सुरक्षा प्रमाण-पत्र	हां	नहीं
अंतरिम अंतर्राष्ट्रीय पोत सुरक्षा प्रमाण-पत्र	हाँ	नहीं
3.1.1 3.1 में उल्लिखित प्रमाण-पत्र द्वारा जारी किया गया जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम: अवसान की दिनांक:		
3.1.2 यदि पोत के पास विधिमान्य 'अंतर्राष्ट्रीय पोत सुरक्षा प्रमाण-पत्र' या विधिमान्य 'अंतरिम अंतर्राष्ट्रीय पोत सुरक्षा प्रमाण-पत्र" नहीं है, तो कारण बताएं?		
3.1.2.1 क्या पोत पर अनुमादित 'पोत सुरक्षा योजना' मौजूद है?	हाँ	नहीं
3.2 वर्तमान सुरक्षा स्तर (सोलेस विनियम XI-2/9.2.1.2):स्तर 2		
3.2.1 रिपोर्ट करते समय पोत की स्थिति (आईएसपीएस संहिता का पैरा ख/4.39.2) : अक्षांश : देशांतर : या पत्तन : समुद्र में		

3.3 पिछली 10 कॉल्स का कालानुक्रम बताएं, जिसमें सबसे हाल ही का कॉल पहले हो, उन पोत सुविधा पर जहाँ पोत और पत्तन का सामना हुआ, साथ ही वह सुरक्षा स्तर जिस पर पोत प्रचालन किया (सोलेस विनियम XI-2/9.2.1.3:

संख्या	दिनाक		पत्तन, देश, पोत सुविधा और यूएनएलओ संहिता	सुरक्षा स्तर
	से	तक		
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

UNCOMPLICATE Simplifying Compliance

3.3.1 क्या 3.3 में विविनिर्दिष्ट अवधि के दौरान, पोत ने अनुमोदित पोत सुरक्षा योजना में विविनिर्दिष्ट उपायों के भिन्न कोई विशेष या अतिरिक्त सुरक्षा उपाय किए?

हाँ नहीं

3.3.2 यदि 3.3.1 का आपका उत्तर 'हाँ' है, तो ऐसे प्रत्येक के लिए कृपया उन विशेष या अतिरिक्त सुरक्षा उपायों के बारे में बताएं जो पोत द्वारा किए गए (सोलेस XI-2/9.21.4):

संख्या	दिनाक		पत्तन, देश, पत्तन सुविधा और यूएनएलओ संहिता	विशेष या अतिरिक्त उपाय
	से	तक		
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

3.4. 3.3 ऐसे पोत दर पोत क्रियाकलाप कालानुक्रम में बताएं जो में विविनिर्दिष्ट अवधि के दौरान में किएगए हो की सूची, जिसमें किए गए और सबसे हाल ही का पोत दर पोत क्रियाकलाप क्या था:

लागू नहीं होता

स ख्या	दिनाक		पत्तन, देश, पत्तन सुविधा और यूएनएलओ संहिता	पोत दर पोत क्रियाकलाप
	से	तक		

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

3.4.1 क्या 3.4 (सोलेस विनियम XI-2/9.2.1.5) में विविनिर्दिष्ट प्रत्येक 'पोत दर पोत' क्रियाकलाप के दौरान, अनुमोदित 'पोत सुरक्षा योजना' में विविनिर्दिष्ट सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन किया गया है?

हाँ नहीं

3.4.2 यदि 3.4.1 का उत्तर 'नहीं' है, तो उन 'पोत दर पोत' क्रियाकलापों की पहचान करें जिनके लिए सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया और प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए बताएं कि उनकी जगह कौन से सुरक्षा उपाय किए गए।

संख्या	दिनांक		पत्तन, देश, पत्तन सुविधा और यूएनएलओ संहिता	विशेष या अतिरिक्त उपाय
	से	तक		
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

3.5 पोत पर मौजूद कार्गो का सामान्य विवरण दें (सोलेस विनियम XI-2/9.2.1.6 और आईएसपीएस संहिता का पैरा ख/4.39.5):

3.5.1 क्या पोत, कार्गो के रूप में कोई खतरनाक पदार्थ ले जा रहा है? हाँ नहीं

3.5.2 यदि 3.5.1 का उत्तर 'हाँ' है, तो विवरण दें या खतरनाक सामानों की सूची (आईएमओ एफएएल प्ररूप 7) की एक प्रति संलग्न करें।

UNICOMPLYCATE Simplifying compliance

3.6 पोत के कर्मीदल की सूची की एक प्रति (आईएमओ प्ररूप 5 संलग्न है) (सोलेस विनियम XI-2/9.2.1.6 और आईएसपीएस संहिता का पैरा ख/4.39.4)
3.7 पोत के यात्रियों की सूची की एक प्रति (आईएमओ एफएएल प्ररूप 6 संलग्न है) (सोलेस विनियम XI-2/9.2.1.6 और आईएसपीएस संहिता का पैरा ख/4.39.4)
4. **सुरक्षा से जुड़ी अन्य जानकारी**
4.1 क्या सुरक्षा से जुड़ा कोई मामला है जिसके बारे में आप बताना चाहते हैं? हाँ नहीं
4.1.1 यदि 4.1 का उत्तर 'हाँ' है, तो विवरण दें:
5. नियत आगमन पत्तन पर पोत का अभिकर्ता
5.1 उस पत्तन पर अभिकर्ता का नाम और चौबीस घंटे संपर्क विवरण, जहाँ पोत को रुकना है। नाम : फ़ोन संख्या: फ़ैक्स संख्या:
6. जानकारी देने वाले व्यक्ति की पहचान
6.1नाम : 6.2 हक या स्थिति :: 6.3हस्ताक्षर: यह रिपोर्ट ..... (स्थान) पर तैयार की गई है : (दिनांक और समय पर) :

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

अनुसूची VII

[नियम 31(1) और (2) देखें]

शुल्क और माप का पैमाना

क्रम संख्या	मद	श्रेणी	फीस
क. पोत परिवहन कंपनी या जलयान : -			
1.	पोत सुरक्षा योजना	पोत सुरक्षा योजना का अनुमोदन-विश्वव्यापी	1,00,000 रुपये
2.		पोत सुरक्षा योजना का अनुमोदन - तटीय	50,000 रुपये
3.		पोत सुरक्षा योजना में संशोधन और समीक्षा	25,000 रुपये
4.	सतत सार-संग्रह अभिलेख	सतत सार-संग्रह अभिलेख जारी करना	30,000 रुपये
5.		सतत सार-संग्रह अभिलेख में संशोधन	15,000 रुपये
6.	अंतर्राष्ट्रीय या तटीय पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र	अंतर्राष्ट्रीय या तटीय पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र के लिए सत्यापन लेखा-परीक्षा निरीक्षण (प्रति निरीक्षण)	8,000 रुपये
7.		अंतर्राष्ट्रीय या तटीय पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी करना	15,000 रुपये
8.		अंतर्राष्ट्रीय या तटीय पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र का विस्तार या उसका पृष्ठांकन करना	15,000 रुपये
9.	अन्य फीस	बिना अर्हता प्राप्त कंपनी सुरक्षा अधिकारी या का प्रचालन करना, कंपनी सुरक्षा अधिकारी या वैकल्पिक कंपनी सुरक्षा अधिकारी का गलत नाम घोषित करना	क) 5,00,000 रूपये ख) बार-बार नियमों का पालन न करने पर 5,00,000 रूपये की अतिरिक्त फीस और अंतर्राष्ट्रीय या तटीय पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र को वापसी करना।
10.		पोत सुरक्षा योजना का खो जाना	1,00,000 रूपये टिप्पण: (क.) कंपनी सुरक्षा अधिकारी एक नई पोत सुरक्षा योजना

			बनाएगा और पुराने पासवर्ड, कोड वर्ड, संपर्क विवरण या गोपनीय डाटा को तुरंत बदल देगा और 'नौवहन महानिदेशालय' को रिपोर्ट करेगा। अनुमोदित पोत सुरक्षा योजना को शीघ्रता के साथ पोत से जोड़ने की व्यवस्था की जानी चाहिए; (ख.) योजना खो जाने की स्थिति में, नई पोत सुरक्षा योजना के अनुमोदन के लिए फ़ीस सामान्य फ़ीस से 1.5 गुना ज़्यादा होगी, अर्थात् - i. कार्गो पोत के लिए- 1,87,500 रुपये; ii. यात्री पोत के लिए- 1,95,000 रुपये
11.		नियमों का पालन न करने के अधिक मामलों के कारण अंतर्राष्ट्रीय या तटीय पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र वापस लिए जाने के पश्चात् पोत के दोबारा निरीक्षण की फ़ीस	8,00,000 रूपये
12.		निर्धारित समय-सीमा के पश्चात् पोत का बाहरी सुरक्षा लेखा-परीक्षा करना और मियाद समाप्त अंतर्राष्ट्रीय या तटीय पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र के साथ पोत का चलना	3,00,000 रूपये
13.		यदि कंपनी समय पर (नियत दिनांक से 6 महीने पहले) लेखा-परीक्षा के लिए अनुरोध करती है और मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन लेखा-परीक्षा के लिए पोत का निरीक्षण नहीं कर पाता है	कोई फीस नहीं
14.		कंपनी सुरक्षा अधिकारी कई कंपनियों में	2,50,000 रूपये

		काम कर रहा हो	
15.		पोत की मियाद समाप्त अंतर्राष्ट्रीय या तटीय पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र के साथ चलना	विधिमान्य अंतर्राष्ट्रीय या तटीय पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने तक जलयान को अवरोधन में रखा जाएगा और इसके भिन्न स्वामी द्वारा 8,00,000 रुपये की फ़ीस देनी होगी।
16.		पोत सुरक्षा संबंधी आगमन पूर्व अधिसूचना में मिथ्या जानकारी जैसे गलत पोर्ट ऑफ़ कॉल या कोई अन्य गलत जानकारी घोषित करना	सही पत्तन ऑफ़ कॉल या ध्वज पृष्ठांकन के साथ सही जानकारी देने तक जलयान को अवरोधन रखा जाएगा और इसके अतिरिक्त स्वामी द्वारा 2,00,000 रुपये की फ़ीस देनी होगी।
17.		ऐसे पोत जिनके पास सुरक्षा उपस्कर नहीं हैं या जिनका रखरखाव ठीक से नहीं किया जा रहा है	खराबी वाले या गायब उपस्कर का अवरोधन और 1,00,000 रुपये का जुर्माना।
18.		ऐसे पोत जिन के स्वत: पहचान प्रणाली में मिथ्या नाम, मिथ्या कॉल साइन या गलत डाटा डाला गया है	जब तक पोत के सुरक्षा उपस्कर चालू या ठीक से न लग जाएं, तब तक जलयान को अवरोधन में रखा जाएगा और इसके अतिरिक्त स्वामी को प्रत्येक खराब या गायब उपस्कर के लिए 1,00,000 रुपये की फीस देनी होगी।
19.		मास्टर या कंपनी सुरक्षा अधिकारी द्वारा नौवहन महानिदेशालय को सुरक्षा या बिना टिकट यात्रा करने वाली घटनाओं की सूचना न देना	2,00,000 रुपये
20.		समय पर आंतरिक सुरक्षा लेखा-परीक्षा न किया जाना	1,00,000 रुपये
21.		पोत के अगले बाहरी सुरक्षा लेखा-परीक्षा में	2,00,000 रुपये और उसके

		बार-बार कमियां या नियमों का पालन न किए जाने की बात सामने आना	पश्चात् छह महीने पश्चात् एक अतिरिक्त बाहरी लेखा-परीक्षा
ख. महापत्तन और महापत्तनों के भिन्न अन्य पत्तन:			
22.	पत्तन सुविधा सुरक्षा निर्धारण का अनुमोदन	500 मीटर से कम क्वे लंबाई वाले पत्तनों के लिए	50,000 रुपये
23.		500 मीटर से 1000 मीटर क्वे लंबाई वाले पत्तनों के लिए	1,00,000 रुपये
24.		1000 मीटर से अधिक क्वे लंबाई वाले पत्तनों के लिए	1,50,000 रुपये
25.		लंगरगाह पत्तनों के लिए	50,000 रुपये
26.	पत्तन सुविधा सुरक्षा योजना का अनुमोदन	सिंगल बॉय मूरिंग पत्तनों के लिए	1,00,000 रुपये
27.		500 मीटर से कम क्वे लंबाई वाले पत्तनों के लिए	1,00,000 रुपये
28.		500 मीटर से 1000 मीटर क्वे लंबाई वाले पत्तनों के लिए	1,50,000 रुपये
29.		1000 मीटर से अधिक क्वे लंबाई वाले पत्तनों के लिए	2,00,000 रुपये
30.		लंगरगाह पत्तनों के लिए	1,00,000 रुपये
31.		सिंगल बॉय मूरिंग पत्तनों के लिए	1,50,000 रुपये
32.	अन्य फीस	निर्धारण या योजना का संशोधन या समीक्षा	25,000 रुपये
33.		बिना अर्हताप्राप्त पत्तन सुविधा सुरक्षा अधिकारी द्वारा पत्तन का प्रचालन, या पत्तन सुविधा सुरक्षा अधिकारी या उप पत्तन सुविधा सुरक्षा का मिथ्या नाम घोषित करना	1,00,000 रुपये
34.		पत्तन सुविधा सुरक्षा अधिकारी का महानिदेशक द्वारा अनुमोदित संस्थान से प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के बिना पाया जाना।	2,00,000 रुपये
35.		पत्तन सुविधा सुरक्षा लेखा-परीक्षा के दौरान उठाए गए बिंदुओं पर पत्तन सुविधाओं की निर्धारित समय सीमा के भीतर ध्यान न देना या उनका अनुपालन न करना।	2,00,000 रुपये

UNICOMPLYCAT Simplifying Compliance

36.		पत्तन का निर्धारित समय सीमा के भीतर वार्षिक या नवीनीकरण पत्तन सुविधा सुरक्षा लेखा-परीक्षा नहीं करवाना।	2,00,000 रुपये
37.		एकाधिक पत्तन सुविधाओं के लिए पत्तन सुविधा सुरक्षा अधिकारी के रूप में कार्य करना।	2,50,000 रुपये
38.		पत्तन सुविधा सुरक्षा निर्धारण या पत्तन सुविधा सुरक्षा योजना का न होना	5,00,000 रुपये
39.		पत्तन सुविधा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय या तटीय पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र के बिना पोत को लंगर डालने या रुकने की अनुमति देना	2,00,000 रुपये
40.		पत्तन सुविधा द्वारा सुरक्षा घोषणा आगमन पूर्व गलत अधिसूचना देने वाले पोतों को अनुमति देना और 'नौवहन महानिदेशालय' को इसकी सूचना न देना	2,00,000 रुपये
41.		पत्तन द्वारा सुरक्षा घोषणा का आदान-प्रदान करने से मना करना	1,00,000 रुपये
42.		पत्तन सुविधा सुरक्षा अधिकारी या एजेंट द्वारा सुरक्षा या बिना टिकट यात्रा करने वाले से जुड़ी घटनाओं की सूचना 'नौवहन महानिदेशालय' को न देना	2,00,000 रुपये
43.		आंतरिक सुरक्षा लेखा-परीक्षा समय पर नहीं करवाना।	1,00,000.00 रुपये
44.		पत्तन के अगले बाहरी सुरक्षा लेखा-परीक्षा में बार-बार देखी गई कमियां या नियमों का पालन न होना।	2,00,000 रुपये और उसके पश्चात् छह महीने पश्चात् एक अतिरिक्त बाहरी लेखा-परीक्षा

[फा. सं. एसवाई-19014/185/2025-एमजी-भाग(2)(ii)]

वेंकटेसपति एस, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING, AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd October, 2026

G.S.R. 909(E).— In exercise of the powers conferred by, sub-section (1) and clauses (a), (b), (g) and (h) of sub-section (2) of section 130 of the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025), and in supersession of the Merchant Shipping (Ships and Port Facility Security) Rules, 2024, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:–

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Merchant Shipping (Ships and Port Facility Security) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application. — Unless otherwise expressly provided, these rules shall apply to the matters relating to safety and security of —

(a) every Indian ship including mobile offshore drilling units and high-speed craft as defined in regulation XI-2/1 of the Safety Convention, irrespective of its type or area of operation, wherever it may be, which meets with the requirements specified in Schedule I:

(b) any ship other than an Indian ship, when such ship calls at any Indian port or Indian offshore facility, or is at anchorage within Indian jurisdiction;

(c) any Indian port facility; and

(d) any company owning, operating, or managing any vessel or port facility to which these rules apply.

3. Definitions. — (1) In these rules, unless the context otherwise requires, —

(a) “Act” means the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025);

(b) “Administration” means the Director-General of Maritime Administration;

(c) “audit” means a method or process of systematic and independent verification by obtaining objective evidence to determine whether the port facility-related or ship-related security activities comply with the applicable requirements of the Safety Convention, considering the approved security plan;

(d) “company” means the company as defined under clause (a) of section 115 of the Act;

(e) “company security officer” means the person designated by a company under sub-rule (1) of rule 14;

(f) "contracting government" means a government of any country that has agreed to be bound by the Safety Convention;

(g) "designated authority" means the Bureau of Port Security constituted under sub-section (1) of section 13 of the Act;

(h) "International Ship Security Certificate" means a certificate issued by the Administration or the person authorised by it, in accordance with these rules or the International Ship and Port Facility Security Code;

(i) "ISPS Code" means the International Ship and Port Facility Security Code adopted by the International Maritime Organization under the Safety Convention, as amended from time to time;

(i) "Mercantile Marine Department" means the Mercantile Marine Department established under section 11 of the Act;

(j) "port facility security advisory committee" means a committee referred to in rule 20;

(k) "port facility security assessment" means a port facility security assessment carried out in accordance with rule 18;

(l) "port facility security officer" means an officer as referred to in rule 21;

(m) "port facility security plan" means a plan to ensure the application of measures designed to protect the port facility and ships, persons, cargo, cargo transport units and stores of ship within the port facility from the risks of a security incident;

(n) "recognised security organisation" means any organisation, company, firm or body of individuals having expertise in matters relating to security and knowledge of ship and port operations, authorised by the Central Government to carry out assessment, verification, approval or certification required by these rules;

(o) "Schedule" means a Schedule annexed to these rules;

(p) "security incident" means any suspicious circumstance threatening the security of a ship, including a mobile offshore drilling unit and a high-speed craft, or of a port facility or of any ship and port interface, or any ship-to-ship activity;

(q) "security level" means the qualification of the degree of risk that a security incident may be attempted or may occur;

(r) "security level 1" means the level for which minimum appropriate protective security measures shall be maintained at all times;

(s) "security level 2" means the level for which appropriate additional protective security measures shall be maintained for a period of time as a result of heightened risk of a security incident;

(t) "security level 3" means the level for which further specific security measures shall be maintained for a limited period of time when a security incident is probable or imminent, although it may not be possible to identify the specific target;

(u) "ship" means ship as defined in sub-section (59) of section 3 of the Act;

(v) "ship security officer" means the person on board the ship, accountable to the master, designated by the company as responsible for the security of the ship, including implementation and maintenance of the ship security plan, and for liaison with the company security officer and port facility security officers;

(w) "ship security plan" means a plan developed to ensure the application of measures on board the ship designed to protect persons on board, cargo, cargo transport units, ship's stores or the ship from the risks of a security incident;

(x) "training institute" means an institute approved by the Administration.

(2) The words and expressions used in these rules but not defined herein, shall have the respective meanings assigned to them in the Act, or the ISPS Code, or the Safety Convention.

4. Responsibility with respect to security. — (1) The designated authority shall set the appropriate security level for every port facility within its jurisdiction and shall ensure that information on the applicable security level, and any change therein, is communicated without delay to the port facilities concerned and to ships before entering, or while within, any port within its jurisdiction.

(2) The Administration shall set the appropriate security levels for ships entitled to fly its flag and ensure timely communication of such information on such security level and any change in the security level shall be updated as per the circumstances.

(3) In determining the security level referred to in sub-rules (1) and (2), due regard shall be given to—

(a) the credibility of threat information;

(b) the degree of corroboration of such information;

(c) the specificity or imminence of the threat; and

(d) the potential consequences of a security incident.

(4) Subject to regulations XI-2/3 and XI-2/7 of the Safety Convention, the Administration and the designated authority, as the case may be, shall provide guidance for protection against security incidents.

(5) The designated authority may authorise a recognised security organisation to undertake security related duties specified under Chapter XI-2 of the Safety Convention and Part A of the ISPS Code, as it considers appropriate, except the following, namely: —

(a) ensuring protection of security-sensitive material relating to port facility security assessments and port facility security plans;

(b) approving a port facility security assessment and a port facility security plan, and amendments thereto;

(c) determining the port facilities required to designate a port facility security officer;

(6) The Administration shall be responsible for —

(a) ensuring protection of security-sensitive material relating to ship security assessments and ship security plans;

(b) exercising control and compliance measures in respect of ships in accordance with regulation XI-2/9 of the Safety Convention;

(c) establishing the requirements for a declaration of security as referred to in rule 6;

(d) communicating information regarding any security breach and relevant mitigation measures to the International Maritime Organization and making such information available to the public; and

(e) resolving any inconsistency between safety and security requirements in ship operations to ensure that safety requirements prevail, and issuing necessary directions.

(7) The Administration and the designated authority shall, to the extent considered appropriate, test the effectiveness of ship security plans and port facility security plans, including amendments thereto.

5. Power of master for ship safety and security. — (1) The master shall not be constrained by the company, the charterer, or any other person from taking or executing any decision which, in the professional judgement of the master, is necessary for maintaining the safety and security of the ship including the authority to deny access to any person (other than those duly authorised by the Administration) or their effects and to refuse loading of cargo, containers or other closed cargo transport units.

(2) Where a conflict arises between the safety and security of the ship during its operations, the master–

(a) shall give effect to those requirements necessary to maintain the safety of the ship;

(b) may implement temporary security measures;

(c) shall inform the Administration or the contracting government in whose port the ship is operating or intending to enter.

(3) Any temporary security measures adopted under sub-rule (2) shall, to the highest practicable degree, be proportionate with the prevailing security level.

(4) Upon being informed of such instances under sub-rule (2), the Administration shall take necessary steps to resolve the conflict and ensure that the possibility of recurrence is minimised.

6. Declaration of security. — (1) The Administration or the designated authority, as the case may be, shall determine as to when a declaration of security is required having regard to the risk posed by the ship and port interface or ship-to-ship activity, to persons, property, or the environment.

(2) A ship may request a declaration of security in the following circumstances, namely:—

(a) the ship is operating at a higher security level than the port facility, or another ship is interfacing with it; or

(b) there is an agreement on declaration of security between contracting governments covering certain international voyages or specific ships on those voyages; or

(c) there has been a security threat or a security incident involving the ship or port facility; or

(d) the ship is at a port which is not required to have an approved port facility security plan or its implementation; or

(e) the ship is conducting ship-to-ship activities with another ship not required to have an approved ship security plan or its implementation.

(3) Any request for a declaration of security shall be acknowledged by the applicable port facility or ship in accordance with Schedule-III in English.

(4) The declaration of security shall be completed by the —

(a) master or the ship security officer on behalf of the ship; and

(b) port facility security officer or, if the designated authority determines otherwise, by any other body responsible for shore-side security, on behalf of the port facility.

(5) The declaration of security shall address the security requirements that may be shared between a port facility and a ship or between the ships and shall state the responsibility for each of them.

(6) Every ship shall keep records of the declaration of security for a minimum period of three years.

(7) A change in the security level may require a new or revised declaration of security.

7. Duties of companies and ships. — (1) The companies shall comply with the applicable requirements of Chapter XI-2 of the Safety Convention and Part A of the ISPS Code, taking into account the guidance given in Part B of the said Code.

(2) Every ship shall comply with the applicable requirements of Chapter XI-2 of the Safety Convention and Part A of the ISPS Code, taking into account the guidance given in Part B

of the said Code, and such compliance shall be verified and certified as provided for in Part A of the said Code.

(3) Prior to entering a port or while in a port within the territory of a contracting government, a ship shall comply with the requirements for the security level set by that contracting government.

(4) The ships shall respond without undue delay to any change to a higher security level.

(5) Where a ship is unable to comply with the requirements referred to in sub-rule (2) or with the security level set by the Administration or by another contracting government under sub-rule (3), the ship shall notify the competent authority accordingly before commencing any ship and port interface or before entering the port, whichever is earlier, to enable the competent authority to take such measures as may be necessary to maintain the required security level.

(6) The company shall ensure that the master has available on board, at all times, information that enables officers duly authorised by the Administration to ascertain—

(a) the person responsible for the appointment of the members of the crew or of any other person who is employed or engaged on board the ship in any capacity in connection with the business of the ship;

(b) the person responsible for determining the employment of the ship; and

(c) the parties to any charter party under which the ship is employed.

(7) Every company shall—

(a) ensure that the ship security plan contains a clear statement emphasizing the authority of the master;

(b) provide in the ship security plan that the master shall have overriding authority and responsibility to take such decisions as are necessary with respect to the safety and security of the ship and to seek, where necessary, the assistance of the company, the Administration or any contracting government;

(c) designate a company security officer; and

(d) ensure that the company security officer, master, and the ship security officer are given necessary support to fulfill their duties in accordance with the Safety Convention.

8. Duties of recognised security organisation. — The recognised security organisation shall perform such duties as may be specified by the Administration for the purposes of these rules.

9. Ship security. — (1) Every ship shall operate at the security levels set by the Administration.

(2) At security level 1, every ship shall implement appropriate measures to identify and

prevent security incidents, including measures to—

(a) ensure the performance of all ship security duties;

(b) control access to the ship;

(c) control the embarkation of persons and their effects;

(d) monitor restricted areas to ensure access only by authorised persons;

(e) monitor deck areas and areas surrounding the ship;

(f) supervise the handling of cargo and stores in ship; and

(g) ensure that security communication is readily available.

(3) At security level 2, every ship shall implement the additional protective measures specified in the ship security plan for each of the measures referred to in sub-rule (2), having regard to Part B of the ISPS Code and such guidelines as may be issued by the Administration.

(4) At security level 3, every ship shall implement the specific protective measures specified in the ship security plan for each of the measures referred to in sub-rule (2), having regard to Part B of the ISPS Code and such instructions as may be issued by the Administration for the implementation of security level 3.

(5) Where the security levels are changed, the ship shall acknowledge receipt of the instructions relating to such change.

(6) Before entering a port, while in a port, or while within the territorial waters of India where security level 2 or security level 3 is in force, the ship shall—

(a) acknowledge receipt of the instructions relating to the applicable security level;

(b) confirm to the port facility security officer that the appropriate measures and procedures specified in the ship security plan have been initiated; and

(c) where security level 3 is in force, comply with any additional instructions issued by the Administration.

(7) Where a ship faces any difficulty in implementing the measures under this rule, the ship security officer shall immediately report the matter to the port facility security officer, and both officers shall liaise and coordinate to determine the appropriate action.

(8) Where a ship is operating at, or is required by the Administration to operate at, a security level higher than that applicable to the port which it intends to enter or in which it is already located, the ship shall, without delay, inform the Administration and the port facility security officer of such higher security level:

Provided that the ship security officer shall coordinate with the port facility security officer and take such additional measures as may be necessary.

(9) Where the Administration requires an Indian ship to operate at security level 2 or security level 3 while in a port of another contracting government, it shall, without delay, inform the Government of that State accordingly.

(10) Where the Administration sets a security level for ships operating in the territorial waters of India or for ships intending to enter such waters, it shall communicate the applicable security level to such ships and shall—

(a) advise them to maintain vigilance and immediately report to the Administration and any nearby coastal State any information coming to their attention that may affect maritime security in the area; and

(b) advise them of any security measures required to be implemented by them and, where appropriate, of the measures taken by the Administration to protect against the identified threat.

10. Ship security assessment. — (1) The company security officer shall ensure that a ship security assessment is carried out for each of the ship in the fleet of the company by persons with appropriate skills to evaluate the security of a ship.

(2) A recognised security organisation may carry out the ship security assessment of a specific ship.

(3) The ship security assessment shall include an on-scene security survey to verify, at a minimum, the following elements, namely:—

(a) identification of existing security measures, procedures and operations;

(b) identification and evaluation of key ship board operations, which are important to protect;

(c) identification of possible threats to the key ship board operations and the likelihood of their occurrence, in order to establish and prioritise security measures; and

(d) identification of weaknesses, including human factors in the infrastructure, policies and procedures.

(4) The ship security assessment shall be prepared after taking into account the provisions of Part B of the ISPS Code.

(5) An initial ship security assessment shall be carried out before the ship is put into service.

(6) The ship security assessment shall be carried out as and when the Administration may deem necessary.

(7) The ship security assessment shall be documented, reviewed, accepted, and retained by the company.

11. Ship security plan. — (1) Every ship shall carry on board a ship security plan approved by the Administration providing for the security measures applicable at security levels 1, 2,

and 3 as provided in these rules and the ISPS Code.

(2) The review of a ship security plan or any amendment thereto, shall be undertaken by a recognised security organisation which was not involved in the preparation of the ship security assessment, the ship security plan or the amendment under review.

(3) The ship security plan shall be prepared and developed, taking into account the guidance given in Part B of the ISPS Code and shall be written in English and the working language of the ship.

(4) The ship security plan shall include the following, namely: –

(a) measures designed to prevent weapons, dangerous substances and devices intended for use against people, ships or ports and the carriage of which is not authorised to be taken on board the ship;

(b) identification of the restricted areas and measures for the prevention of unauthorised access;

(c) measures for the prevention of unauthorised access to the ship;

(d) procedures for responding to security threats or breaches of security, including provisions for maintaining critical operations of the ship or ship and port interface;

(e) procedures for responding to any security instructions given by the Administration at security level 3;

(f) procedures for evacuation in case of security threats or breaches of security;

(g) duties of shipboard personnel assigned security responsibilities and of other shipboard personnel on security aspects;

(h) procedures for auditing the security activities in accordance with Schedule III;

(i) procedures for training, drills and exercises associated with the ship security plan;

(j) procedures for interfacing with port facility security activities;

(k) procedures for the periodic review of the ship security plan and for updating;

(l) procedures for reporting security incidents;

(m) identification of the ship security officer;

(n) identification of the company security officer along with twenty-four-hour contact details;

(o) procedures to ensure inspection, testing, calibration and maintenance of any security equipment provided on board as per Schedule II;

(p) frequency for testing or calibration of any security equipment provided on board, if any;

(q) identification of the locations where the ship security alert system activation points are provided; and

(r) procedures, instructions and guidance on the use of the ship security alert system, including the testing, activation, deactivation and resetting to limit false alerts.

(5) The submission for approval of a ship security plan or amendments to a previously approved plan shall be accompanied by the security assessment on the basis of which the plan or the amendments have been developed.

(6) The personnel conducting internal audits of the security activities specified in the ship security plan, or evaluating the implementation of such plan, shall be independent of the activities being audited unless it is impracticable due to the size and the nature of the company or ship.

(7) No changes to an approved ship security plan or to any security equipment specified in an approved plan shall be implemented unless the relevant amendments to the ship security plan are approved by the Administration, and any such changes shall be as effective as those measures specified in the Safety Convention and ISPS Code.

(8) The changes to the ship security plan or the security equipment that has been approved by the Administration shall be documented in a manner that clearly indicates such approval which shall be made available on board and shall be presented together with the International Ship Security Certificate or the Interim Ship Security Certificate.

(9) The ship security plan may be kept in an electronic format and shall be protected from unauthorised access, deletion, destruction or amendment.

(10) The record of the ship security plan shall be protected from unauthorised access or disclosure.

(11) Where the officer duly authorised by the Administration has reasonable grounds to believe that a ship does not comply with the requirements of Chapter XI-2 of the Safety Convention or Part A of the ISPS Code, and that the only means of verifying or rectifying such non-compliance is by reviewing the relevant provisions of the ship security plan, the officer may, with the prior consent of the contracting government or the master of the ship concerned, be granted limited access to such part of the ship security plan as is necessary for the purpose of verifying or rectifying the non-compliance:

Provided that the provisions of the ship security plan relating to clauses (b), (d), (e), (g), (o), (q) and (r) of sub-rule (5) shall–

(a) be a confidential information; and

(b) not be subject to inspection unless otherwise agreed to by the contracting government.

12. Ship security alert system. — (1) A ship security alert system shall be installed in the following ships registered in India, namely:—

(a) ships constructed on or after 1st July, 2004;

(b) passenger ships, including high-speed passenger craft, constructed before 1st July, 2004 and not later than the first survey of the radio installation after 1st July, 2004;

(c) oil tankers, chemical tankers, gas carriers, bulk carriers and cargo high-speed craft of 500 gross tonnages and above constructed before 1st July, 2004, and not later than the first survey of the radio installation after 1st July, 2004; and

(d) other cargo ships of 500 gross tonnages and above and mobile offshore drilling units constructed before 1st July, 2004, and not later than the first survey of the radio installation after 1st July, 2006.

(2) The ship security alert system, when activated, shall —

(a) initiate and transmit a ship-to-shore security alert to the concerned company and the centre designated by the Administration, which shall identify the ship, its location and indicate whether the security of the ship is under threat or it has been compromised;

(b) not send the ship security alert to any other ship;

(c) not raise any alarm on board the ship; and

(d) continue the ship security alert until deactivated or reset.

(3) The ship security alert system shall —

(a) be capable of being activated from the navigation bridge and in at least one other location and to be fitted in a safe compartment with a power backup; and

(b) conform to performance standards not inferior to those adopted by the International Maritime Organization.

(4) The ship security alert system activation points shall be designed so as to prevent the inadvertent initiation of the ship security alert.

(5) When an alert of a security situation is received from an Indian registered vessel, the Administration shall contact the ship owner or company security officer and security agency to deal with such alert.

(6) On receipt of the information of ship security alert from an Indian ship, the centre designated by the Administration shall, in case the vessel is outside India, notify the coastal States in the vicinity of which the concerned ship is operating.

13. Records. — (1) The records of the following activities contained in the ship security plan shall be kept on board for a minimum period of three years, or as may be specified by the Administration, taking into account the Safety Convention, namely:—

(a) training, drills, and exercises;

(b) security threats and security incidents;

(c) breaches of security;

(d) changes in security level;

(e) communications relating to the direct security of the ship such as specific threats to the ship or to port facilities where the ship is, or has been;

(f) internal audits and reviews of security activities;

(g) periodic review of the ship security assessment;

(h) periodic review of the ship security plan;

(i) implementation of any amendments to the plan;

(j) maintenance, calibration and testing of security equipment, if any; and

(k) testing of the ship security alert system.

(2) The records specified in sub-rule (1) shall be maintained in English and the working language of the ship.

(3) The records specified in sub-rule (1) may be kept in an electronic format and shall be protected by the procedures to prevent unauthorised access, deletion, destruction, or amendment.

(4) The records specified in sub-rule (1) shall be protected from unauthorised access or disclosure.

14. Company security officer. — (1) Every company shall designate one or more company security officers who may act as the company security officer for one or more ships, depending on the number or types of ships the company operates:

(2) Where the company security officer acts as a company security officer for one or more ships, it shall be clearly identified for which ship the company security officer shall be responsible.

(3) A company security officer shall possess the following minimum qualifications, namely:––

(a) Management Level Certificate of Competency (Foreign Going) issued by Administration having merchant marine background for company having ships above 500 gross tonnage; and

(b) Company Security Officer Certificate from a training institute:

Provided that, in case of company having ships less than 500 gross tonnage, the company security officer shall have sailing experience on merchant ships with operation level Certificate of Competency (Foreign Going) issued by Administration and shall hold Company Security Officer Certificate from a training institute.

(4) The company security officer shall perform the following duties, namely: —

(a) advising on the level of threats likely to be encountered by the ship, using appropriate security assessments and other relevant information;

(b) ensuring that ship security assessments are carried out;

(c) ensuring the development, the submission for approval, and implementation and maintenance of the ship security plan and to carry it on board of the individual ship;

(d) ensuring that the ship security plan is modified, as appropriate, to correct deficiencies and satisfy the security requirements of the individual ship;

(e) arranging for internal audits and reviews of security activities;

(f) arranging for the initial and subsequent verifications of the ship by the Administration or the recognised security organisation;

(g) ensuring that deficiencies and non-conformities identified during internal audits, periodic reviews, security inspections and verifications of compliance are promptly addressed and dealt with;

(h) enhancing security awareness and vigilance;

(i) ensuring adequate training for the personnel responsible for the security of the ship;

(j) ensuring effective communication and co-operation between the ship security officer and the port facility security officers;

(k) ensuring consistency between security requirements and safety requirements; and

(l) ensuring that any alternative or equivalent arrangements approved for a particular ship or group of ships are implemented and maintained.

15. Ship security officer. — (1) A management level officer of the ship holding ship security officer certificate from a training institute shall be designated as the ship security officer of the ship by the company.

(2) The ship security officer shall perform the following duties, including —

(a) undertaking regular security inspections of the ship to ensure that appropriate security measures are maintained;

(b) maintaining and supervising the implementation and amendment of the ship security plan;

(c) coordinating the security aspects of handling of cargo stores in ships with other ship-board personnel and with the relevant port facility security officers;

(d) proposing modifications to the ship security plan;

(e) reporting to the company security officer any deficiencies and non-conformities identified during internal audits, periodic reviews, security inspections and verifications

of compliance and implementing any corrective actions;

(f) enhancing security awareness and vigilance on-board;

(g) ensuring that adequate training has been provided to ship-board personnel, as appropriate;

(h) reporting all security incidents;

(i) coordinating implementation of the ship security plan with the company security officer and the port facility security officer; and

(j) ensuring that security equipment is properly operated, tested, calibrated and maintained, if any.

16. Training, drills, and exercise on ship security. — (1) The ship-board personnel having specific security duties and responsibilities shall have sufficient knowledge and ability to perform their assigned duties, taking into account the guidance given in Part B of ISPS Code.

(2) To ensure the effective implementation of the ship security plan, drills shall be carried out at least once in every three months interval, taking into account the ship type, ship personnel changes, calling port facilities and other relevant circumstances including the guidance given in Part B of the ISPS Code.

(3) The company security officer shall ensure the effective coordination and implementation of ship security plans by participating in exercises at appropriate intervals, taking into account the guidance given in Part B of ISPS Code.

17. Port facility security. — (1) A port facility shall act upon the security levels set by the designated authority.

(2) The security measures and procedures shall be applied at the port facility in such a manner so as to cause a minimum interference to passengers, ship personnel, visitors, cargo and services.

(3) In order to identify and take preventive measures against security incidents and taking into account the guidance given in Part B of the ISPS Code, the appropriate measures at security level 1 in shall be undertaken in all port facilities including —

(a) ensuring the performance of all port facility security duties;

(b) controlling access to the port facility;

(c) monitoring of the port facility, including anchoring and berthing areas;

(d) monitoring restricted areas to ensure that only authorised persons have access;

(e) supervising the handling of cargo;

(f) supervising the handling of stores in ship; and

(g) ensuring that security communication is readily available.

(4) In addition to the security measures specified for security level 1, the additional protective measures specified in the port facility security plan shall be implemented at security level 2, taking into account the guidance given in Part B of the ISPS Code.

(5) Specific protective measures specified in the port facility security plan shall be implemented at security level 3 in addition to the security measures specified for security level 1 and level 2, taking into account the guidance given in Part B of the ISPS Code and the port facility shall respond to any security instructions as may be given by the designated authority.

(6) Each port shall have an independent qualified and trained port facility security officer.

(7) Where a ship —

(a) encounters difficulties in complying with the requirements of Safety Convention or in implementing the appropriate measures and procedures specified in the ship security plan and in the case of security level 3, following any security instructions given by the designated authority, the port facility security officer and ship security officer shall coordinate and take appropriate actions;

(b) is at a security level, which is higher than that of the port facility, the port facility security officer shall report the matter to the designated authority and shall coordinate with the ship security officer and take appropriate actions, if necessary.

18. Port facility security assessment. — (1) The port facility security assessment shall be carried out by the designated authority or recognised security organisation for all Indian port facilities:

Provided that where the port facility security assessment is carried out by the recognised security organisation, such port facility security assessment shall be reviewed and approved in compliance with the ISPS Code by the designated authority.

(2) The designated authority or recognised security organisation may nominate a surveyor to carry out the port facility security assessment.

(3) The persons carrying out the assessment shall have appropriate skills to evaluate the security of the port facility, taking into account the guidance given in Part B of the ISPS Code.

(4) The port facility security assessments shall periodically be reviewed and updated, taking into account changing threats in the port facility and be reviewed and updated when major changes to the port facility take place.

(5) The port facility security assessment shall include—

(a) identification and evaluation of important assets and infrastructure requiring protection;

(b) identification of possible threats to the assets and infrastructure and the likelihood of their occurrence;

(c) identification, selection and prioritisation of counter measures and procedural changes and their level of effectiveness in reducing vulnerability; and

(d) identification of weaknesses, including human factors, in the infrastructure, policies, and procedures.

(6) The designated authority may allow a port facility security assessment to cover more than one port facility if the operator, location, operation, equipment and design of such port facilities are similar.

(7) Upon completion of the port facility security assessment, a report shall be prepared, consisting of a summary of the assessment conducted, including a description of each vulnerability and counter measures that may be used to address such vulnerability.

(8) The report prepared under sub-rule (7) shall be protected from unauthorised access or disclosure.

19. Port facility security plan. — (1) Every port facility shall have a port facility security plan which shall be prepared and implemented by the port facility security officer.

(2) A port facility security plan shall—

(a) be developed and maintained, on the basis of a port facility security assessment, for each port facility, taking into account the ship and port interface;

(b) have provisions for the security level-1, security level-2 and security level-3;

(c) be approved by the designated authority;

(d) be developed taking into account the guidance given in Part B of ISPS Code and shall be in English.

(3) The port facility security plan shall include—

(a) measures designed to prevent weapons or any other dangerous substances and devices intended for use against people, ships or ports and the carriage of which is not authorised, from being introduced into the port facility or on board a ship;

(b) measures designed to prevent unauthorised access to the port facility, to ships moored at the facility, and to restricted areas of the facility;

(c) procedures for responding to security threats or breaches of security, including provisions for maintaining critical operations of the port facility or ship and port interface;

(d) procedures for responding to any security instructions at security level 3 given by the contracting government, in whose territory the port facility is located;

(e) procedures for evacuation in case of security threats or breaches of security;

(f) duties of port facility personnel assigned security responsibilities and of other facility personnel on security aspects;

(g) procedures for interfacing with ship security activities;

(h) procedures for the periodic review of the plan and updating;

(i) procedures for reporting security incidents;

(j) identification of the port facility security officer along with twenty-four-hour contact details;

(k) measures to ensure the security of the information contained in the plan;

(l) measures designed to ensure effective security of cargo and the cargo handling equipment at the port facility;

(m) procedures for auditing the port facility security plan;

(n) procedures for responding in case the ship security alert system of a ship at the port facility has been activated; and

(o) procedures for facilitating shore leave, changes of crew members, access to visitors and representatives of seafarers' welfare and labor organisations.

(4) The designated authority shall approve the amendments made to the port facility security plan.

(5) The port facility security plan may be kept in an electronic format and shall be protected by procedures to prevent its unauthorised access, deletion, destruction, or amendment.

(6) The records of the port facility security plan shall be protected from unauthorised access or disclosure.

(7) The designated authority may allow a port facility security plan to cover more than one port facility if the operator, location, equipment and design of such port facilities are similar.

(8) The personnel conducting internal audits of the security activities specified in the plan or evaluating its implementation shall be independent of the activities being audited.

(9) In case alternative arrangement with respect to the port facility security plan has been allowed by the designated authority, the particulars of the same shall be communicated to the International Maritime Organization by the Administration.

20. Port facility security advisory committee. — (1) For the purposes of security of port facilities, the port may constitute a port facility security advisory committee which shall consist of one representative from each of the following, namely: —

(a) port facility security officer of the respective ports;

(b) Customs Department;

(c) Narcotics Control Bureau;

(d) Central Intelligence Agencies;

(e) State Intelligence Agencies;

(f) Central Industrial Security Forces;

(g) Local Police;

(h) Immigration Department;

(i) Indian Navy;

(j) Indian Coast Guard;

(k) State Maritime Security Coordinator; and

(l) any other agency of the Central Government or State Government, as deemed fit by the Chairman or Chief Executive Officer of the port concerned.

(2) The Chairman of the major port shall head the port facility security advisory committee and chair any meeting thereof.

(3) In case of ports other than major ports, head of the Maritime Board or the concerned State Government with respect to the functioning of such ports shall chair the port facility security advisory committee of all ports under their jurisdiction:

Provided that where the meeting of the port facility security advisory committee of ports other than major ports (non-Exim or non-container ports) is chaired by the nominee of the Chief Executive Officer or Secretary of the Maritime Board or the State Government, the report of port facility security advisory committee shall be approved by the Chairman or the Chief Executive Officer of the port.

(4) The port facility security advisory committee shall meet at least once in every six months for security review of the port:

Provided that the committee shall meet at frequent intervals depending on the threat perception of the concerned port, if required.

(5) The port facility security advisory committee shall review the approved port facility security plan of the port:

Provided that any proposed amendments accepted by the committee shall be incorporated in the port facility security plan and the same shall be forwarded to the designated authority for examination and approval after review by the recognised security organisation.

(6) Where a new port constitutes a port facility security advisory committee, the following conditions shall be complied with, namely:—

(a) the views of the committee members shall be addressed adequately in preparing the port facility security for such port;

(b) the port facility security plan shall be reviewed by the recognised security organisation;

(c) the port facility security plan shall be vetted by the committee before its submission to the designated authority for verification and approval.

(7) After the approval of the port facility security plan, the concerned port shall approach the jurisdictional Mercantile Marine Department or the designated authority for the security audit and for issuance of statement of compliance and annual verification thereof, as the case may be.

21. Port facility security officer. — (1) A port facility security officer shall be designated for each port facility whose duties shall include—

(a) conducting an initial comprehensive security survey of the port facility, taking into account the relevant port facility security assessment;

(b) ensuring the preparation of the port facility security plan;

(c) implementing the port facility security plan;

(d) undertaking regular security inspections of the port facility to ensure the continuation of appropriate security measures;

(e) recommending and incorporating, as appropriate, amendments to the port facility security plan in order to correct deficiencies and to update the plan to take in to account applicable changes to the port facility;

(f) enhancing security awareness and vigilance of the port facility personnel;

(g) ensuring adequate training to be provided to personnel responsible for the security of the port facility;

(h) reporting to their relevant authorities and maintaining records of occurrences which threaten the security of the port facility;

(i) coordinating implementation of the port facility security plan with the company and ship security officers;

(j) coordinating with security services, as may be appropriate;

(k) ensuring that standards for personnel responsible for security of the port facility are met;

(l) ensuring that security equipment is properly operated, tested, calibrated and maintained;

(m) assisting ship security officers in confirming the identity of those seeking to board the ship;

(n) coordinating through the State maritime security coordinators with local maritime security agencies (Indian Navy or Coast Guard or Security Management Plan) for appraisal of the maritime security agencies on the coastal security levels in force of any incidents or upgrading or downgrading of port security levels;

(o) ensuring the participation of the port facility security organisation, without affecting

the commercial operations of the port, in all coastal, port or maritime security exercises conducted by the maritime security agencies, the Indian Navy, the Indian Coast Guard or under the Security Management Plan, as the case may be, subject to sufficient prior notice.

(2) The port shall provide facilities to the port facility security officer for performing the duties under the Safety Convention, ISPS Code and these rules.

(3) The port facility security officer shall possess the following minimum qualification, namely: —

(a) for major port, a Management Level certificate of competency (Foreign Going) issued by Administration having a merchant marine background;

(b) for ports, other than major ports,—

(i) with quay length of three hundred meters and above—

(A) a Management level certificate of competency (Foreign Going issued by Administration); or

(B) in case of ex-servicemen, shall have served in a post not below the rank of Commander in the Indian Navy, or equivalent in the Indian Coast Guard;

(ii) with quay length below three hundred meters,—

(A) shall have sailing experience on merchant ship at the level of Operation Level Officer; or

(B) in case of ex-servicemen, shall have served in a post not below the rank of Lieutenant Commander in the Indian Navy, or equivalent in the Indian Coast Guard;

(C) Master or Chief Engineer of near coastal vessel:

Provided that the designated authority may relax the above qualifications for non-EXIM ports.

(4) The EXIM port facilities shall engage one deputy port facility officer who shall possess the following qualifications, namely: —

(a) a Management level certificate of competency (near coastal vessel) issued by Administration having merchant marine background; or

(b) Operation level certificate of competency (Foreign Going) issued by Administration; or

(c) port facility security officer certificate; and

(d) be in the rank of Commission officer from the Indian Navy and the Indian Coast Guard with port facility security officer course.

(5) The port facility security officer and port facility security personnel shall have the requisite knowledge and shall have undergone training, taking into account the guidance contained in Part B of the ISPS Code.

22. Training, drills and exercise on port facility security. — To ensure the effective implementation and coordination of the port facility security plan, drills shall be carried out at appropriate intervals, taking into account the types of operations, port's personnel changes, the type of ship the port is serving and other relevant circumstances, taking into account the guidance contained in Part B of the ISPS Code.

23. Verification of ships. — (1) Every ship to which Part A of the ISPS Code applies, shall be subject to the following verifications, namely: —

(a) an initial verification, before the ship is put into service or before the certificate required under these rules is issued for the first time, which shall include a complete verification of the ship's security system and any associated security equipment covered by the relevant provisions of the Safety Convention, Part A of the ISPS Code and the approved ship security plan, so as to ensure that the ship's security system and associated security equipment—

(i) comply with the applicable requirements of the Safety Convention and Part A of the ISPS Code; and

(ii) are in a satisfactory condition and fit for the service for which the ship is intended;

(b) renewal verification at intervals specified by the Administration, not exceeding five years, except as otherwise specified in these rules so as to ensure that the security system and any associated security equipment of the ship and the approved ship security plan –

(i) comply with the applicable requirements of the Safety Conventions and Part A of the ISPS Code; and

(ii) is in satisfactory condition and fit for the service for which the ship is intended;

(c) at least one intermediate verification to be endorsed on the certificate between the second and third anniversary date of the certificate which shall include inspection of the security system and any associated security equipment of the ship so as to ensure that it remains satisfactory for the service for which the ship is intended;

(d) any additional verification as determined by the Administration.

(2) The verification specified in sub-rule (1) shall be carried out by officers of the Administration in accordance with Schedule IV:

Provided that the Administration may entrust the verification to a recognised security organisation or principal officer at the jurisdictional Mercantile Marine Department.

(3) The Administration shall ensure the completeness and effectiveness of the verification and shall make the necessary arrangements to discharge its obligations under these rules.

(4) The ship's security system and any associated security equipment shall, after verification, be maintained so as to conform to the other provisions of the Safety Convention, Part A of the ISPS Code and the approved ship security plan:

Provided that no change shall, after any such verification, be made to the ship's security system, any associated security equipment or the approved ship security plan except with the prior approval of the Administration.

24. Issue or endorsement of International Ship Security Certificate. — An International Ship Security Certificate shall be issued in the format specified in Schedule V after the initial or renewal verification and shall be issued or endorsed either by the Administration or by the recognised security organisation or by the jurisdictional Mercantile Marine Department:

Provided that another contracting government may, at the request of the Administration, cause the ship to be verified and, if satisfied that the provisions of the ISPS Code are complied with, shall issue or authorise the issue of an International Ship Security certificate to the ship and, where appropriate, endorse or authorise the endorsement of that certificate on the ship, in accordance with these rules:

Provided further that a copy of the certificate and a copy of the verification report shall be transmitted as soon as possible to the requesting contracting government:

Provided also that a certificate so issued shall contain a statement to the effect that it has been issued at the request of the contracting government and it shall have the same force and receive the same recognition as the certificate issued by the Administration.

25. Duration and validity of certificate. — (1) An International Ship Security Certificate shall be issued for such period as may be specified by the Administration, which shall not exceed five years.

(2) Where the renewal verification is completed within three months before the expiry date of the existing certificate, the new certificate shall be valid for a period not exceeding five years from the date of expiry of the existing certificate.

(3) Where the renewal verification is completed after the expiry date of the existing certificate, the new certificate shall be valid for a period not exceeding five years from the date of completion of the renewal verification.

(4) Where a certificate is issued for a period of less than five years, the Administration may extend the validity of the certificate beyond its date of expiry up to the maximum period specified in the ISPS Code:

Provided that the verifications required under the ISPS Code, as applicable, shall be carried out where such certificate is issued for a period of five years.

(5) Where the renewal verification has been completed, but the new certificate has not been issued before the expiry of the existing certificate, the Administration, the recognised security organisation or the Mercantile Marine Department may endorse the existing certificate and such certificate shall remain valid for a further period not exceeding five months from the date of its expiry.

(6) Where, at the time of expiry of a certificate, a ship is not in a port at which it is to undergo verification, the Administration may extend the validity of the certificate:

Provided that such extension shall be granted only for the purpose of enabling the ship to complete its voyage to the port at which it is to undergo verification, and only where it appears proper and reasonable to do so:

Provided further that no such extension shall exceed three months, and a ship to which such extension has been granted shall not, upon its arrival at the port at which it is to undergo verification, be entitled, by virtue of such extension, to leave that port without first obtaining a new certificate:

Provided also that where the renewal verification has been completed, the new certificate shall be valid for a period not exceeding five years from the date of expiry of the existing certificate prior to such extension.

(7) Where a certificate issued to a ship engaged on short voyages which has not been extended under the foregoing provisions, the Administration may extend the validity of the certificate for a period of not exceeding one month from the date of its expiry:

Provided that where the renewal verification has been completed, the new certificate shall be valid for a period not exceeding five years from the date of expiry of the existing certificate prior to such extension.

(8) Where an intermediate verification is completed before the prescribed period, —

(a) the expiry date specified in the certificate shall be amended by endorsement to a date not more than three years after the date on which the intermediate verification was completed;

(b) the expiry date specified in the certificate may remain unchanged provided that one or more additional verifications are carried out so that the maximum intervals between the verifications specified under the ISPS Code are not exceeded.

(9) A certificate issued under these rules shall cease to be valid in any of the following cases, namely: —

(a) if the relevant verifications are not completed within the periods specified under this rule;

(b) if the certificate is not endorsed in accordance with the applicable rules;

(c) where a company assumes the responsibility for the operation of a ship not previously operated by that company; and

(d) upon transfer of the ship to the flag of another State.

(10) Where a ship is transferred from the flag of another contracting government for registration under the Act, that contracting government shall, as soon as practicable, transmit to the Administration copies of, or all information relating to, the International Ship Security Certificate held by the ship immediately before the transfer, together with copies of any available verification reports.

(11) Where a company assumes responsibility for the operation of a ship not previously operated by it, the previous company shall, as soon as practicable, transmit to the receiving company copies of, or all available information relating to, the International Ship Security Certificate, and provide such assistance as may be necessary to facilitate the verifications required under this rule.

26. Interim certification. — (1) A certificate under rule 24 shall be issued only if the Administration is satisfied that the ship complies with the requirements of the ISPS Code and the Safety Convention:

Provided that pending the issue of a certificate under rule 24, the Administration may cause an Interim International Ship Security Certificate to be issued, in any of the following cases, namely: —

(a) a ship without a certificate, on delivery or prior to its entry or re-entry into service;

(b) transfer of a ship from the flag of a contracting government for registration under the Act;

(c) transfer of a ship for registration under the Act, from a State which is not a contracting government; or

(d) when a company assumes the responsibility for the operation of a ship not previously operated by that company.

(2) An Interim International Ship Security Certificate shall be issued only if the designated authority or the recognised security organisation has verified compliance with the following conditions, namely: —

(a) the ship security assessment required by Part A of the International Ship and Port Facility Security Code has been completed;

(b) a copy of the ship security plan, complying with the requirements of the Safety Convention and Part A of the ISPS Code is available on board, and the ship security plan–

(i) has been submitted for review and approval; and

(ii) is being implemented on the ship;

(c) the ship is provided with a ship security alert system complying with the requirements of the Safety Convention;

(d) the company security officer—

(i) has ensured review of the ship security plans for compliance with Part A of the ISPS Code;

(ii) has ensured that the plan has been submitted for approval;

(iii) has ensured that the plan is being implemented on the ship; and

(iv) has established the necessary arrangements, including arrangements for drills, exercises and internal audits, and is satisfied that the ship will successfully complete the verification required under sub-rule (1) of rule 23, within a period of six months;

(e) arrangements have been made for carrying out the required verifications under rule 23;

(f) the master, the ship security officer and the personnel of other ship with specific security duties,–

(i) are familiar with their duties and responsibilities under Part A of the ISPS Code and the relevant provisions of the ship security plan kept on board; and

(ii) have been provided such information in the English; and

(g) the ship security officer complies with the requirements of Part A of the ISPS Code.

(3) An Interim International Ship Security Certificate may be issued by the Administration or by a recognised security organisation.

(4) An Interim International Ship Security Certificate shall remain valid for a period of six months from the date of its issue, or until the certificate required by these rules are issued, whichever is earlier, and shall not be extended beyond that period.

(5) The Administration shall not cause a subsequent, consecutive Interim International Ship Security Certificate to be issued to a ship if it is satisfied that the request for such certificate is made by the company or the ship for the purpose of avoiding compliance with the requirements of the Safety Convention and Part A of the ISPS Code beyond the period of validity of the initial Interim International Ship Security Certificate, as required under these rules.

(6) For the purposes of the Safety Convention, the Administration may, before accepting an Interim International Ship Security Certificate as a valid certificate, satisfy itself that the requirements of these rules have been complied with.

27. Suspension or withdrawal of certification. — The Administration may suspend or withdraw the International Ship and Port Facility Security Certificate, in case of the following circumstances, namely: —

(a) corrective actions are not completed within the stipulated time;

(b) periodical verification is not completed;

(c) amendments to ISPS Code are not taken into account;

(d) there is evidence of minor non-conformity or major non-conformity; or

(e) substantial modification to the ship or port facility Security Management System is not notified to the Administration.

28. Verification and certification of port facilities. — (1) For the purpose of issuing a statement of compliance to a port facility, the designated authority shall conduct an initial verification, by—

(a) reviewing the relevant documents to verify that the port facility security system complies with requirements of the ISPS Code; or

(b) conducting an audit of the port facility to verify that the port facility security system has been operating effectively for a period of at least three months.

(2) Every port facility in respect of which a statement of compliance has been issued shall undergo an intermediate verification between the second and the third anniversary date of the certificate issued under these rules in order to maintain the validity of such certificate and to verify the following particulars, namely: –

(a) the effective functioning of the port facility security system;

(b) that any modifications made to the port facility security system complies with the requirements of the ISPS Code; and

(c) the satisfactory implementation of any corrective actions.

(3) Every port facility shall undergo an annual verification to ensure the continued compliance of its port facility security system with the requirements of the ISPS Code.

29. Power to implement equivalent security measures. — The Administration or the designated authority, as the case may be, may permit an Indian ship, a port facility, or a class or group of Indian ships or port facilities to implement equivalent security measures in lieu of the security measures prescribed under these rules, if it is satisfied that such equivalent security measures are at least as effective as those provided under these rules:

Provided that the Administration shall communicate the particulars of the equivalent security measures so permitted to the International Maritime Organization.

30. Duties of ships. — Every ship entering a port within the jurisdiction of India shall submit a pre-arrival notification (PANS) to the designated authority at least ninety-six hours before its arrival at such port, in the form specified in Schedule VI:

Provided that where the duration of the voyage is less than ninety-six hours, the pre-arrival notification shall be submitted within two hours of the ship's departure from the last port.

31. Power to issue directions and guidelines. — The Central Government may issue such directions or guidelines, not inconsistent with the Act or these rules, as may be necessary for giving effect to the provisions of the Safety Convention, the ISPS Code, or these rules.

32. Fees. – (1) Every port, ship, company, person or body of persons to whom these rules apply shall pay fees specified in Schedule VII for the services provided under these rules.

(2) The fees payable in respect of any non-compliance and the necessary measures applicable thereto shall be as specified in Schedule VII.

(3) All fees payable under these rules shall be paid through Bharat Kosh portal - www.bharatkosh.gov.in.

(4) No fee paid under these rules shall be refunded.

33. Control and compliance measures. – Every ship to which these rules apply, shall be subject to control and compliance measures in accordance with regulation 9 of Chapter XI-2 of the Safety Convention.

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

SCHEDULE I

[See rule 2 (a)]

INTERNATIONAL SHIP AND PORT FACILITY SECURITY CODE REQUIREMENT FOR VESSELS ENGAGED ON COASTAL VESSELS, INTERNATIONAL VOYAGE AND OTHER VESSELS

A. COASTAL VESSELS

SR. NO.	TYPE OF VESSEL	SHIP SECURITY PLAN	SHIP SECURITY OFFICER	COMPANY SECURITY OFFICER	SHIP SECURITY ALERT SYSTEM	SECURITY EQUIP. (As per list attached)	AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM	INTERNATIONAL/ SHIP SECURITY CERTIFICATE	AUDIT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	COASTAL VESSEL MORE THAN 3000 GT	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes (other than Night Vision Binocular	Type A	Ship Security Certificate	Recognised security organisation OR Mercantile Marine Department
2.	COASTAL VESSELS BETWEEN 500 TO 3000 GT	Yes	Yes (Need not be certificated but trained by company security officer)	Yes	No	Yes (other than Night Vision Binocular and Scanner)	Type A	Ship Security Certificate	Recognised security organisation OR Mercantile Marine Department
3.	VESSELS LESS THAN 500GT/ MORE THAN 300 GT. ON THE COAST	Yes	Yes (Need not be certificated but trained by company security officer)	Yes	No	No	Type A	Ship Security Certificate	Recognised security organisation OR Mercantile Marine Department
4.	VESSELS BETWEEN 300 GT AND 500 GT IF OPERATING IN IV LIMITS AND VESSEL LESS THAN 300 GT ON COAST	Yes	No	Yes	No	No	No	Ship Security Certificate	Recognised security organisation OR Mercantile Marine Department

Note: - Coastal vessels herein imply those vessels solely operating between ports on the Indian Coast and are not calling at foreign ports.

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

B. INTERNATIONAL VOYAGE

SR.NO.	TYPE OF VESSEL	SHIP SECURITY PLAN	SHIP SECURITY OFFICER	COMPANY SECURITY OFFICER	SHIP SECURITY ALERT SYSTEM	SECURITY EQUIP. (As per list attached)	AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM	INTERNATIONAL/ SHIP SECURITY CERTIFICATE	AUDIT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Vessel of 500 Gross Tonnage or above on international voyages and passenger ships on International voyages	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Type A	International Ship Security Certificate	Recognised security organisation OR Mercantile Marine Department
2.	Vessel ≤ 500 Gross Tonnage on international voyages	Yes	Yes	Yes	Yes (without web display)	Yes	Type A	International Ship Security Certificate	Recognised security organisation OR Mercantile Marine Department

C. OTHER VESSELS

SR. NO.	TYPE OF VESSEL	SHIP SECURITY PLAN	SHIP SECURITY OFFICER	COMPANY SECURITY OFFICER	SHIP SECURITY ALERT SYSTEM	SECURITY EQUIP. (As per list attached)	AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM	INTER-NATIONAL/ SHIP SECURITY CERTIFICATE	AUDIT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	River Sea Vessel Type IV and ≥ 500 Gross Tonnage	Yes	Yes	Yes	Yes (without web display)	Yes	Type A**	Ship Security Certificate	Recognised security organisation OR Mercantile Marine Department
2.	River Sea Vessel Type IV and ≤ 500 Gross Tonnage	Yes	Yes (need not be certificated but trained by Company Security Officer)	Yes	No	Yes	Type B	Ship Security Certificate	Recognised security organisation OR Mercantile Marine Department
3.	River Sea Vessel Type III and ≥ 500 Gross Tonnage	Yes	Yes (need not be certificated but trained by Company Security Officer)	Yes	No	Yes	Type B	Ship Security Certificate	Recognised security organisation OR Mercantile Marine Department
4.	River Sea Vessel Type III and ≤ 500 Gross Tonnage	Yes	No	Yes	No	Yes	Type B	Ship Security Certificate	Recognised security organisation OR Mercantile Marine Department

Note :- A separate Ship Security Certificate for River Sea Vessel is not necessary as this would be included in the Harmonised Certificate for River Sea Vessel.

** Vessels ≤ 300 gross tonnage may fit or install Automatic identification systems Type A or B.

UNCOMPLYCATE Simplifying compliance

SCHEDULE II

[See rules 6 (3) and11(4)(o)]

SECURITY EQUIPMENTS:

SR. NO.	Security Equipment	Vessel of 500 gross tonnage or above on international voyage	Vessel of ≤ 500 gross tonnage on international voyage	Vessel ≥ 500 gross tonnage on coastal voyage	Vessels ≤ 500 gross tonnage on coastal voyage	Mobile offshore drilling unit	Accommodation Barges	River Sea Vessel Type 1	River Sea Vessel Type 2	River Sea Vessel Type 3	River Sea Vessel Type 4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	General Alarm	1 no.	1 no.	1 no.	1 no.	1 no.	1 no.	1 no.	1 no.	1 no.	1 no.
2.	High Beam Torch	2 no.	2 no.	2 no.	2 no.	2 no.	2 no.	1 no.	2 no.	2 no.	2 no.
3.	Batons	2 no.	2 no.	2 no.	2 no.	2 no.	2 no.	2 no.	2 no.	2 no.	2 no.
4.	Photo Identification card for Crew	All Crew	All Crew	All Crew	All Crew	All Crew	All Crew	All Crew	All Crew	All Crew	All Crew
5.	Flood Light (Fixed or Portable)	4 no.	4 no.	4 no.	4 no.	4 no.	4 no.	Not Required	Not Required	2 no.	2 no.
6.	Walkie Talkies	4 no.	4 no.	4 no.	4 no.	4 no.	4 no.	Not Required	2 no.	2 no.	2 no.
7.	Whistles	4 no.	4 no.	4 no.	4 no.	4 no.	4 no.	3 no.	3 no.	3 no.	3 no.
8.	Dog Leg Mirror	2 no.	2 no.	2 no.	2 no.	2 no.	2 no.	1no.	2no.	2 no.	2 no.
9.	Hand Held Metal Detector	2 no.	2 no.	2 no.	2 no.	2 no.	2 no.	1 no.	2 no.	2 no.	2 no.
10.	Cable ties	Adequate	Adequate	Adequate	Adequate	Adequate	Adequate	Adequate	Adequate	Adequate	Adequate
11.	Different code colour passes for visitors	Adequate	Adequate	Adequate	Adequate	Adequate	Adequate	Adequate	Adequate	Adequate	Adequate
12.	Night Vision Binoculars	1 no.	1 no.	1 no.	1 no.	1 no.	1 no.	Not Required	Not Required	1 no.	1 no.

UNCOMPLYCATED Simplifying Compliance

SCHEDULE III

[See rule 11(4)(h)]

Form of a Declaration of Security between a ship and a port facility*

DECLARATION OF SECURITY

Name of Ship:	
Port of Registry	
International Maritime Organization Number	
Name of Port Facility	

This Declaration of Security is valid from ..... until.....for the following activities

.....
(*list the activities with relevant details*)

under the following security levels

Security levels for the ship	
Security Level(s) for the port facility	

The port facility and ship agree to the following security measures and responsibility to ensure compliance with the requirements of Part A of the International Code for the Security of ships and of Port Facilities.

		The affixing of the initials of the Ship Security Officer or Port Facility Security Officer under these columns indicates that the activity will be done in accordance with the relevant approved plan by
Activity	The port facility	The ship
Ensuring the Performance of all security duties		
Monitoring restricted areas to ensure that only authorized personnel have access		
Controlling access to the port facility		
Controlling access to the ship		
Monitoring of the ship, including berthing areas surrounding the ship		
Handling of Cargo		
Delivery of ship's stores		

*This form of declaration of security is for use between a ship and a port facility. If the declaration of security is to cover two ships this model should be appropriately modified.

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

SCHEDULE IV

[See rules 22(2)]

Part- A

DIRECTORATE GENERAL OF MARITIME ADMINISTRATION

INTERNATIONAL SHIP AND PORT FACILITY SECURITY CODE

VERIFICATION SCHEDULE

Type of Verification : Interim or Initial or Renewal or Intermediate or Additional or Follow up*

Name of Vessel :

Date :

Name of Company :

Place :

Sr. No.	Time			Function or Department (Including Opening and Closing Meetings)
	From	To	Duration	
1				Opening meeting
2				Document review
3				Audit of ship security officer and Master
4				Verification of security procedure and records
5				Crew interview
6				Drill
7				Verification of physical security illumination and security equipment
8				Closing meeting
9				TOTAL TIME

* Delete as appropriate

Signature of Team Leader

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

PART-B

DIRECTORATE GENERAL OF MARITIME ADMINISTRATION

INTERNATIONAL SHIP AND PORT FACILITY SECURITY CODE

SHIP: INITIAL or INTERIM or RENEWAL or ADDITIONAL * VERIFICATION REPORT

NAME OF SHIP:		ASSESSED AT: MUMBAI
DATE:		
TIME/ HOURS:	DAY HOURS:	DARK HOURS:
SHIP'S OPERATIONAL CONDITION DURING		
PORT OF REGISTRY: MUMBAI		GT:
CALL SIGN:		SHIP TYPE:
DATE OF BUILD:		
OFFICIAL NO:	INTERNATIONAL MARITIME ORGANISATION NO:	FLAG:
COMPANY NAME:		
ISSC/ SSC NO:	ISSUED ON:	VALID TILL:
ISSUED BY: GOVERNMENT OF INDIA LAST INTERMEDIATE ENDORSEMENT ----------		
TEAM LEADER:	AUDIT DATE(S):	
TEAM MEMBERS:		
ANY NON-COMPLIANCE: YES OR NO /NO. OF NON CONFORMITY'S:		
COPIES OF ALL NON-COMPLIANCES ARE ATTACHED TO THIS REPORT: YES/ NO/ N.A.		
NON CONFORMITY'S CLEARED: YES OR NO OR NOT APPLICABLE		
IF NC'S NOT CLEARED ADDITIONAL VERIFICATION REQUIRED: YES OR NO OR NOT APPLICABLE.		
SUMMARY OF REPORT:		

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

*** Delete as appropriate**

(A) Audit of the representative samples of the security system show that the security system is implemented effectively: YES OR NO (B) All security equipment specified in Ship Security Plan complies with applicable requirement: YES OR NO (C) All security equipment specified in Ship Security Plan is operational and is fit for the service for which it is intended: YES OR NO
ISSC VALID FOR 5 MONTHS PLACED ON BOARD: YES OR NO/ NOT APPLICABLE
RECOMMENDATION:
SIGNATURE OF TEAM LEADER NAME AND SIGNATURE OF SHIP MASTER OR SHIP SECURITY OFFICER

Note:

1. Interim certificate is issued for Coastal vessels and this report is considered as Provisional Ship Security Certificate valid for five months, only when the surveyor recommends issuance of full term certificate.
2. Use additional sheets for recommendations, if necessary.

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

PART-C

INTERNATIONAL SHIP AND PORT FACILITY SECURITY CODE OBSERVATIONS AND RECOMMENDATIONS

DATE :

AT :

COMPANY SECURITY OFFICER OR MASTER

TEAM LEADER AUDITOR NOTE:

REPORT ON OPERATIONAL STATUS OF SECURITY EQUIPMENT ON BOARD

SR. NO.	EQUIPMENT IDENTIFICATION	LOCATION ASPER SHIP SECURITY PLAN	OPERATIONAL YES OR NO*	REMARKS
1	GENERAL ALARM			
2	HIGH BEAM TORCH			
3	BATONS			
4	PHOTO ID CARDS			
5	FLOOD LIGHT			
6	WHISTLES			
7	DOG LEG MIRROR			
8	HAND HELD METAL DETECTOR			
9	CABLE TIES			
10	DIFFERENT COLOUR CODE PASSES			
11	NIGHT VISION BINOCULARS			
12.	AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTE (CLASS A)			

* Ship Security Equipment if fitted is to be tested during the Verification audit

Signature of Auditor

UNCOMPLICATE Simplifying Compliance

DOCUMENT REVIEW AND VERIFICATION OF RECORDS

LIST OF DOCUMENTS AND RECORDS

TITLE	DATED	REVIEW STATUS	REMARKS*
DOCUMENTS APPROVED SHIP SECURITY PLAN			
SHIP SECURITY ASSESSMENT			
CONTINUOUS SYNOPSIS RECORD ON BOARDAND UPTO DATE			
AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEMSURVEY RECORD (LAST SURVEY DATE)			
SHIP SECURITY ALERT SYSTEM SURVEY DATE			
FLAG STATE NOTICES AND CIRCULARS			
RECORDS			
EXTERNAL VERIFICATION			
PORT STATE CONTROL INSPECTION			
INTERNAL AUDIT REPORT			
NON COMPLIANCE IDENTIFIED BY SHIP/ COMPANY AND CORRECTIVE ACTION APPLIED RELATIVE TO NON COMPLIANCE			
DRILLS AND EXERCISES			
TRAINING			
BREACHES OF SECURITY (INCIDENTREPORTS)			
RECORD OF SECURITY COMMUNICATIONS			
RECORD PROTECTED AGAINST UNAUTHORISED ACCESS			

RECORDS	YES OR NO	REMARKS*
CHANGES IN SECURITY LEVEL		
Communication from Flag State		
Acknowledgement to Flag State		
Communication from Port State (Through Port Facility Security Officer)		
Acknowledgement to Port State (Through Port Facility Security Officer)		
Specific instructions from Flag State		

UNCOMPLYGATE Simplifying Compliance

Specific instructions from Port State		
Hull markings of International Maritime Organization No.		
Periodic review of ship security assessment		
Periodic review of Ship Security Plan		
Maintenance, calibration and testing of Ship Security Alert System (Mandatory) and other security equipment's as in Ship Security Plan		
Declaration of security (if applicable)		

DETAILS OF REMARKS TO BE ENTERED UNDER COMMENTS*

TEAM LEADER'S COMMENTS AND REMARKS AS ABOVE (Use blank sheets where necessary)

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

PART-D

DIRECTORATE GENERAL OF MARITIME ADMINISTRATION

INTERNATIONAL SHIP AND PORT FACILITY SECURITY AUDIT CHECKLIST

Ship Verification

Interim or Initial or Intermediate or Additional or Final or Follow-up or Renewal Audit*

21. Is approved Ship Security Plan on board:
Yes or No
22. Is Ship Security Plan approved for:
Yes or No

a) Limited area operation
b) Worldwide operation

23. Request sent to Directorate General Shipping and authorisation for conduct of audit obtained Yes or No
24. Does ship have evidence to show when Ship Security Assessment was carried out? Yes or No
25. Have modifications as recommended in the Ship Security Assessment been carried out?
Yes or No
26. Since when the SSP has been implemented on board
27. Implementation time
28. Less than two months with one Internal Audit, by company
Yes or No/ Not Applicable
29. More than two months?
Yes or No / Not Applicable
30. Is the ship's complement on board as per the Ship Security Plan?
Yes or No
31. Will there be substantial amount of crew change during the audit (> 25%)?
Yes or No

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

32. Will the ship be available for verification of illumination during the dark hours?

Yes or No

33. Is the ship in operational condition?

Yes or No

34. Have security drills been carried out?

Yes or No

35. Has the Company Security Officer received security training per Part A 13.1 and Part B 13.2 of ISPS Code?
Yes or No

36. Is the ship holding the minimum security equipment as per Directorate General of Maritime Administration circular and approved ship security plan?

Yes or No

37. Is there evidence to show that the Company has intent to put on board the ship security alert system by the applicable date?

Yes or No

38. Outstanding Non-conformity's, if applicable, from previous audit

Yes or No/Not Applicable.

39. Periodical audit: Proposed audit dates are within the window period?

Yes or No/ Not Applicable

Renewal audit: Existing International Ship Security Certificate / Ship Security Company expired (If yes, authorization from Directorate General is required

Yes or No/ Not Applicable

40. Delete as appropriate

Directorate General of Maritime Administration.

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

PART-E

INTERNATIONAL SHIP AND PORT FACILITY SECURITY VERIFICATION LOG

INTERNATIONAL SHIP AND PORT FACILITY SECURITY

PORT: **DATE:**

NAME OF AUDITOR:			
TYPE OF AUDIT: Initial or Interim or Intermediate or Renewal or Additional or Follow up*			
Company name (as in Continuous Synopsis Record): DETAILS OF SHIP VERIFICATION:			
NAME OF SHIP	International Maritime Organization NUMBER	ROLE IN AUDIT (TEAM LEADER OR MEMBER OR SOLE AUDITOR)	TOTAL NUMBER INTHE TEAM
LOCATION OF THE AUDIT:MUMBAI		VERIFICATION BY AUDITEE: (NAME, SIGNATURE, POSITION,STAMP AND DATE)	
DATE:			

* Delete as appropriate

Directorate General of Maritime Administration

UNCOMPLY GATE Simplifying Compliance

INTERNATIONAL SHIP AND PORT FACILITY SECURITY CODE

Non-Compliance Report: INTERNATIONAL SHIP AND PORT FACILITY SECURITY

Type of verification : INTERIM OR INITIAL OR RENEWAL OR INTERMEDIATE ADDITIONAL*		
COMPANY NAME :		NON CONFORMITY NO:
SHIP' NAME:		International Maritime Organization NO:
Department	Section	Date:
Non- compliance | Security Equipment | Security System		
INTERNATIONAL SHIP AND PORT FACILITY SECURITY Code Reference:		Ship Security Plan Reference:
Auditee/ Ship Security Officer/ Master	Team Leader	Audit Team Member(s)
Corrective Action Report		
Ship Security Officer/ Master:		Proposed Completion Date: Actual Completion Date:
Clearance Report (to be completed by Mercantile Marine Department or Directorate General of Shipping)		Date

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

SCHEDULE V

(See rule 24)

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

DIRECTORATE GENERAL OF MARITIME ADMINISTRATION

MERCANTILE MARINE DEPARTMENT

INTERNATIONAL SHIP SECURITY CERTIFICATE

Certificate Number: Mercantile Marine Department/International Ship Security Certificate

Issued under the provisions of the INTERNATIONAL SHIP AND PORT FACILITY SECURITY CODE

Name of Ship: International Maritime Organization Number:

Distinctive number or letters: Port of registry:

Type of ship: Gross tonnage:

Name and address of the company:

Company identification no.:

THIS IS TO CERTIFY:

1. that the security system and any associated security equipment of the ship has been verified in accordance with section 19.1 of Part A of the INTERNATIONAL SHIP AND PORT FACILITY SECURITY CODE;
2. that the verification showed that the security system and any associated security equipment of the ship is in all respects satisfactory and that the ship complies with the applicable requirements of chapter XI-2 of the SOLAS Convention and Part A of the INTERNATIONAL SHIP AND PORT FACILITY SECURITY CODE;

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

3. that the ship is provided with an approved Ship Security Plan.

Date of initial or renewal verification on which the Certificate is based: dd/mm/yyyy

This Certificate is valid until dd/mm/yyyy subject to verifications in accordance with section 19.1.1 of Part A of the INTERNATIONAL SHIP AND PORT FACILITY SECURITY CODE.

Issued at: MUMBAI Date of issue:

(dd/mm/yyyy)

(Place of issue of certificate)

(Signature of the duly authorised official issuing the Certificate)

(Seal or stamp of issuing authority, as appropriate)

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

DIRECTORATE GENERAL OF MARITIME ADMINISTRATION

MERCANTILE MARINE DEPARTMENT

Name of Ship: International Maritime Organization

NO:

Endorsement for intermediate verification

THIS IS TO CERTIFY that at an intermediate verification required by section 19.1.1 of Part A of the INTERNATIONAL SHIP AND PORT FACILITY SECURITY CODE the ship was found to comply with the relevant provisions of Chapter XI-2 of the Convention and Part A of the INTERNATIONAL SHIP AND PORT FACILITY SECURITY CODE.
Intermediate verification

……official)

(Signature of authorised official)

Place: ……

Date: ……

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Endorsement for additional verification

Additional verification

Signed:

(Signature of authorised official)

Place:

Date: (Seal or stamp of the authority, as appropriate)

UNCOMPLICATE Simplifying Compliance

SCHEDULE VI

(See rule 30)

Pre-arrival Notification of Security (PANS) for vessel:

a) Passenger ships including high speed passenger craft
b) Cargo ships, including high-speed craft, of 300 GRT and upwards, and
c) Mobile offshore drilling units.
d) Sailing Vessel
e) Yacht

This form is to be submitted at least 96 hours prior to the arrival of the vessel. If the voyage of the vessel is shorter than 96 hours, the PANS may be submitted within 2 hours of departure from the last port.

1. Particulars of the ship and contact details		
1.1 IMO Number :	1.2 Name of the ship :	
1.3 Port of registry :	1.4 Flag state :	1.5 Type of ship :
1.6 Call sign :	1.7 Inmarsat call Number :	1.8 Gross tonnage :
1.9 Name of company:		
1.10 Name and 24 hour contact details of Company Security Officer Name: Tel No.		
2. Port and port facility information		
2.1 Port of arrival and port facility where the ship is to berth, if known		
2.2 Expected date and time of arrival of the ship in port (paragraph B/4.39.3 of ISPS Code) :		
2.3 Primary purpose of call **Cargo operation** / Taking Bunkers / Taking Supplies / Repair / Changing Crew / Passengers (Embarking / disembarking) / Others **(Delete as appropriate)** If others, please specify purpose : __		

UNICOMPLYCATE Simplifying Compliance

3. Information required by SOLAS regulation XI-2/9.2.1

3.1 The ship is provided (SOLAS REGULATION 9.2.1.1) with a valid

International Ship Security Certificate ☐ YES ☐ NO

Interim International Ship Security Certificate ☐ YES ☐ NO

3.1.1 Certificate Indicated in 3.1 has been issued by

: Name of issuing authority :

Date of expiry:

3.1.2 If the ship is not provided with a valid International Ship Security Certificate or valid Interim International Ship Security Certificate, Explain why?
-

3.1.2.1 Does the ship have an approved ship security plan on board? ☐ YES ☐ NO

3.2 Current security level (SOLAS regulation XI-2/9.2.1.2) : **Level 2**

3.2.1 Location of ship at the report is made (paragraph B/4.39.2 of ISPS code) : Latitude :Longitude : or Port : AT SEA

3.3 List the last 10 calls in chronological order with most recent call first, at port facilities at which the ship conducted ship and port interface together with the security level at which the ship operated (SOLAS regulation XI-2/9.2.1.3:

No.	Date		Port, Country, Port Facility and UNLOCODE	Security Level
	From	To		
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

3.3.1 Did the ship, during the period specified in 3.3, take any special or additional security measures, beyond those specified in the approved ship security plan?

☐ YES ☐ NO

3.3.2 If your answer to 3.3.1 is YES, for each of such occasions please indicated the special or additional security measures which were taken by ship (SOLAS XI-2/9.2.1.4) :

No.	Date		Port, Country, Port Facility and UNLOCODE	Special or additional measure
	From	To		
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

3.4 List the ship to ship activities in chronological order with the most recent ship-to-ship activity first, which have been carried out during the period specified in 3.3 :

☐ NOT APLICABLE

No.	Date		Port, Country, Port Facility and UNLOCODE	Ship-to-ship Activity
	From	To		

UNCOMPLYCAT Simplifying Compliance

3.4.2 Have the ship security procedures, specified in the approved ship security plan, been maintained during each of the ship-to-ship activities specified in 3.4 (SOLAS regulation XI-2/9.2.1.5)?

☐ YES ☐ NO

3.4.3 If the answer to 3.4.1 is NO, Identify the ship to ship activities for which the ship security procedures were not maintained and indicate, for each, the security measures which were applied in lieu

No.	Date		Port, Country, Port Facility and UNLOCODE	Special or Additional measure
	From	To		
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

3.5 Provide a general description of cargo aboard the ship (SOLAS regulation XI-2/9.2.1.6 and paragraph B/4.39.5 of ISPS Code):

3.5.1 Is the ship carrying any dangerous substances as cargo? ☐YES ☐NO

2.5.2 If the answer to 3.5.1 is YES, provide details or attach a copy ot the Dangerous Goods Manifest (IMO FAL FORM 7)

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

3.6 A copy of the ship's Crew List (IMO Form 5 is attached) (SOLAS regulation XI-2/9.2.1.6 and paragraph B/4.39.4 of ISPS Code ☐
3.7 A copy of the ship's Passenger List (IMO FAL Form 6 is attached) (SOLAS regulation XI-2/9.2.1.6 and paragraph B/4.39.4 of ISPS ☐ Code
4. Other security related information
4.1 Is there any security related matter you wish to report? ☐ YES ☐ NO
4.1.1 If the answer to 4.1 is YES, provide details:
5. Agent of ship at the intended port of arrival
5.1 Name and 24-hour contact, details of agent in intended port of call. Name : Tel No: Fax No:
6.Identification of the person providing the information
6.1 Name : 6.2 Title or position : 6.3 Signature: _____ This report is dated at (Place) : On (Date and time) :

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

SCHEDULE VII

[See rule 31(1) and (2)]

SCALE OF FEES AND MEASURES

SR. NO.	ITEMS	CATEGORY	FEES
A. SHIPPING COMPANY OR VESSEL: -			
1.	Ship Security Plan	Approval of the Ship Security Plan-Worldwide	Rs. 1,00,000.
2.		Approval of the Ship Security Plan-Coastal	Rs. 50,000.
3.		Amendment and review of the Ship Security Plan	Rs. 25,000.
4.	Continuous Synopsis Record	Issue of Continuous Synopsis Record	Rs. 30,000.
5.		Amendment to Continuous Synopsis Record	Rs. 15,000.
6.	International or Coastal Ship Security Certificate	Verification audit visit for International or Coastal Ship Security Certificate (per visit)	Rs. 8,000.
7.		Issuance of International or Coastal Ship Security Certificate	Rs. 15,000.
8.		Extension or endorsement of International or Coastal Ship Security Certificate	Rs. 15,000.
9.	Other Fees	Company operating without a qualified Company Security Officer or declaring false name of the Company Security Officer or Alternate Company Security Officer	a) Rs. 5,00,000. b) For repeated non-compliance an additional fee of Rs. 5,00,000 and withdrawal of International or Coastal Ship Security Certificate.
10.		Loss of Ship Security Plan	Rs. 1,00,000. Note: (a.) The Company Security Officer shall make a new Ship Security Plan and change the earlier passwords or code word or contact details or confidential data immediately and report to the Directorate General of Shipping. The Approved Ship Security Plan is to be

UNCOVERYCATE Simplifying Compliance

			arranged to be connected expeditiously to the ship; (b.) Fees for the approval of the New Ship Security Plan, in the event of a loss, will be 1.5times more than normal fees, namely- i. for Cargo ship- Rs.1,87,500; ii. passenger ship- Rs.1,95,000.
11.		Fees for re-inspection of a ship subsequent to withdrawal of International or Coastal Ship Security Certificate due to major non-conformities	Rs. 8,00,000.
12.		Carrying out an external security audit of Ship beyond the window period and ship sailing with expired International or Coastal Ship Security Certificate	Rs. 3,00,000.
13.		If the company requests for an audit in time (6 months before the due date) and recognised Security Organisation is unable to visit the ship for the audit	No fee
14.		Company Security Officer engaged in multiple companies	Rs. 2,50,000.
15.		The ship sailing with an expired International or Coastal Ship Security Certificate	Detention of vessel till production of valid International or Coastal Ship Security Certification and in addition fees of Rs. 800000 to be paid by the owner.
16.		Ship declaring incorrect information such as false port of calls or any other false information in pre- arrival notification of security	Detention of vessel till declaration of correct port of call or correct information with flag endorsement and in addition fees of Rs. 200000 to be paid by the owner.

17.		Ships not maintaining or not possessing Ship Security Equipment	Detention and Rs. 1,00,000. per faulty equipment or missing equipment.
18.		Ships Automatic Identification System found to be fed with false name/ false call sign/ false ship data	Detention of vessel till Ship security equipment is operational or fitted and in addition fees of Rs. 1,00,000 per faculty or missing equipment to be paid by the owner.
19.		Security or stowaway incidents not reported to the Directorate General of Shipping by the Master or Company Security Officer	Rs. 2,00,000.
20.		Internal Security audit not conducted on time	Rs. 1,00,000.
21.		Repeated observation or non-conformity in the next external security audit of the ship	Rs. 2,00,000. followed by an additional external audit after six months.
B. Major Ports and Ports other than Major Ports:			
22.	Approval of Port Facility Security Assessment	For ports less than 500 M Quay Length	Rs. 50,000.
23.		For ports 500 M to 1000 M Quay Length	Rs. 1,00,000.
24.		For ports above 1000 M Quay Length	Rs. 1,50,000.
25.		For anchorage ports	Rs. 50,000.
26.	Approval of port facility security plan	For single buoy mooring ports	Rs. 1,00,000.
27.		For ports less than 500 M Quay Length	Rs. 1,00,000.
28.		For ports 500 M to 1000 M Quay Length	Rs. 1,50,000.
29.		For ports above 1000 M Quay Length	Rs. 2,00,000.
30.		For anchorage ports	Rs. 1,00,000.
31.		For single buoy mooring ports	Rs. 1,50,000.
32.	Other Fees	Amendment or review of assessment or plan	Rs. 25,000.
33.		Port operating without a qualified Port Facility Security Officer or declaring false name of the Port Facility Security Officer or Deputy Port Facility	Rs. 1,00,000.

UNICOMPLY CA Simplifying Compliance

34.		Security Officer Port Facility Security Officer found without training certificate from Director General approved institute	Rs. 2,00,000.
35.		Port facilities not addressing or complying within the stipulated time frame on the observations raised during the Port Facility Security Audit	Rs. 2,00,000.
36.		Port not carrying annual or renewal of Port Facility Security audits within window periods	Rs. 2,00,000.
37.		Acting as Port Facility Security Officers for multiple port facilities	Rs. 2,50,000.
38.		Loss of Port Facility Security Assessment or Port Facility Security Plan	Rs. 5,00,000.
39.		Port facility allowing Ships to berth without possession of International or Coastal Ship Security Certificate	Rs. 2,00,000.
40.		Port facility allowing ships with declaration of incorrect pre-arrival notification of Security and not informing to Directorate General of Shipping	Rs. 2,00,000.
41.		Port refusing to exchange Declaration of Security	Rs. 1,00,000.
42.		Security or stowaway incidents not reported to the Directorate General of Shipping by the Port Facility Security Officer or agent	Rs. 2,00,000.
43.		Internal Security audit not conducted on time	Rs. 1,00,000.
44.		Repeated observation or non-conformity in the next external security audit of the port	Rs. 2,00,000 followed by an additional external audit after six months.

[F. No. SY-19014/185/2025-MG-Part(2)(ii)]

VENKATESAPATHY S, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.